लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16—बुधवार, 9 मार्च, 1966/18 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 16—Wednesday, March 9, 1966/Phalguna 18, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
417	अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन	International Social Security Conference	4363-66
418	कर्मचारियों की भविष्य निधि को पेंशन में बदलना	Conversation of Employees Provident Fund into Pension .	4367-70
419	राजनैतिक नजरबन्दियों की नजरबन्दी के बारे में नियम तथा शर्तें	Rules and Conditions of Detention of Political Detenus . .	4370-73
420	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	4373-76
421	औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme for Industrial Workers . . .	4377-80
422	संश्लिष्ट (सिथेटिक) औषध कारखाना, हैदराबाद	Synthetic Drug Plant, Hyderabad	4380-81
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Nos.			
4	विदेशों से खाद्यान्न की सहायता	Food Aid from Abroad . .	4381-86
5	भूख से लोगों की मृत्यु	Starvation Deaths . . .	4386-95

प्रश्नों के लिखित उत्तर—WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
313	स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार को अनुदान	Grants to the Family of Late Prime Minister Lal Bahadur Shastri	4395
423	वडौदा में नाइलोन धागा कारखाना	Nylon Yarn Plant at Parcda .	4395-96
424	गांधी हत्या केस	Gandhi Murder Case . .	4396
425	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा	All-India Judicial Service . .	4396-97
426	दिल्ली प्रशासन के लेखे	Accounts of Delhi Administration	4397

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked in the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
427	शिक्षकों के वेतन क्रम	Pay Scales of Teachers . .	4397
428	भारतीय नरतत्वीय (एंथ्रोपोलोजिकल) सर्वेक्षण के विभाग के मानचित्र	Maps of Anthropological Survey of India	4398
429	माध्यमिक स्कूलों के लिए केन्द्रीय अनुदान आयोग	Central Grants Commission for Secondary Schools . . .	4398
430	मंत्रियों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for Ministers .	4398
431	पश्चिम बंगाल में अनधिवासियों (स्क्वैटर्स) की बस्तियां	Squatters' Colonies in West Bengal	4399
432	कानपुर के व्यापारी की गिरफ्तारी	Arrest of Kanpur Businessman .	4399
433	उचित मूल्य की दुकानें	Fair Price Shops . . .	4399-4400
434	केरल में पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच	Enquiry into Alleged Police Excesses in Kerala . . .	4400
435	दिल्ली में दिन-दहाड़े लूट	Day-light Robbery in Delhi .	4400
436	मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्री बीजू पटनायक की उपस्थिति	Presence of Shri Biju Patnaik at Chief Ministers' Conference .	4401
437	मनीपुर राइफल्स के खांगकूई शिविर पर नागाओं का आक्रमण	Naga Attack on Khangkaui Camp of Manipur Rifles . .	4401
438	त्रावनकोर-कोचीन केमिकल्स लिमिटेड	Travancore-Cochin Chemicals Ltd.	4401-02
439	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	Indiscipline among Students .	4402
440	गैर-सरकारी शिक्षा संस्थायें	Private Educational Institutions	4402-03
441	काश्मीर में पाकिस्तानी हथियारों के जखीरे का पता लगना	Pak. Arms Dump unearthed in Kashmir	4403
442	सौंद्रा कोयला खान में दुर्घटना	Accident at Saunra Colliery .	4403-04
443	नागाओं द्वारा फिर से उपद्रवी कार्यवाही आरम्भ करना	Renewed hostile drive by Nagas	4404
444	औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences .	4404-05

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1764	कृषकों की बेदखली	Eviction of Peasants . . .	4405
1765	केरल के अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्याग्रह	Satyagraha by Kerala N.G.Os. .	4405
1766	कोट्टयम नगरपालिका स्टेडियम	Kottayam Municipal Stadium .	4405-06
1767	तेल कम्पनियां	Oil Companies . . .	4406
1768	रोक फास्फेट	Rock Phosphate . . .	4406

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1769	आदिम क्षेत्रों के स्कूलों के लिए अनुदान	Grants for Schools in Tribal Areas	4406–07
1770	सरकारी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जाना	Compulsory Retirement of Government Servants . .	4407
1771	वैज्ञानिक अनुसंधान	Scientific Research . . .	4407
1772	उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Universities in U.P.	4407–08
1773	न्यायालयों में मुकदमों का निपटारा	Disposal of Cases in Courts	4408
1774	सबरीगिरी परियोजना	Sabarigiri Project . . .	4408
1775	संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य	Members of U.P.S.C. . .	4409
1776	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये सहकारी स्टोर	Co-operative Stores for Central Government Employees . .	4409
1777	दिल्ली में गुप्त ट्रांसमिटर	Ghost Transmitter in Delhi .	4409–10
1778	भारतीय अध्ययन संस्थान	Institute of Indian Studies .	4410
1779	बरौनी में पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex at Barauni	4410
1780	दंण्डकारण्य में भूमि का आंवटन	Allotment of Land in Dandakaranya	4410–11
1781	दंण्डकारण्य में भूमि का सर्वेक्षण	Soil Survey in Dandakaranya .	4411–12
1782	अमृतसर में पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह	Pak. Spy Ring in Amritsar .	4412
1783	शिक्षा प्रसार कार्यक्रम	Education Extension Programme	4412
1784	तकनीकी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	Technical and Industrial Training	4413
1785	भयोत्पादक विनोद-पुस्तकें (कामिक्स)	Horror Comics . . .	4413
1786	यूनेस्को का हेग सम्मेलन, 1954	1954 Hague Convention of UNESCO	4413–14
1787	दिल्ली में एम० ए० के लिए पत्राचार (कारस्पोंडेंस) पाठयक्रम	Correspondence Courses for M.A. in Delhi	4414
1788	दिल्ली में मिडिल स्कूल परीक्षा	Middle School Examinations in Delhi	4414
1789	दिल्ली में कारों का पंजीयन	Registration of Cars in Delhi .	4415
1790	भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों की नजरबन्दी	Detention of Pakistanis living in India	4415
1791	अलवाय में उर्वरक परियोजना	Fertilizer Project at Alwaye .	4415
1792	एस० जे० टी० बी अस्पताल में मृत्यु	Deaths in SJTB. Hospital .	4416
1793	सैनिक सहकारी मकान निर्माण संस्था	Sainik Co-operative House-building Society . . .	4416

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1794	उत्तर प्रदेश में गन फैक्टरी	Gun Factory in U.P.	4416
1795	छात्रों द्वारा हडतालें	Strikes by Students . . .	4416–17
1796	शिक्षा सम्बन्धी कार्य	Educational Activities . .	4417
1797	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्दी	Detentions under D.I.R. . .	4417
1798	सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को हथियारों का दिया जाना	Arms to Border People . .	4417–18
1799	पंजाब में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत	Consumption of Petroleum and Petroleum Products in Punjab	4418
1800	पंजाब में पोलीटेक्निक संस्थायें	Polytechnics in Punjab . .	4418
1801	मेसर्स नैशनल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	M/s. National Company Ltd., Calcutta	4418–19
1802	दिल्ली में सरपंच को छूरा मारा जाना	Stabbing of a Sarpanch in Delhi	4419
1803	केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच कार्य से सम्बन्धित नियम पुस्तिका	Manual on Enquiries by Central Vigilance Commission . .	4419
1804	दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का डिग्री कोर्स	Four-year Degree Course in Delhi University	4419
1805	प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची (टेलेंट बैंक)	Talent Banks . .	4419–20
1806	आसाम के कुछ गांवों पर घुसपैठियों का कब्जा	Occupation of Assam Villages by Infilitrators	4420
1807	हिमाचल प्रदेश के लिए विश्वविद्यालय	University for Himachal Pradesh	4420
1808	बिहार में गिरफतारियां	Arrests in Bihar	4421
1809	बारमुला में अग्निकांड	Arson at Baramula . . .	4421
1810	उड़ीसा में युवक होस्टल	Youth Hostels in Orissa . .	4421–22
1811	उत्कल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to Utkal University	4422
1812	टैरीलीन के रेशे का उत्पादन	Production of Terrylene Fibre .	4422
1813	कोयला खान भविष्य निधि	Coal Mines Provident Fund .	4422–23
1814	पोलिस्टर रेशे का निर्माण	Manufacture of Polyster Fibre .	4423
1815	राजस्थान में युवक होस्टल	Youth Hostels in Rajasthan .	4423
1816	राजस्थान में संस्कृत का विकास	Development of Sanskrit in Rajasthan . . .	4423–24
1817	सांस्कृतिक समारोह	Cultural Festivals . . .	4424
1818	अलौह धातु विज्ञान में अनुसंधान	Research in non-Ferrous Metallurgy	4424

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1819	कोयला खानों द्वारा उपस्थिति तथा बोनस संबंधी पंजियों का रखा जाना	Maintenance of Attendance and Bonus Registers by Collieries	4424–25
1821	पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में तेल की खोज	Investigations for Oil in Punjab, Himachal Pradesh and J. & K.	4425
1822	पुस्तकालय विधान	Library Legislation . . .	4425
1823	पाकिस्तानियों का निकाला जाना	Deportation of Pakistanis .	4425–26
1824	पैट्रो-रासायनिक उद्योग समूह	Petro-Chemical Industrial Complexes	4426
1825	सरकारी नौकरी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government Service	4427
1826	त्रिपुरा में न्यायिक आयुक्त	Judicial Commissioner in Tripura	4427
1827	त्रिपुरा में पाकिस्तान द्वारा गोली चलाया जाना	Pak. Firings in Tripura . .	4427
1828	मिट्टी का तेल	Kerosene Oil	4428
1829	आयातित अशोधित तेल पर शुल्क	Duty on Imported Crude Oil .	4428
1830	बरौनी कानपुर तेल पाइप लाइन	Barauni Kanpur Oil Pipe Line	4428
1831	स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी	Public Holiday on late Lal Bahadur Shastri's Demise . .	4429
1832	नांगल में उर्वरक कारखाने के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Fertilizer Factory, Nangal . . .	4429
1833	पिछडे वर्गों के लिये मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां	Post-Matric Scholarships to Backaward Classes . .	4429
1834	उड़ीसा में राजनैतिक पीड़ितों को अनुदान	Grants to Political Sufferers in Orissa	4430
1835	पंजाब में तेल का सम्भरण	Supply of Oil in Punjab .	4430
1836	प्रति व्यक्ति (कैपीटेशन) फीस	Capitation Fee . . .	4430–31
1837	अण्डमान में प्रादेशिक परिषद्	Territorial Council in Andamans	4431
1838	इन्द्रावती बेसिन में प्रवासियों को बसाना	Settlement of Migrants in Indravati Basin	4431–32
1839	विटामिन 'सी' का निर्माण	Manufacture of Vitamin 'C' .	4432–33
1840	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central Universities . . .	4433
1841	भारत में साक्षरता	Literacy in India . . .	4433
1842	गैर-सरकारी समवायों द्वारा बोनस का भुगतान	Payment of Bonus by Private Companies	4433–34
1843	मद्रास के किट संस्कृत विश्वविद्यालय	Sanskrit University near Madras	4434

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1844	दृष्य-श्रव्य (ओडी विजुअल) संस्थाये	Audio-Visual Institutes . .	4434–35
1845	केरल में बर्मा से आए हुए व्यक्ति	Repatriates from Burma in Kerala	4435
1846	एर्नाकुलम में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए भूमि	Land for Working Journalists at Ernakulam	4435
1847	केरल में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों का आरक्षण	Reservations for Backward Classes in Kerala	4435–36
1848	उर्वरक कारखाना, कोचीन	Fertilizer Factory, Cochin	4436
1849	मलाबार में मुसलमान छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Muslim Students in Malabar . . .	4436
1850	मंगलौर उर्वरक कारखाना	Mangalore Fertilizer Factory	4437
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re : Question of Privilege . .	4438–39
	अविलम्बनिय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	भारतीय लेखापरीक्षा विभाग में भूख हड़ताल	Hunger Strike in Indian Audit Department . . .	4439–42
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	4443–45
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	नवासीवां और नब्बेवां प्रतिवेदन	Eighty-ninth and Ninetieth Reports	4446
	श्री उमानाथ के पैरोल के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Parole of Shri Umanath—	
	श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	4446–47
	रेलवे आयव्ययक, 1966–67—सामान्य चर्चा—	Railway Budget, 1966-67—General Discussion—	
	श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain .	4447–48
	श्री प० ला० बारूपाल	Shri P. L. Barupal . .	4448–49
	श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodra Bai Rai .	4449–50
	श्री शिवमूर्ति स्वामी	Shri Sivamurthi Swamy	4450
	श्री बेसरा	Shri Besra .	4450
	श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil . .	4451–57
	भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—	Indian Tariff (Amendment) Bill—	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	श्री अलगेशन	Shri Alagesan . .	4457–58, 4460–61
	श्री रंगा	Shri Ranga . . .	4459
	श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	4459–60
	खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . .	4461

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री अलगेशन	Shri Alagesan . . .	4461
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—	Delhi Land Reforms (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	4462–63
श्रीमती सावित्री निगम	Shrimati Savitri Nigam .	4463
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 . .	4463
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	4463
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—	Imports and Exports (Control) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	4463–64
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka . .	4464
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah . .	4465–66
श्री वारियर	Shri Warior . . .	4466
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
छियालीसवां प्रतिवेदन	Forty-sixth Report . .	4466
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
अस्सीवां प्रतिवेदन	Eightieth Report . . .	4467

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 9 मार्च, 1966, 18 फाल्गुन, 1887 (शक)
Wednesday, March, 1966, Phalguna 9, 18, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

\+ **अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन**

*417. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बाल्मीकी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री राम हरख यादव :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) दिसम्बर, 1965 में दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा संस्था के दूसरे प्रादेशिक सम्मेलन ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं, कौन सी सिफारिशें की है ?

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) सम्मेलन की औपचारिक कार्यवाही, जिसमें निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं, अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्था से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have gone into the causes of accidents in coal mines or whether this Committee has made some suggestions in this regard ?

Shri Shahnawaz Khan : This Committee was not meant for that purpose. However Government give full consideration whenever any accident occurs and a very sympathetic consideration is given to the victims of each accident.

Shri Bhagwat Jha Azad : Had our representatives who took part in the Regional Conference of International Social Security expressed their views regarding social security in that Conference and if so, what were their views ?

Shri Shahnawaz Khan : This Conference was held in Delhi from 13th to 18th December under the Chairmanship of Shri D. C. Das, Secretary, Social Security Department. All the suggestions made in the Conference are at present in his office and it is hoped that the same would be known to us shortly. I will let you know the details thereof after that.

श्री सुबोध हंसदा : क्या इस सम्मेलन में भारतीय सामाजिक समस्याओं जैसा कि अस्पृश्यता, तथा आर्थिक पीछड़ापन आदि पर और विशेषतया अनुसूचित जातियों में व्याप्त इन समस्याओं पर विचार किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : पहले वे सिफारिशें प्राप्त होने दीजिये, तभी यह कहा जा सकता है कि क्या किया गया था ।

श्री सुबोध हंसदा : परन्तु सरकार को उस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की कुछ जानकारी होनी चाहिये ।

श्री शाहनवाज खां : सामाजिक सुरक्षा के सब पहलूओं पर विचार किया गया था । किसी पहलू पर चर्चा करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं था । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विस्तृत जानकारी के लिये जब तक हमें सिफारिशें प्राप्त नहीं होती तब तक वे थोड़ी प्रतिक्षा करें ।

श्री स० चं० सामन्त : इस सम्मेलन पर कितनी धनराशी व्यय की गई तथा इस का भार किसने उठाया ?

श्री शाहनवाज खां : ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सामान्य प्रथा यह है कि मेज़बान देश सम्मेलन की स्थान का प्रबन्ध करता है तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्थानीय यातायात टेलिफोन, तथा साचिविक सहायता इत्यादि की सुविधायें प्रदान की जाती है । अन्य सब खर्च जैसा कि दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता आदि स्वयं संबद्ध देशों द्वारा उठाया जाता है ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether Indian delegates have also made some contribution in the deliberations of this conference and if so, what suggestions were given by Government for presenting them in the Conference ?

Shri Shahnawaz Khan : The contribution of the Indian delegates was not an ordinary one. They took a leading part in the deliberations of this Conference. The Conference was presided over by an Indian officer and he guided the proceedings thereof. They have made a great contribution.

Mr. Speaker : Have they made any contribution ? Have they moved any resolution ?

Shri Shahnawaz Khan : If the hon. Members want to know the agenda of the Conference, I can read it out to them. As regards views of each member this can only be informed after a separate notice is received for the same.

Shri M. L. Dwivedi : The suggestions made in the Conference might be known in due course, but Government of India must be aware about the suggestions made by them. I would like to know those suggestions ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : The Conferences of International Bodies are held in accordance with a fixed agenda and the countries participating in the Conference are guided by that agenda. The same procedure was applied here also. There was a definite agenda. I can read out the subjects, what that agenda contained. The Conference was not meant for Indian problems only. The purpose of this Regional Conference was to go into the question of social security in South-East Asian countries. The Conference was attended by the delegates of various countries. The delegates of this country also took part in the deliberations of this Conference and they must have given some suggestions. The suggestions given can only be explained after their details are received.

Shri Bagri : May I know the names of the countries which participated in this Asian Development Conference and whether the common topics like bringing about equality and removal of economic disparity among Asian countries were discussed in the Conference and if the questions of removing economic disparity was gone into, the steps taken in this regard ?

Shri Shahnawaz Khan : The countries which participated in this Conference were Ceylon, Malaysia, Turkey, Israel, Japan, Iran, Philippines, U.S.S.R. and Indies. The main topics of discussion were regarding medical care and certain schemes relating thereto. The psychological and socio-economic aspects schemes in connection with the transition from provident fund to pension, insurance etc. were also discussed. The questions of setting up regional medical and social committees for Asia was also gone into.

Dr. Ram Manohar Lohia : The most important aspect of social security, is to abolish unemployment or to grant unemployment doles to unemployed persons. May I know whether Government of India have assessed the intensity of unemployment ? Have Government ensured the number of those persons who are totally unemployed and the number of those who may be termed as unemployed in comparison to European per capita income ? In this connection I may state that in Europe a proposal is being considered to give a certain minimum grant to those who are unemployed.

Shri Shahnawaz Khan : Unemployment is a major problem. Planning Commission is trying to solve it. Government are considering a proposal to introduce unemployment insurance for those workers who are in employment at present, but who may be out of unemployment in future. This scheme is being formulated under the supervision of a Committee.

Shri Kishen Pattnayak : May I know whether the Indian delegates have put forward the plea that one of the main reasons for social insecurity in India is disparity as a result of their birth and social status ? Some persons suffer disability because of their birth and, therefore, it is not enough to provide them equal opportunities, instead they should be given preferential opportunities.

Shri Shah nawaz Khan : It has been provided in our Constitution . . .

Mr. Speaker : Had this problem been discussed there ?

Shri Shahnawaz Khan : This problem was not discussed there.

Shri Ram Harkh Yadav : We are waiting for the report of the Conference which was a subject matter of discussion in Delhi for one week. May I know why Government are not presenting that report regarding backward classes for implementation, which was prepared ten years ago ?

Shri Shahnawaz Khan : This is a separate question.

Shri Sheo Narain : May I know whether the question of establishing a classless society was considered by the delegates of those countries, which participated in this Conference ?

Shri Jagjivan Ram : Does this whole question come under the perview of social security ?

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या पहले जो सम्मेलन हुआ था उस में सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और क्या सरकार ने उस सम्मेलन की किसी सिफारिश को क्रियान्वित किया है ?

श्री शाहनवाज खां : पहला सम्मेलन टोक्यों में तीन वर्ष पूर्व हुआ था। उस सम्मेलन की कार्यवाही का वृत्तान्त तथा उस पर कोई क्रियान्विति हुई है अथवा नहीं यह ब्यौरा अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इन सब बातों का पता जब ही चलेगा तब हमें उसकी कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त हो जायेगा।

श्री मं० रं० कृष्ण : श्रीमन, एक वर्ष हो गया परन्तु उन्होंने एक भी शिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है।

अध्यक्ष महोदय : इस में मैं क्या कर सकता हूं।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि इस सम्मेलन की कार्यवाही का औपचारिक वृत्तान्त अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस लिये भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उन्होंने कहा "प्रश्न नहीं उठता" निस्संदेह प्रश्न में सम्मेलन की कार्यवाही के औपचारिक वृत्तान्त के बारे में नहीं पूछा गया था। इस में तो केवल उस की सिफारिशों तथा निष्कर्षों के बारे में पूछा गया था जो कि सरकार की जानकारी में हैं। सरकार हमें यह क्यों नहीं बताती कि सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह एक सीधी सी बात है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय है। यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के तत्वावधान में हुआ था। जब तक हमें उस सूत्र से कार्यवाही का वृत्तान्त प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह बताना कठिन है कि वहां क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। यह सूचना अधिकृत नहीं होगी। यह भारत सरकार का सम्मेलन नहीं था, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था।

श्री कपूर सिंह : अधिकृत कार्यवाही वृत्तान्त में निष्कर्षो तथा सिफारिशों को परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

Conversion of Employees' Provident Fund into Pension

†

*418. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadhav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri D. C. Sharma :
Shri P. C. Borooah :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Madhu Limaye :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Yashpal Singh :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Vishram Prasad :
Shri Utiya :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Murli Manohar :
Shri A. N. Vidyalankar :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to convert a part of Employees' Provident Fund into Pension;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the salient features of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) A working Group has been set up to prepare a Retirement/Family Pension Scheme for workers who are members of the Employees' Provident Fund and the Coal Mines Provident Fund.

(b) & (c). Do not arise.

Dr. Ram Manohar Lohia : The amount of the provident fund is paid to a workman after an expiry of 30 years. May I know the exact value that a workman would receive for his rupee that he deposited thirty years back ? I hope the Minister is aware that the value of rupee has gone down substantially within these thirty years.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवनराम) : माननीय सदस्य ने पूछा है कि रुपये का वास्तविक वर्तमान मूल्य क्या है । यह भारत सरकार के कई प्रकाशनों में दिया हुआ है । माननीय सदस्य उनसे यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : The attitude of the Minister is not very desirable. I only wanted to impress upon him that a workman is receiving 3 annas worth for a rupee, which he deposited thirty years back.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan) : A workman would get that amount which is admissible under the rules in accordance with his deposits. The aspect whether the cost of living index has gone up or not will not be taken into consideration for this purpose.

Mr. Speaker : The question was about the present value of a rupee that was deposited by a workman thirty years ago. He has no reply to this questions. The hon. Member may ask another question.

श्री हेम बरुआ : पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि यह जानकारी बहुत से सरकारी प्रकाशनों में उपलब्ध है । यदि यह सरकारी प्रकाशनों में उपलब्ध है तो उसे सदस्यों की जानकारी के लिये सभा में बताने में माननीय मंत्री को क्या हानि है ?

Shri Madhu Limaye : He may indicate the name of any such Government publications. It is not sufficient to say that that is available in Government publications.

अध्यक्ष महोदय : सरकारी प्रकाशनों में दी गई समस्त जानकारी को स्मरण रखना उनके के लिये संभव नहीं है । डाक्टर साहब, दूसरा सवाल करिए ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know the exact value of the amount that would be payable to a workman, at the time of his retirement, who had deposited a sum of Rs. 5,000 during his service. I would point out in this context that the value of the amount that would be payable to him, would be worth Rs. 1,000 only. The workmen are being looked in the name of Provident Fund.

Mr. Speaker : This is a matter for calculation.

Shri Bagri : May I know whether under the present Provident Fund Rules the workman is not compensated for the loss which he suffers as a result of the loss of value of the rupee during the intervening period of his deposits and withdrawlas and whether Government propose to compensate the above loss suffered by the workman?

Shri Jagjivan Ram : The payment is made under the Provident Fund Rules which envisage the payment of contributions from the employer and the workman plus interest according to the prescribed rates. It has not been provided in the act to compensate the loss suffered by the workman as a result of the loss of rupee value.

Shri Kishen Pattnayak : It has now been made clear that the workman is suffering a great loss due to this continuing decrease in money value of the rupee. May I know whether Government would make an estimate of the total loss suffered by the workmen in the country so far within next two months and whether Government would amend the Provident Fund Rules so that the workmen may be compensated for their loss ?

Shri Jagjivan Ram : No, Sir.

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने बताया कि एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्यकारी दल के सदस्य कौन कौन हैं, उन्हें क्या क्या काम सौंपा गया हैं तथा कब तक वे अपना काम पूरा कर लेंगे ?

श्री शहानवाज खां : इस कार्यकारी दल के सदस्य ये हैं--श्री डी० सी० दास, सचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग, भारत सरकार ; श्री एन० एन० चटर्जी, श्री वी० एन० दातार, श्री नायडु तथा बहुत से अन्य अधिकारी । विचारार्थ विषय ये हैं :-- कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के सभी सदस्यों सहित परिवार पेंशन निधि के वित्तीय पहलूओं की जीवनांकिक जांच करना ; इस बात की जांच करना कि क्या $6\frac{1}{4}\%$ की पुरानी दर तथा बढ़ाई गई 8% की दर के अन्तर से, अर्थात मजूरी के $3\frac{1}{2}\%$ से बनाई गई निधि परिवार पेंशन की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जीवित रहने पर समुचित लाभ देने के लिये पर्याप्त होगी तथा अन्य बहुत सी बातें ।

श्री दी० चं० शर्मा : वे कब तक यह जांच पूरी कर लेंगे?

श्री शाहनवाज खां : हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो जायगा ।

Shri M. L. Dwivedi : Was there any suggestion to include a certain portion of Provident Fund into pension and if so what was the quantum of that portion and whether any consideration has been given to that suggestion ?

Shri Shahnawaz Khan : The whole matter is under consideration and as soon as the Committee.....

Shri M. L. Dwivedi : I wanted to know the portion for which this suggestion was given.

Shri Shahnawaz Khan : I have already stated that it will be considered whether a fund be created out of the difference between the old rate of $6\frac{1}{4}$ per cent and the enhanced rate of 8 per cent.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether Government propose to introduce in principle the scheme of converting Provident Fund into pension in all industries or whether it will be introduced in a particular industry after the report of the Committee investigating the question of converting Provident Fund into pension is received ?

Shri Shahnawaz Khan: At present Government wants to extend this scheme to the industrial workers who are covered under the Coal Mines Provident Fund. The desirability of extending this scheme to other industries will be considered later on.

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय यह मंत्रालय ही कर लेगा अथवा उसे वित्त मंत्रालय की राय जानने के लिये भी भेजा जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : वस्तुत: यह मामला एक से अधिक मंत्रालयों से सम्बन्धित है और इस के बारे में एक समन्वित निर्णय किया जायेगा ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह कार्यकारी दल केवल कोयला खान मजदूरों के प्रश्न पर विचार करेगा अथवा अन्य मजदूरों के प्रश्न पर भी विचार करेगा ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल तो केवल उन ही मजदूरों के प्रश्न पर विचार करेगा जो इसके कार्य-क्षेत्र में आते हैं ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government's attention has been drawn to those old Government servants who retired from Government service between 1947 and 1957 and whose provident fund had been exhausted due to reduction in money value of the rupee and whether the Government propose to introduce a pension scheme for those old Government servants ?

Shri Shahnawaz Khan : This question does not relate to Government employees. This relates to industrial workers. But I may inform the hon. Member that Government are considering an old age pension scheme.

श्रीमती सावित्री निगम : मंत्रालय ने यह समिति किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाई है ? क्या इस से मजदूरों के परिवारों के सदस्यों को कोई वास्तविक लाभ होगा ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, संक्षेप में इस का उद्देश्य ही यह हैं। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं कि भविष्य निधि अधिक लाभकारी है अथवा परिवार पेंशन। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य सम्मेलनों की राय में पेंशन देना अधिक लाभकारी है क्योंकि इस से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है।

Shri Vishram Prasad : As the hon. Minister has said that no change is going to be made in the law and as the economic experts have said that the value of rupee has gone down to 17 paise, may I know whether Government will increase the rate interest; if so, its extent and nature ?

Shri Jagjivan Ram : It has been stated that no change in the law is contemplated. The hon. Member should know that whenever there is difference in real wages paid by Government and Industry, an effort is made to reduce it by grant of dearness allowance.

Shri Ram Harakh Yadav : May I know the difficulties being felt in introducing this Provident Fund Scheme and Pension Scheme in all private and public factories etc.?

Shri Shahnawaz Khan : Answer to this question has already been given.

Shri Yashpal Singh : Government has not indicated the amount outstanding against Government and Millowners in this regard. May I know the figures?

Shri Shahnawaz Khan : The total investment in Provident Fund is about Rs. 550 crores. The Millowners have not paid the amount as yet and Government is taking legal action to get the amount from them.

राजनैतिक नज़रबन्दियों की नज़रबन्दी के बारे में नियम तथा शर्तें

+

*419. **श्री वारियर** : **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री प्रभात कार** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत राजनैतिक नज़रबन्दियों की नज़रबन्दी के बारे में एक समान नियम तथा शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : नजरबन्दियों की राजनीतिक नज़रबन्दी नामक कोई श्रेणी नहीं है। नज़रबन्दी की शर्तों को तय करना प्रमुखतः राज्य सरकारों का काम है, किन्तु अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में सुरक्षा की दृष्टि से नजरबन्द किये गए व्यक्तियों की नजरबन्दी की शर्तों में एकरूपता लाने की व्यवस्था करने के विचार से कुछ सुझाव दिये हैं। ये सुझाव नजरबन्दों को जेलों में दी जाने वाली श्रेणी, वस्त्रों, मुलाकातों और पत्र-व्यवहार तथा अन्य सुखसुविधाओं के बारे में हैं।

श्री वारियर : हमें पता चला है कि हाल ही में राजनैतिक नज़रबन्दों––उनका वर्गीकरण है या नहीं परन्तु सभी जानते हैं कि राजनैतिक नजरबन्द कौन है––को वर्ग 'ए' के नजरबन्द का दर्जा दिया गया है; यदि यह ठीक है तो क्या यह सभी राज्यों में समान है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सुरक्षा नज़रबन्दों के वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया था और केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से कहा है कि इन को यदि संभव हो तो वर्गों में रखा जाये।

श्री वारियर : क्या नज़रबन्दों के परिवार भत्ता देने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि इस बारे में दरें समान होनी चाहिये और यदि राज्यों को धन की आवश्यकता हो तो केन्द्रीय सरकार सहायता देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को सुझाव दिया है कि सुरक्षा नजरबन्दों को एक समान परिवार भत्ता मिलना चाहिये और जहां तक संभव हो यह न्यूनतम 50 रुपये प्रतिमास होना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न राज्यों में नज़रबन्दों की सुविधाओं में बहुत अन्तर है और उनमें से बहुत लोगों ने इस कारण से जेल में अनशन भी किये हैं और इस प्रकार की नजरबन्दी तीन वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है, केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 353 के अन्तर्गत राज्यों को निदेश जारी क्यों नहीं किया ताकि एकसमान शर्तें लागू की जा सकें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसा निदेश आवश्यक नहीं है। शर्तों के बारे में कुछ मतभेद था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा है और एकसमानता के कुछ सुझाव दिये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कब?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पहले यह 1962 में किया गया था और जब महान्यायवादी ने यह मामला केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया तो सरकार ने राज्यों को एक और परिपत्र भेजा। अब नज़रबन्दी के बारे में शर्तें तथा सुविधाएं लगभग एक समान हैं। हां, कुछ अन्तर है।

श्री वासुदेवन नायर : माननीय मंत्री ने कहा है कि अभी कुछ राज्यों में शर्तों आदि में अन्तर है और इस बारे में पहले हिदायतें 1962 में जारी की गई थीं। क्या हमें यह समझना चाहिये कि कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सलाह की परवाह नहीं करती हैं जैसे पश्चिमी बंगाल में लोगों को भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार करती जा रही है चाहे गृह-कार्य मंत्री ने इस बारे में यहां पर वक्तव्य भी दिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक नजरबन्दी की शर्तों का सम्बन्ध है ऐसी बात नहीं है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के सुझावों की परवाह नहीं करतीं। वे तो उनको कार्यान्वित करती हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम जानना चाहते हैं कि एक समानता लाने सम्बन्धी कानून को लागू करने में राज्य सरकारों को क्या कठिनाई अनुभव हो रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कोई भी कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है। कुछ राज्य सरकारें शीघ्रता से कार्यान्वित करती हैं और कुछ शीघ्रता से नहीं करतीं (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री रंगा : इसका क्या कारण है ?

श्री हेम बरूआ : कई बार सरकार ने कहा है कि राज्यों की सरकारों से कहा गया है कि भारत रक्षा नियमों के प्रयोग में उदारता की जाये ?

इस बारे में क्या कुछ राज्य सरकारों जैसे बिहार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है, यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी भी राज्य सरकार ने इस सुझाव का विरोध नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने इसे कार्यन्वित नहीं किया है। इसके विपरीत बिहार के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जो कि समाचार पत्रों में भी छपा है कि वह इस सुझाव पर अमल नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनकी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : बिहार ने इस सुझाव का विरोध नहीं किया है। एक सुझाव जो कि उन्होंने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है परन्तु ऐसा करने को कहा है। यह न्यूनतम भत्ते के बारे में है।

श्री रंगा : त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के मजदूरों को कम से कम 100 रूपये मजूरी देने की कोशिश होनी चाहिये । मेरे विचार में रेलवे ने इसे कार्यान्वित कर दिया है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जेल के बन्दियों और नजरबन्दों को 100 रुपये परिवार भत्ता देना क्यों उचित नहीं समझा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह परिवार भत्ता मजूरी नहीं है और दूसरी और भी कई बातों को ध्यान में रखना होता है।

श्री रंगा : वह यह भी नहीं कह रहे कि सरकार इस पर विचार करेगी। किसी वरिष्ठ मंत्री को यहां होना चाहिये। उपमंत्री उचित उत्तर देने के योग्य नहीं हैं। वरिष्ठ मंत्री कहां है ?

श्री श्यामलाल सर्राफ : भारत रक्षा नियमों को संसद ने पारित किया है और राज्य सरकार उनपर अमल कर रही हैं। क्या इन नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियों और नजरबन्दी के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचना मिल रही है जैसे कि कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है और उनको कितना परिवार भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें जानकारी दे दी जाती है।

श्री दी० चं० शर्मा : शेख अब्दुल्ला जो कि देशद्रोह के समर्थक है कि नजरबन्दी की शर्तों और भत्ते की दरों तथा इस सभा के माननीय सदस्य श्री अ० क० गोपालन की नजरबन्दी की शर्तों में अन्तर क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह नजरबन्दी की शर्तों में भिन्नता होने के कारण है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह कोई राजकीय नज़रबन्द हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शेख अब्दुल्ला को क्या भत्ता दिया जा रहा है और श्री गोपालन को कितना ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बारे में अन्तर का प्रश्न नीति का प्रश्न है जिसका मैं प्रश्न काल में उत्तर नहीं दे सकता। परन्तु भत्त के बारे में यदि अलग से सूचना मिले तो मैं जानकारी दे सकता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मूल प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदय ने कहा है कि कोई राजनैतिक नजरबन्द नहीं है । अंग्रेज़ों के राज्यकाल में हमारे आज के शासकों को जब बंदी बनाया जाता था तो इनके साथ राजनैतिक बंदियों का सा व्यवहार होता था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अपने राजनैतिक प्रतिपक्षियों को राजनतिक बन्दी क्यों नहीं मानती ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस देश में किसी को भी इस लिये बन्दी नहीं बनाया गया है कि वह राजनैतिक प्रतिपक्षी हैं । उन्हें भारत रक्षा नियमों के अन्जंत बन्दी बनाया है क्योंकि देश की सुरक्षा को खतरा है । इसी कारण उन्हें सुरक्षा सम्बन्धी बन्दी कहा जाता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें 'राजनैतिक' अर्थ मालूम नहीं है ।

श्री रंगा : उनके पिता भी बन्दी थे । इसलिये उन्हें मालूम होना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह एक नये मंत्री है । इसी लिये शायद इनको 'राजनैतिक' का अर्थ मालूम नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अंग्रेजों के समय में भी जिनको सुरक्षा अधिनियम के अधीन बन्दी बनाया जाता था उन्हें राजनतिक बंदी कहते थे परन्तु अब उनको राजनैतिक नजरबन्द नहीं मानती ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्हें नजरबन्द इस लिये किया जाता है क्योंकि वे राजनैतिक विरोधी है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि उपमंत्री स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते तो श्री हाथी को बताना चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): जैसा कि मेरी सहयोगी न बताया है उन लोगों को इस लिये बन्दी नहीं बनाया जाता कि वे किसी राजनैतिक दल के सदस्य होते है .....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह बिल्कुल विभिन्न बात है ।

श्री हाथी : उनको उनकी कार्यवाहियों के कारण नजरबन्द किया जाता है .

बेरोजगारी बीमा योजना

\+

*420. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसेवक यादव :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 254 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बेरोजगारी बीमा योजना लागू करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उसके लिए कितनी राशि दी गई है;

(घ) क्या उस पर होने वाले व्यय में राज्य सरकारों का भी भाग होगा ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) उत्तर का नकारात्मक हो, तो निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : अभी तक ड्राफ्ट स्कीम के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ङ) ड्राफ्ट स्कीम को अक्तूबर, 1965 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 23वें अधिवेशन के सामने रखा गया था और तब यह फैसला किया गया कि ब्यौरे पर स्थायी श्रम समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए । इस बीच प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में ड्राफ्ट स्कीम में कुछ संशोधन किए गए तथा उसे 13 और 14 फरवरी को हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में रखा गया । समिति ने इस ड्राफ्ट स्कीम पर विचार-विमर्श स्थगित करने का निर्णय किया ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have got figures indicating the number of persons who have become unemployed during three plans and number of such persons at present ?

Shri Jagjivan Ram : This scheme is proposed to be implemented for those who are in employment and are thrown out of employment for some time or are retrenched.

Shri Yashpal Singh : If Government is not in a position to indicate the total number of persons who are unemployed, they should give the number of those who are B.A. and M.A. but are unemployed.

Shri Jagjivan Ram : It is not contemplated like that. As I have said that this scheme is not as the hon. Member is thinking. The number of persons this scheme is likely to cover is 48 lakhs.

Shri Bagri : No steps are being taken to remove unemployment. It should be tackeld sincerely. What are the total figures about unemployment and the efforts being made to tackle this problem ?

Shri Shahnawaz Khan : This question is not concerned with the main question. In case hon. Member wants to know, a separate notice should be given.

Shri Kishen Pattnayak : What has been the progress under Article 41 of the Constitution in the matter of employment ?

Shri Shahnawaz Khan : These figures are not available at this moment.

Dr. Ram Manohar Lohia : This scheme is for 48 lakh persons and not for 48 crores. I want to know the number of casual labour among this 48 lakhs persons and whether they would also be covered ?

Shri Jagjivan Ram : The 48 lakh persons who are covered under this scheme include regular and casual labour, both.

Shri S. M. Banerjee : All are not covered.

Shri Jagjivan Ram : This Provident Fund Scheme is proposed to be introduced in the case of 48 lakh persons.

Dr. Ram Manohar Lohia : What is being done for the casual labour?

Shri Jagjivan Ram : I do not have the figures but I shall try to get the information.

Shri Vishram Prasad : The Minister has just told that there are 48 lakh people who have been turned out due to retrenchment.

Shri Tyagi : Where has this been said ?

Shri Vishram Prasad : What has been done for those people who are employed as casual labour for ten or fifteen days and then turned out ?

Shri Shahnawaz Khan : Only those 48 lakh people who are covered by Provident Fund have been included. The rest are not being considered at present.

श्रीमती सावित्री निगम : इस समिति के निर्देश पद क्या हैं और बेकारी बीमा योजना संबन्धी अपने निश्चयों को समिति कबतक अन्तिम रूप दे देगी ?

श्री शाहनवाज खां : योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है जो स्थायी श्रम समिति को भेजा जायेगा । ऐसा विचार है कि उस पर समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : निर्देश पद क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी

Shri M. L. Dwivedi : Under the draft scheme, what is the provision for assistance during unemployment ? What is proposed to be done for those of the 48 lakh people who will become unemployed or who will be retrenched ?

Shri Shahnawaz Khan : Under the draft scheme, a labourer who is retrenched or removed from service, will get fifteen day's pay for every year of service put in by him. For example, if a man puts in 10 years service, he is entitled to 5 months' pay.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) **:** Based on my own experience I can say that when the factory owners employ labour, they do not allow them to work permanenetly; they turn them out after a month. This is going on in coal mines, in small-scale industries, in large-scale industries, in the private sector and everywhere. Are Government propose to take any specific steps against the employers who do not let the employees complete 240 days of their service to enable them to benefit from the Provident Fund Scheme ?

Shri Shahnawaz Khan : I concur with the honourable Member. Government also are making efforts to do away with this sort of injustice on the part of the employers and I am happy to be able to say that the Trade Union Movement has since much advanced and it itself can safeguard the rights of the workmen now.

श्री लिंग रेडी : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह योजना केवल उन्ही लोगों पर लागू होती है जो नौकरी में हैं अथवा जिसकी छंटनी की जाने की संभावना है । क्या कोई ऐसी योजना भी है जिनके अन्तर्गत शिक्षित अथवा अशिक्षित बेकार लोगों को रोज़गार मिल सके ?

श्री शाहनवाज खां : शिक्षित और बेकार लोगों को रोज़गार दिलाने के लिये रोज़गार दफ़्तर है ।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार इस बीमा योजना को कम से कम सीमित मात्रा में ही सही शीघ्र चालू करने का विचार कर रही है या वह समितियां ही नियुक्त करती चली जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : इस बेरोज़गार बीमा योजना से बहुत से हित संबद्ध हैं । एक ओर तो मालिक है और दूसरी ओर नौकर हैं । हमें दोनों ही पक्षों के दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिये । मामले पर विचार करने के बाद एक योजना का मसौदा बनाया गया है । उस पर स्थायी श्रम समिति विचार करेगी और उसके बाद कोई निर्णय लिया जायेगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Adjournment Motions have been tabled on this important scheme from time to time. When it was adjourned in the last consultative committee, did they take any decision to finalise this scheme within a limited time or the adjourment was *sine die* ?

Shri Shahnawaz Khan : Government want to bring in this scheme as early as possible, but, as I have already said, sometimes the employers oppose it and sometimes the employees raise objections. There are so many matters which need serious consideration. The Standing Labour Committee will finalise it in their next meeting and we intend to do so as early as possible.

श्री स० चं० सामन्त : यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ? क्या उसको विधान का रूप दिया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : स्थायी श्रम समिति द्वारा योजना के परिनिरीक्षण और जाँच के पश्चात इस बारे में निर्णय किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा ।

श्री हेम बरुआ : प्रोफेसर शर्मा को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । वह 420 नहीं हो सकते ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं नहीं जानता कि वह क्या कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बहरहाल, यह उनके लिये नहीं था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह 420 हैं । आप उनको किस प्रकार रोक सकते हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा : आप 840 हैं ।

श्री त्यागी : 2 × 420 !

श्री दी० चं० शर्मा : इन 48 लाख श्रमिकों के लिये बेरोज़गारी बीमा योजना के अन्तर्गत विधान बना कर, क्या सरकार अन्य बेरोज़गार लोगों के मामले पर भी विचार करेगी या उनका मसला हमेशा के लिये यों ही खटाई में पड़ा रहेगा ?

श्री जगजीवन राम : उन व्यक्तियों का बेरोज़गारी बीमा जो औद्योगिक श्रमिकों की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं श्रम मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है । जहां तक समाज के अन्य वर्गों का संबन्ध है, मेरा विचार है कि उनके बारे में सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय विचार करेगा ।

+ औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन योजना

*421. **श्री बागड़ी :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रा० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन योजना अन्तिम रूप से तैयार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना से किन श्रेणियों के लोगों को लाभ होगा; और

(घ) इसे कब से लागू करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : अभी तक ब्यौरा तैयार करना है । परन्तु आरम्भ में कर्मचारी निर्वाह निधि और कोयला खान निर्वाह निधि के सदस्यों को योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है ।

(घ) आशा है कि इस मामले को 1966 के अन्त तक अंतिम रूप दे दिया जायगा । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर पहिले ही दे दिया गया है ।

Shri Bagri : How many workers are expected to get benefit from this pension scheme ?

Shri Shahnawaz Khan : As I have already said, about 48 lakh workers are covered by the provisions of the Provident Fund Scheme and the pension scheme applies to them.

Shri Bagri : By when they will start getting pension under this scheme ? Has Government made any decision in this regard ?

Shri Shahnawaz Khan : No date can be fixed yet. The question is before a Committee and a Working Group has been considering the matter. The latter will submit its recommendations and Government will arrive at a decision only after considering those recommendations.

Dr. Ram Manohar Lohia : Has Government made provision for education of workers' children in the pension scheme ?

The Minister for Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : No. The House is perhaps aware that there is a Coal-mines Welfare Fund out of which arrangmements for workers' heath, cleanliness and security etc. are made. Arrangements for education of workers' children is also made out of this Fund. We are also thinking of soon providing for scholarships on a large scale for higher education of workers' sons.

Dr. Ram Manohar Lohia : Daughters, too !

Shri Kisben Pattnayak : Just as schemes are being made for industrial workers, is there any proposal under consideration for drafting a scheme for the agricultural labour ?

Mr. Speaker : This question relates to the industrial workers.

Shri Madhu Limaye : Of late a number of rules relating to the industrial workers have also been applied to the agricultural labour.

Shri Yashpal Singh : It has been just told that there is a proposal for granting scholarships to children of workers but the total amount allotted for this purpose and the manner in which it will be distributed has not been told. While some families have four children who may be studying, others may have only one such child. How will the distribution be made equitable ?

Shri Jagjivan Ram : There is still so much disparity in society. As I have already said, there is a Coal-mines Welfare Fund. I think workers' children will be granted scholarships on a large-scale from out of this fund to enable them to carry out their higher studies. It is not possible at present to indicate the amount that will be allotted for the purpose.

Shri Vishwa Nath Pandey : Has the Committee, which has been appointed to make pension scheme for the industrial workers, submitted any interim report ?

Shri Shahnawaz Khan : None has been received so far.

Shri D. N. Tiwary : What will be the financial implications of the industrial establishments where this scheme will be enforced ?

Shri Shahnawaz Khan : This is being worked out by the Committee.

श्री रा० बरुआ : क्या वित्तीय वचनबन्धों की गणना कर ली गई है ? कितने रुपये का अंशदान किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : समिति इस मामले पर विचार कर रही है । विचार यह है कि भविष्यनिधि का कुछ अंश पैंशन योजना में शामिल कर दिया जाये और मालिक और श्रमिक दोनों के द्वारा मिला कर दी हुई राशि कुल पैंशन की 3.5 प्रतिशत होगी ।

Shri Rameshwaranand : The honourable Minister says that there are 48 lakh temporary and permanent unemployed people for whose families Government propose to give pension. How many more similar workers are expected to be given such pensions during the period of the Fourth Five Year Plan ?

Shri Shahnawaz Khan : I have not said that there are 48 lakh unemployed people. I have said that there are 48 lakh workers who are covered by the Provident Fund Scheme and who will get these benefits.

Shri Rameshwaranand : What about assistance to be given during the Fourth Five Year Plan ?

Mr. Speaker : He wants to know how much this number of 48 lakh people will increase during the Fourth Five Year Plan ?

Shri Shahnawaz Khan : I hope the number will increase appreciably. As the country will progress, so will the number of these people.

Shri Tulsidas Jadhav : The textile mills have been closed by the onwers. Those workers who have been rendered unemployed are not getting back their provident fund which is due from Government or from the employers. Will such workers also get this family pension ?

Shri Shahnawaz Khan : All those workers who are contributing towards provident fund will get benefit from this scheme.

श्री रंगा : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है अथवा निर्णय करने का विचार है कि इस योजना से होने वाले लाभ आरम्भ में कम से कम रेल कर्मचारियों, डाक व तार कर्मचारियों और खानों में काम करने वाले, जिनमें में अबरक की खानों में काम करने वाले श्रमिक भी शामिल हैं, सब श्रमिकों को भी प्राप्त हों ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक रेल कर्मचारियों का संबन्ध है, उन में से अधिकतर इस के अन्तर्गत आते हैं । और जहां तक डाक व तार विभाग के कमचारियों का संबन्ध है, मेरा विचार है कि उनमें से प्रत्येक इस के अन्तर्गत है । उनको वे सब लाभ इस कारण उपलब्ध है, कि वे लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे हैं । अबरक की खानों में काम करने वालें को भी यह लाभ शीघ्र मिलने लगेंगे ।

श्री अ० प्र० शर्मा : चूंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि संभव हुआ तो सामयिक श्रमिकों के मामले पर भी विचार किया जायेगा, तो क्या इन 48 लाख लोगों में जो भविष्य-निधि और पैंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं रेल विभाग, डाक और तार विभाग और प्रतिरक्षा मंत्रालय में काम करने वाले सामयिक श्रमिक भी शामिल हैं ?

श्री जगजीवन राम : वह योजना उन विभागों पर लागू नहीं होगी परन्तु यदि माननीय सदस्य उन विभागों को भी शामिल करें तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है ।

श्री प्रिय गुप्त : यह देखते हुये कि माननीय श्रम मंत्री ने कहा है कि बेरोजगारी बीमा योजना बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कि रेल कर्मचारियों के लिये पैंशन योजना है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्री रेल मंत्रालय से उदार पेंशन नियमों को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मचारियों पर भी पेंशन योजना स्वीकार कर सकने के विकल्प को लागू करने को कहेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : इसका का उत्तर रेल मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये ।

श्री प्रिय गुप्त : माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि रेल कर्मचारियों की पैंशन योजना के अन्तर्गत बेरोज़गारी बीमा योजना के लाभ भी आते हैं । प्रश्न यह है कि इस उपाय को देखते हुये वर्तमान कर्मचारियों को विकल्प संबंधी सुविधा दी जायेगी या नहीं ?

श्री जगजीवन राम : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं मैं ने वैसा मैं ने नहीं कहा है । परन्तु जो वह कह रहे हैं उस के बारे में रेल मंत्रालय को बता दिया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि अभी हाल के पाकिस्तानी और चीनी आक्रमण के दौरान मिलिट्री इन्जिनियरिंग सेवा तथा 'सीमा सड़क संगठन' जैसे प्रतिरक्षा स्थापनाओं में अनेक सिविल कर्मचारी मर गये थे ? यदि हां, तो क्या यह परिवार पैंशन योजना ऐसे लोगों पर भी लागू होगी ?

श्री जगजीवन राम : मेरा विचार है कि ऐसे जवानों के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने पर्याप्त प्रबंध किया हुआ है ।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ।

श्री जगजीवन राम : अभी योजना लागू नहीं की गई है । यह प्रश्न कि यह योजना उन लोगों पर भूतलक्षी प्रभाव से किस प्रकार लागू होगी अलग से निपटाया जा सकता है और इस पर विचार किया जा सकता है कि उन के लिये क्या किया जा सकेगा ।

संश्लिष्ट (सिंथेटिक) औषध कारखाना, हैदराबाद

+

*422. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में प्रस्तावित संश्लिष्ट औषध कारखाने में पूरा उत्पादन कब से आरम्भ हो जाने की आशा है और क्या सोवियत संघ ने तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(ख) कारखाने के विषैले मल निस्राव (एफलूएंट) को निपटाने की समस्या किस प्रकार हल हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि जीवाणुओं (बैक्टीरिया) के प्रयोग से मल निस्राव को अहानिकर बनाने के हेतु एक जीव विज्ञान सम्बन्धी (बाइलोजिकल) शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक ब्रिटिश फर्म ने पेशकश की है ; और

(घ) यदि हां, तो यह पता लगाने के लिये कि कौन से जीवाणु उपयुक्त होंगे, क्या बड़ संयंत्र का डिजाइन बनाने से पहले एक प्रायोगिक संयंत्र लगाया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) संश्लिष्ट औषध कारखाना जो इस वर्ष के तृतीय चतुर्थांश में चालू होगा, के चालू होने की तारीख से लेकर लगभग $2\frac{1}{2}$ से 3 वर्षों के बाद पूरा उत्पादन करेगा । सोवियत संघ ने आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

(ख) कारखाने से मल निस्त्राव का दो हिस्सों में पृथक्करण होगा । ब्लाक नम्बर 8 से एक हिस्से का चूने के प्रयोग द्वारा निष्प्रभावित किया जायेगा और इस के बाद पंक (Slurry) का शुष्क कीच तयों में ले जाया जायगा । छनित को नगर मलमूत्र तंत्र में ले जाया जायेगा । केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थय इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, नागपुर द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुसार दूसरे हिस्से को जीवाणुओं साथ प्रयोग किया जायेगा ।

यदि कारखाने की वास्तविक कार्यान्विति में सर्वथा अधिक विषैले मल निस्राव प्राप्त हुये, तो उनका और निराकरण किया जायेगा और विशेष एंव अभेद्य पत्थर से रेखांकित कड़ाहों में सौर वाष्पन (Solar Evaporation) द्वारा निपटान किया जायेगा ।

(ग) मल निस्रावों के जीवाणु प्रयोग की समस्या को केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषण संस्था, नागपुर और मैसर्ज़ सिमेन कारवेस नामक एक ब्रिटिश फर्म के, जो रसायन मल निस्रावों के जीवाणु प्रयोग में विशेषज्ञ है, सामने रखा गया। उपर्युक्त दो पार्टियों द्वारा किये गये विस्तृत अन्वेषण प्रयोग के करने के बाद केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषण संस्था, नागपुर द्वारा पेश की गई स्कीम को कम्पनी ने स्वीकार कर लिया है।

(घ) केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थय इंजीनियरिंग गवेषण संस्था ने उसी प्रकार के (Simulated) मल निस्रावों के तजुर्बे किये और इन तजुर्बों को, जो इन मल निस्रावों के निपटान से सम्बन्धित समस्या के ब्योरे की जांच करने के लिये कम्पनी द्वारा नियुक्त की गई थी, विशेषज्ञों की एक समिति ने देखा। जीवाणु कार्यवाही से इन तजुर्बों के आधार पर कम्पनी ने यह स्कीम स्वीकार कर ली है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : संयंत्र पर कितना खर्चा आयेगा और उत्पादन की कुल कितनी मात्रा होगी।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : एक योजना पर 80 लाख रुपये और दूसरी पर 52 लाख रुपये का व्यय होगा। हम दोनों योजनाओं की जांच करेंगे और देखगे कि कौनसी स्वीकार करने योग्य है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : उत्पादन की मात्रा कितनी है ?

श्री इकबाल सिंह : प्रति वर्ष 850 मीट्रिक टन उत्पादन होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : ब्रिटिश फर्म से किन शर्तों पर करार किया गया है ?

श्री इकबाल सिंह : हमने उनसे इन मल निस्रावों के सम्बन्ध में प्रयोग करने के लिये कहा है और करीब 15,000 रुपये दिये हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या भारत ने विदेशों में संश्लिष्ट औषध संबन्धी पेटेन्ट लिये हुये हैं और क्या देश के अंदर और विदेशों में इन पेटेन्टों का विदोहन करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : अभी तक हम ने कोई पेटेन्ट नहीं लिये हैं। रुस हमारी सहायता कर रहा है और हम सल्फ़ा तथा अन्य औषधियां तैयार करेंगे। हम ने कोई पेटेन्ट नहीं दिये हैं परन्तु हम रुस से पेटेन्ट और जानकारी लेकर औषध बनाते हैं।

Food Aid from Abroad

S.N.Q.No.4. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the nature of response to the appeal made by the Government of India to the countries of the world for the supply of foodgrains;

(b) whether some countries have given any undertakings in this regard;

(c) if so, whether the aid to be given by them would be in the form of loans or gifts; and

(d) whether any part of the promised aid has been received so far ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri C. Subramaniam) : (a) to (d). A statement is placed on the table of the Sabha.

Statement

In the context of the extremely difficult food situation in the country, requests were recently made to the Governments of several countries and to some international organisations for emergency assistance with reference to the food situation.

Response so far received from the various countries and international organisations is detailed below :—

Australia : Australia has announced an aid of 8 million Australian Dollars. It will predominantly be in the form of wheat (about 100,000 tons) with some quantities of other foodstuffs, like milk powder, and port handling equipment etc. The commodities are likely to be shipped shortly.

Austria : The Austrian Government have decided to give a grant of U.S. dollars one million to be used for purchase of milk powder, pesticides and fertilizers . Of this $70,000 will be used for milk powder (about 200 tons). The remaining $9,30,000 would be utilised for fertilizers. Details pertaining to the shipment of milk powder have been asked for.

Belgium : They have set up a Committee to study the question of aid.

Canada : The Canadian Government have announced an aid of $15 million. The commodities planned under the aid are :

Wheat	about 125,600 tons
Dried peas	about 2,850 tons
Skimmed milk powder . . .	about 1,652 tons
Whole milk powder . . .	about 656 tons
Wheat flour	about worth $3.65 million (about 33,000 tons).

The shipment of these commodities is in progress and is expected to be completed by the end of March, 1966.

Denmark : The Danish Government have a proposal to offer an interest-free loan of about 2 crores of rupees repayable over a number of years.

France : The French Government have offered aid in the shape of skimmed milk powder and small quantities of pesticides, all worth about Rupees 1.6 crores. The quantity of skimmed milk powder would be over 5,000 tons. The commodities may arrive in a month or two.

Greece : The Greek Government have given 5,000 tons of wheat and 1,000 tons of raisins as gift. These are expected to arrive shortly.

Iran : The Government of Iran have agreed to the diversion to India, on replacement basis, of two vessels carrying about 22,000 tons of wheat from U.S.A. to Iran. The vessels have arrived at the Indian ports.

Italy : A long-term loan of $ 2 million at nominal rate of interest has been offered against which it is proposed to import fertilisers. Details are being finalised.

Netherlands : The Dutch Government has shipped about 35 tons of milk powder and about 4½ tons of baby food worth about 100,000 guilders (Rs. 1.33 lakhs). In addition, another $1,000,000 has been provided for food aid in the shape of milk powder, baby food, etc.

The Dutch Government has also decided to allocate 1 million Guilders (Rs. 1.33 millions) for a project to improve Agriculture in India. Against this it has been proposed to take fertilisers and some pesticides and, if funds permit, some seed processing units.

New Zealand : New Zealand Government has decided to make a gift of 1,000 tons of milk powder valued at £100,000. This will be arriving in India shortly.

Norway : Norwegian Government are reported to have decided on a cash grant of 2.5 million Kroners (about Rs. 17 lakhs).

Sweden : Sweden has offered a gift of 4,000 tons of skimmed milk powder at a total cost of 7 million Swedish Crowns (about Rs. 6.3 million). This may be arriving in the near future.

Switzerland : Swiss Government have decided to gift 20 Buelher grain discharging machines valued at about Rs. 25 lakhs. They are also thinking of giving 20 chain conveyors for the grain dischargers. The aid may be shipped shortly.

Vatican : His Holiness the Pope has been pleased to make a personal contribution of 100,000 dollars. The contribution has been received. In addition, about 90 trucks have been offered for inland transportation of foodstuffs. These may be shipped in the near future.

United Kingdom : The U.K. Government has offered to make available a 25 years interest-free loan of £7.5 million to be used towards freight of foodgrains imported from Canada, Australia and any other country in the Commonwealth, for port equipment, for marginal imports of pesticides and fertilisers and British industrial equipment.

U.S.S.R. : The U.S.S.R. Government has offered one thousand tonnes of milk powder, one thousand tonnes of vegetable oil, 50 thousand tonnes of sugar and confectionary and some quantities of vitamin tablets. Regarding sugar and confectionary, they have been told that India is surplus in sugar and there is no point in sending sugar to India. Regarding vegetable oils, specifications of the oils have been asked for with a view to deciding whether the oil would be acceptable to Indian consumers.

West Germany : The West German Government have decided to offer a long-term loan of Deutsche Marks 12 millions (Rs. 1.4 crores) for the purchase of fertilisers, an out-right donation of milk powder worth 500,000 D.M. (Rs. 6

lakhs) and fertilisers worth 500,000 (Rs. 6 lakhs). They have also decided to assist in extension of the Mandi Agriculture project to Sirmur and Kangra districts and to expedite Nilgiris project (for Agriculture). The aid commodities may be expected shortly.

Yugoslavia : The Government of Yugoslavia have diverted to India, on replacement basis, about 30 thousand tons of wheat going to Yugoslavia from U.S.A. The diverted vessels have since arrived at Indian ports. The Government of Yugoslavia had also offered two vessels totalling a capacity of about 20 thousand tons for charter for making one or two voyages each.

F.A.O. and World Food Programme : They have offered aid of about 7300 metric tons of milk powder worth 2.7 million dollars, and also about 54 thousand tons of wheat. The commodities are expected to arrive by April, 1966.

In addition to the above responses, the Government of U.S.A. have been making available increased funds for financing the purchase/shipment by us of of U.S. wheat under P.L. 480.

Apart from the assistance at Government level, as detailed above, several private individuals and organisations in other countries are coming forward with substantial assistance in cash and kind.

Shri Prakash Vir Shastri : It has been indicated in the statement the details of aid various countries are giving to India. But it does not give any idea how the Government is facing the pitiable picture that is being painted of India abroad. Collecting monetary help for India in schools, churches and crossroads. The steps taken by the Government to remedy such a situation abroad.

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : हम ने अपने राजदूतों को कहा है कि वे विदेशों के आखबारों को बताये कि हमारा संकट इतना भयंकर नहीं जैसा कि बताया जा रहा है । विदेशों से हमें जो सहायता मिल रही है उससे देश को दुर्भिक्ष और भूखमरी की दशा से बचा लिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know that dismal picture of the country that is being painted in the foreign countries is due to the contradictory statements of the Ministers. As the Prime Minister has stated at the Calcutta Airport that the situation will be still worst in the next two months. But Shri Subramaniam says tnat the situtation will improve during the next two months. Even our President has also stated that our Food Policy is defective. Whether our Government is thinking in this direction that our Ministers should speak with one voice and save the situation from the deterioration.

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त मन्दे के दिन होते है । इन दिनों के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था कर ली है । वैसे ये काफी कठिन दिन है इस बात का उल्लेख प्रधान मंत्री ने किया था । परन्तु इसका यह मतलब बिलकुल नहीं कि हम संकट का मुकाबला करने को तैयार नहीं ।

Shri Prakash Vir Shastri : This is not the reply of my question.

Shri Gulsan : The Honourable Minister should know that these months of May, June, July August, new crops come in.

Shri Rameshwaranand : May, June, July and August, these months are said to be lean months. These are the months of new crops. The Minister seems to have no experience of crops.

अध्यक्ष महोदय : कल भी मंत्री महोदय ने कहा था कि मई, जून, जुलाई के महीने मन्दे के दिन है ।

Shri Rameshwaranand : He also said of August.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक उत्तर भारत का सम्बन्ध है यह समय बहुतात का होता है । तब नई फसल आती है और सब के पास काफी होता है

Shri Rameshwaranand : In the South it comes even earlier.

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह मामला केवल गेहूं का है, परन्तु गेहुं तो केवल एक छोटा सा अंश है सारे उत्पादन का । चावल का महत्व बहुत ज्यादा है, यह 300 से 350 लाख टन हैं । हमने सारे देश की दृष्टि से देखना हैं । इसकी नई फसल सितम्बर–अक्तूबर में आती है और उपरोक्त जिन महीनों का उल्लेख किया गया है वे मन्दे के मास है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमन, मंत्री ने अभी कहा है कि विदेशों में बहुत भद्दा चित्र पेश किया गया है । परन्तु अभी जो पत्रकार संम्मेलन बुलाया गया था । उसमें भी ऐसी बातें की गयी है, जिस का विदेशों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । राष्ट्रपति जानसन ने यहा तक कहा है कि वह भारत की सहायता करने के लिए एक विश्व सम्मेलन बुला रहे है । यह तो भारतीय लोगों और भारतीय प्रशासन पर एक चपत नहीं है क्या ? उन्होंने आखिर यह क्यों किया ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैंने बैठक में कहा था कि क्योंकि काफी कठिन स्थिति है, परन्तु समय से पूर्व स्थिति पर काबू पाने का प्रबन्ध कर लिया गया है अतः हालात काबू मे है । किसी तरह भुखमरी से मौतें नहीं होगी । मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि विदेशी अखबारों में स्थिति को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है । और मैंने राजदूतों को कहा है कि वे सम्बन्ध सरकारों का ध्यान इस तथ्य की ओर अकृष्ट करवाये और कहे वे इन बढे चढे विवरणों की ध्यान न दे ।

श्री हेम बरुआ : ताशकन्द समझौते के बाद भी अमरीका इस बात का आग्रह कर रहा है कि काश्मीर समस्ता को पाकिस्तान और भारत में बातचीत करके हल किया जाय । और उसमें सहायता देने के लिए इस बात को एक शर्त के रूप में रखा है । राष्ट्रपति जानसन ने उन समस्त देशों का एक सम्मेलन 23 मार्च को वाशिंगटन में बुलाया है । इस स्थिति में क्या खाद्य मंत्री प्रधान मंत्री को यह परामर्श देंगें कि वह जब अमरीका में जाय तो सारी स्थिति वहां स्पष्ट करे ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री को सारी स्थिति का पता है । वह जिस बात को आवश्यक समझेगी, उसकी ओर राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट करवा देगीं । मेरे विचार में उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं । माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि खाद्य सहायता के बारे में कोई शर्त जरूरी नहीं हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Whether it is in the know of the Government that moving the restriction on the movement of rice, rice goes from Nepal to China. As it has been earlier stated by the Chief Minister of Bihar. Is it responsible for starvation ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस प्रश्न का सम्बन्ध विदेशी सहायता से है । यदि खाद्य स्थिति पर पुन: बहस करनो है तभ उसके लिए उचित पग उटाये जाने चाहिए ।

Starvation Deaths

+

S.N.Q. No. 5. Shri Madhu Limaye : **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Kishen Pattnayak : **Shri Krishnapal Singh :**
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that starvation deaths have taken place in Allahabad and some other Districts of U.P.;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures taken by the Centre and the State Government to alleviate the suffering of the people in these areas ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramaniam) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Adequate supplies of foodgrains have been placed by the State Government at the disposal of the Collector of each district to meet the needs of the districts concerned.

Shri Madhu Limaye : It is a long standing dispute that how it should be ascertained whether a particular death is a natural death or death by starvation. Whether the Minister is prepared to place before the House the figures of deaths from October 1964 to February, 1965, and from October, 1965 to February 1966, the evidence by which it could be proved that the deaths were not natural or by starvation.

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : एक तरफ हम यह कहे कि विदेशी अखबार भुखमरी के आकड़े बढ़ा चढा कर दे रहे है दूसरी ओर यह कहे कि भुखमरी से मौते हो रही है ।

Shri Madhu Limaye : Starvation is going on since long. Therefore the Minister should reply to my question.

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : दो एक घटनायें भूखमरी की अखबारों में छपी थी । उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी जांच की थी । पहला मामला एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति का है, उसे भुखमरी का मामला नहीं कहा जा सकता .....

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री भी 70 वर्ष के हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : विधि मंत्री भी 70 वर्ष के हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या 70 वर्ष का व्यक्ति भूख से नहीं पर सकता ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जांच की गयी थी और यही पता चला था कि मौत भूख से नहीं हुई थी ।

श्री रंगा : मंत्री महोदय को सभा के प्रति तनिक गम्भीर होना चाहिए ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं तो गम्भीर हूं परन्तु कई माननीय सदस्य गम्भीर नहीं लगते। दूसरे मामले में जो आदमी मरा उसके घर में 60 सेर बाजरा, 10 सेर दाल, 20 सेर आलू 2 मटके गेहूं मिला, अत: यह कैसे कहा जा सकता है कि भुखमरी से मृत्यु हुई ।

Shri Madhu Limaye : I want that he should present the figures after collecting them and not just now. I want to know the yardstick by wnich it is decided whether the particular death is natural death or have taken place by starvation. This dispute continues since long. I want that the figures in this direction should be collected.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे जो जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार वहां कोई भुखमरी से मौत नहीं हुई। इस दिशा में किसी जांच की जरूरत नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मौत चाहे भुखमरी से हुई हो अथवा वैसे, क्या मंत्री महोदय उनका विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि भखमरी से मौत हो तो क्या वे बिना नोटिस में आये रह सकती है। विरोधी दल उस हालात में हमें जीने देते . . . **(अन्तर्बाधायें)** . . .

Mr. Speaker : You put another question.

Shri Madhu Limaye : Under rule 41(1) a question may be asked for the purpose of obtaining information on a matter of Public importance.....and under 50(2), the Speaker can allow the member to ask a supplementary question for further elucidating the matter ..... I asked a question whether he is prepared to put up the figures.

Mr. Speaker : You can put the question and I have allowed to put a question. And I don't want the answer immediately. It is the duty of the Government to keep the figures of births and deaths.

श्री ही० ना० मुकर्जी : गत दो वर्षों में कमी वाले क्षेत्रों में मृत्यु दर के बारे में सरकार सभा के समक्ष विवरण रखने को तैयार है। जिससे हम यह अनुमान लगा सके कि मृत्यु प्राकृतिक थी अथवा भुखमरी से हुई थी ? यदि इसमें काफी अन्तर है, तो यह बड़ा महत्व पूर्ण प्रश्न है, सरकार को बाद में इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे पता नहीं कि इस बारे में आंकड़े उपलब्ध होंगे अथवा नहीं, परन्तु मैं इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को लिखूंगा **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : सारे उत्तर को सुनने से पूर्व आपत्ति की जानी चाहिए। उनका कहना है कि मुझे पता नहीं कि आंकड़े उपलब्ध होंगे, परन्तु मैं उत्तर प्रदेश सरकार से उसके बारे में पता करूंगा.... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री ज० ब० कृपलानी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भुखमरी से मौत होती भी है। लोग 60–70 दिन तक बिना खाना खाये रह सकते हैं। मेरे विचार में भुखमरी से कुछ रोग फैलते हैं, जिससे लोग मरते हैं। इस तरह भूखमरी से पैदा हुए रोगों से जो लोग मरें उनकी संख्या क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अपौष्टिक खाद्य तो भारत में आम है। क्योंकि लोगों को जरूरत के अनुसार खाना नहीं मिलता। इस पर भी यह नहीं कि इसके अभाव के कारण भुखमरी से मृत्यु हुई। दुर्भिक्ष

से भुखमरी आती है, और फिर संक्रामक रोग फैलते हैं, जिससे लोग मरते है। इसे तो आर्थिक विकास और कृषि उत्पादन से ही हल किया जा सकता है। इस के अधिक से अधिक होने पर ही लोगो को लाभ हो सकता है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am not aksing any question but giving information to this House. There are 150 Municipal Committees in the country which keep the record of Births and Deaths. We can ascertain from this death....

Mr. Speaker : Honourable member wants to put any question ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Before asking question I want to place before the House this information. I have received two letters. One is of one widow, who says that her husband died because he could not get anything to eat for several days. She was also going to die but she received some edible from the neighbourhood and thus kept body and soul together . . .

Mr. Speaker : Any question please ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I am giving information as the honourable Minister says that nobody has died of starvation. And here is my second letter which gives the information of the death of one Ramlal S/o Shri Ganesh Kaul. I am giving this letter along with the signature of the Chairman of the Village Panchayat. My submission is that some action is taken in this direction.

Now my question is that the Minister should accept this comprehensive definition regarding this, that anybody who dies because he was not getting foodgrains not more than 100 grams, should be regarded a death with starvation. If he does not accept this definition then he should put up some other. Without any definition how can you go on ? This I give you ?

Mr. Speaker : I shall have it.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं भुखमरी से होने वाली मृत्यु के बारे में पहले ही मानदंड दे चुका हूं कि बड़े पैमाने पर दुर्भिक्ष का होना, लोगों को बिलकुल भोजन न मिलना और इसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु होना भखमरी से होने वाली मृत्यु है। निस्संदेह केवल भूख से ही मृत्यु नहीं हो जाती। किन्तु यदि एक दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र में महामारी फैल जाये और उसके कारण कुछ लोग मर जायें तो ऐसी मृत्य को भुखमरी के कारण हुई मृत्यु माना जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों की भी जांच की जाये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां ।

Dr. Ram Manohar Lohia : If the questioner will be ill-treated in this way, then it is no use asking questions here.

Mr. Speaker : I have asked the honourable Minister to enquire about things.

Dr. Ram Manohar Lohia : But, since I had asked him to give the definition of "death due to starvation", he should define it. He should state at least the weight of rations, for example, 100 grams, 150 grams, 50 grams, 10 grams or even 1 gram, receiving of less than which will be considered by him as criterion for "death due to starvation".

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं उसे भुखमरी के कारण होने वाली मत्यु के लिये कसौटी नहीं स्वीकार करता ।

Shri Madhu Limaye : Has any allotment been made from out of the imported and procured foodgrains to give relief to those villagers in Bihar, Uttar Pradesh, Orissa, Maharashtra and Andhra Pradesh etc., whose income is very low and 25% to 30% among whom are landless ? The honourable Minister has so far given information regarding big cities only but he has not said what he is going to do for 25% to 30% of the villagers who are landless and starving ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न यह है कि क्या इलाहाबाद में और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भुखमरी से कोई व्यक्ति मरा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह सुझाव दे रहे हैं . . . . . .

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सुझाव का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहने का अभिप्राय है कि वसूल किये हुये अनाज में से 25% से 30%...

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास वसूल किये जाने वाले अनाज के बारे में आंकड़े नहीं हैं कि क्या वह 25% है या 30% । इसके लिये उचित सूचना दी जानी चाहिये **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Madhu Limaye : If you are so troubled, kindly tell me about Uttar Pradesh. I want to make a submission that the honourable Minister is not in his senses; he is speaking in a very angry tone and, therefore, he is not following the questions.

Mr. Speaker : You are mistaken.

Shri Madhu Limaye : I had not asked about procurement. I had. . .

Mr. Speaker : I had asked him about procurement. . .

Shri Madhu Limaye : I have heard it but he is not replying to my question.

Mr. Speaker : He has given whatever reply he had to give.

Shri Madhu Limaye : Why can't he tell me about Uttar Pradesh ? My short notice Question relates to Uttar Pradesh and I want that he should furnish me with information in regard to that matter. There are 25% to 30% villagers in Uttar Pradesh and elsewhere who are totally landless and who are also not getting any wages. What is Government going to do towards sending supplies of foodgrains to them to let them keep body and soul together ?

Shri Onkar Lal Berwa : The honourable Minister may tell us about Rajasthan, if he cannot say anything about Uttar Pradesh.

Mr. Speaker : He is not giving any reply now; he has already said whatever he had to say.

Shri Madhu Limaye : Is it against the rules and so it will not be replied to ?

Mr. Speaker : Take it any way you please.

Shri Madhu Limaye : Is it your decision that my question is against the rules ?

Mr. Speaker : Shri Kishen Pattnayak.

Shri Kishen Pattnayak : Since the honourable Minister has differentiated between 'starvation' and 'mal-nutrition', and since the daily requirement being 2,500 calories, though generally people get 1,500 calories and I have no objection to the latter being regarded as mal-nutrition by the honourable Minister, may I ask whether the honourable Minister will regard it to be a starvation death or not if one lives on a diet providing less than 1,000 or 8,00 calories for so long as three months and dies thereafter ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि माननीय सदस्य इस संबन्ध में मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं । इस का उत्तर मैं विशषज्ञों से पूछ कर दे सकता हूं ।

Shri Kishen Pattnayak : I am not asking for opinion; only I want to know the attitude of Government. I am asking about the policy of the Government. I am not concerned with his opinion. It appears that Shri Subramaniam has no brains. Is there any policy of the Government or not.

अध्यक्ष महोदय : श्री किशन पटनायक अपने शब्दों को वापस लें ।

Shri Kishen Pattnayak : I am not going to withdraw my words. I do not regard that person to be of a sound mind who does regard one to have died of starvation if one had been eating less than 1,000 calories and therefore starving before one's death.

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं बाहर चले जायें । या तो माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापस लें अन्यथा वह बाहर चले जायें ।

Shri Kishen Pattnayak : I shall withdraw myself from the House but I shall not withdraw my words.

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी अभी श्री किशन पटनायक से कह चुका हूं ।

Shri Kishen Pattnayak : I am going out of the House but here they are playing with starvation.

(श्री किशन पटनायक तब सभा से बाहर चले गये)

(Shri Kishen Pattnayak then left the House)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णपाल सिंह ।

Shri Bagri : I have a point of order to make. Please do not thus make this House a 'Mughal Durbar'. When a clear question is put to the Minister, he should answer it, what is the point in his not answering it ? Lakhs of people are starving and when a question is asked about this matter, the Minister does not give any answer to it, what importance is left of our asking questions here ? When the purpose of asking questions and holding discussions is that answers may be given to whatever questions are asked here, why after all is the honourable Minister not replying to our questions and defining 'starvation' ?

Mr. Speaker : I have requested the preceding honourable Member and now I am requesting Shri Bagri not to obstruct the proceedings of the House.

Shri Bagri : I am not obstructing the proceedings of the House. Please listen to me. When people are dying from starvation and the Honourable Minister does not admit it, he should at least define, a 'starvation death'. Any question asked in this connection is not answered by him. You may give your decision in the matter.

Mr. Speaker : The honourable Member may sit down now. Let this matter end here.

Shri Bagri : Please listen to me.

Shri Gulshan : Trouble arises because the honourable Minister does not give correct answers **(Interruptions).**

Mr. Speaker : Shri Krishnapal Singh.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker **(Interruptions).**

Shri Bagri : 'Starvation death' should be defined **(Interruptions).**

Shri Rameshwaranand : I want to make a submission.....**(Interruptions).**

Mr. Speaker : I have called Shri Krishnapal Singh to speak.

श्री रंगा : माननीय मंत्री ने पहले ही कहा है कि वह विशषज्ञ नहीं हैं और वह विशेषज्ञ से परामर्श कर के राय देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह विशेषज्ञ नहीं हैं और इस कारण वह कुछ नहीं कह सकते । The honourable Minister has said that he is not an expert and therefore he cannot say that the consequences of eating a food which provides certain calories will be regarded 'death from starvation'.

श्री प्रिय गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस लिये व्यवस्था का प्रश्न कर रह ह कि म खड़ा हुआ हूं ?

श्री प्रिय गुप्त : मझे खेद है । मेरा विचार था कि आप ने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया था ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, this is not a case for the expert, it concerns the policy of the Government.

Shri Rameshwaranand : What, according to Government, is 'starvation' ?

श्री हेम बरुआ : मेरा विचार है कि इस संबन्ध में माननीय सभा के नेता कुछ कहना चाहते हैं ।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : क्या इस प्रकार सभा की कार्यवाही चलाई जा सकती है ? यही एक सरल प्रश्न है जो मैं सब संबद्ध माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं । हमें इस सभा का कुछ अनुभव है और, श्रीमान, आप को भी इस सभा का काफ़ी अनुभव है । एक समय एक माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है तो ...

Shri Onkar Lal Berwa : The honourable Minister does not answer and the Leader of the House says like this.

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं कहता हूं कि मेरे माननीय मित्रों को बोलने का पूरा अधिकार है परन्तु यदि इतने माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो जायें और एक साथ बोलना आरम्भ कर दें तो उसका क्या उपचार किया जा सकता है ? मैं सभा से यही निवेदन करना चाहता हूं ।

Shri Bagri : What should we do when a reply is not forthcoming ?

श्री सत्य नारायण सिंह : कुछ भी हो, कार्यवाही का यह तरीक़ा नहीं है । अब हद हो रही है ।

श्री हेम बरुआ : यदि सभा के नेता का भी यही विचार है तो फिर कोई उपाय नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : I have a point of order to make under rules 376 and 355 **(Interruptions).**

अध्यक्ष महोदय : यदि एक साथ एक दर्जन सदस्य खड़े हो जायें और बोलना आरम्भ कर दें तो मैं किसी को बोलने के लिये नहीं कह सकता ।

Shri Gulshan : If a correct answer is given to a question, there will hardly ever be any trouble in the House. You may kindly ask the honourable Minister to give correct replies. **(Interruptions).**

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : All hon. Members may kindly sit down.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, we can sit down in obedience to your orders but please listen to us.

Mr. Speaker : Unless I call an honourable Member to speak, none should start speaking. The honourable Members may stand up but until I call an honourable Member, none should start speaking. If any honourable Member does not do so, I shall take it that he is obstructing the proceedings of the House.

श्री प्रिय गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाद में बुलाऊंगा । वह अपने स्थान पर बैठ जायें । श्री कृष्णपाल सिंह ।

श्री कृष्णपाल सिंह : उत्तर प्रदेश की विधान सभा के एक सदस्य ने प्रधान मंत्री को एक तार भेज कर उनका ध्यान भुखमरी के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु की ओर दिलाया है । माननीय सदस्य कहते ह कि जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके घर में बाजरा तथा अन्य अनाज मौजुद थे । इस संबंध में किसने जांच की थी ? क्या वे लोग जिन्होंने यह जांच की थी उन माननीय सदस्य से अधिक ज़िम्मेदार थे जिन्होंने विधान सभा में वक्तव्य दिया था ? क्या विधान सभा के उक्त सदस्य से पूछ-ताछ की गई है कि क्या उन्होंने प्राप्त विवरण की पुष्टि करने का कष्ट किया था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सत्य है कि उन्होंने केवल प्रधान मंत्री को सूचना ही नहीं दी बल्कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में वक्तव्य भी दिया था । ऐसा नहीं है कि वह उस व्यक्ति की मृत्यु के समय वहां उपस्थित थे और न उन्होंने उसका निदान कर के यह ठहराया था कि वह एक भुखमरी के कारण

मृत्यु थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें उन दो व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार मिले थे और उत्तर प्रदेश सरकार इस संबन्ध में जांच कर के इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि भुखमरी के कारण कोई मृत्यु नही हुई थी। मैं नही जानता कि इस मामले मे और अधिक क्या किया जा सकता है।

श्री प्रिय गुप्त : मैं आपके समक्ष जो रखना चाहता था वह यह है ...

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूंछ रहे हैं या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री प्रिय गुप्त : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री प्रिय गुप्त : नियम 41 के अन्तर्गत।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि नियम 41 वह नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। यह एक बिलकुल भिन्न मामला है और इसको इस प्रकार नहीं लिया जा सकता।

श्री प्रिय गुप्त : आप कृपया मेरा निवेदन सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना व्यवस्था का प्रश्न बतायें और यह भी बतायें कि वह उसे किस नियम के अन्तर्गत उठा रहा हैं।

श्री प्रिय गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब तक सरकार 'भुखमरी से मृत्यु' की परिभाषा निश्चय नहीं करती, सरकार इस अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दे सकता है और इलाहाबाद में किसी व्यक्ति के भुखमरी के कारण मरने के आरोप का उत्तर 'हां' या 'नहीं' में किस प्रकार दे सकती है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय सदस्य इस का स्पष्टीकरण करें।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसका अध्यक्ष महोदय निर्णय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह अध्यक्ष के लिये है तो वह उत्तर देंगे। यह सब जानते हैं कि भुखमरी से मृत्यु का क्या मतलब है।

Shri Bagri : But the honourable Minister does not know it.

अध्यक्ष महोदय : अतः यदि माननीय मंत्री यह उत्तर देते हैं कि भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई है तो इस में आश्चर्य की क्या बात है और इस कारण उसमें व्यवस्था के प्रश्न की क्या आवश्यकता है ?

Shri Madhu Limaye : Please let me state my point of order.

श्री प्रिय गुप्त : उन्होंने यह नहीं बताया है कि 'भुखमरी से मृत्यु' से उनका क्या मतलब है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और मैंने उसका उत्तर दे दिया है। क्या माननीय सदस्य अब बैठ जायेंगे ?

श्री प्रिय गुप्त : वह 'भुखमरी से मृत्यु' की परिभाषा देने से इन्कार करते हैं

Shri Madhu Limaye : I want to raise a point of order under rule 376 which relates to points of order and under rule 355 which relates to other questions. The rule 355 reads :—

> "When, for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any member has occasion to ask a question of another member on any matter then under the consideration of the House, he shall ask the question through the speaker".

Mr. Speaker : How does personal explanation comes in here?

Shri Madhu Limaye : I am not reading out rule 357; I am reading out rule 355. I want to ask a question of the Leader of the House through you. I had stood up directly after he had stopped speaking and I had raised a point of order.

Mr. Speaker : How is the leader of the House concerned with this ?

Shri Madhu Limaye : Is he not a member ?

Mr. Speaker : He is not a member, he is a Minister. The rule which the honourable member quotes is not for those who are Ministers.

Shri Madhu Limaye : But he is a member of the House. Rather he is more responsible as he is also leader of the House. He has said.....

Mr. Speaker : The honourable Member should not argue with me.

Shri Madhu Limaye : I am not arguing. You may kindly permit me to ask a simple question.

Mr. Speaker : The rule read out by the honourable member does not apply at this time. One who is not a Minister..... Questions can be asked of a member who has been entrusted with some special duties by the House and who is carrying out those duties, one who is Chairman of the Public Accounts Committee or Chairman or Member of any other Committee, because he has some special information with him. This rule does not apply here.

Shri Madhu Limaye : Why are you limiting this rule ? He is also a member. He says the proceedings of the House cannot go ahead in this manner. I want to submit that if the honourable Minister gives correct replies to questions, there can be no obstructions in the proceedings. You may kindly make the Minister understand this.

Shri S. M. Banerjee : The reply of the honourable Minister shows that he has only made reference to whatever has been said in the Uttar Pradesh Legislative Assembly. The question is plain and clear and is : whether in the eastern districts of Uttar Pradesh, or in the Bundelkhand region, due to non-availability or shortage of food-stuffs.....

Shri Onkarlal Berwa : He is asking about Uttar Pradesh; he is not asking about Rajasthan.

Shri S. M. Banerjee : On seeing him, I conclude that there is somebody who is hungry. If there has been any death owing to non-availability or shortage of foodstuffs, it has been said that it was due to 'heart failure'. If one has a heart,

it will naturally fail at the time of death. Do Government propose to send a survey team to study whether the death was owing to non-availability or shortage of food or due to ill-balanced food ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं । ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है । सर्वेक्षण दल के भेजें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Shri Bagri : Mr. Speaker, I have not been given an opportunity to put questions although I rose several times with the hope that you would call me.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार को अनुदान

***313. श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री की विधवा पत्नी श्रीमती ललिता देवी तथा उनके नाबालिग बच्चों के लिए पहले घोषित की गई पेंशन तथा शिक्षा सम्बन्धी अनुदान में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का ध्यान रखा जायगा कि ये अनुदान वर्तमान उच्च निर्वाह मूल्य के अनुरूप हो ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री के लिये आजीवन 15,000 रु० वार्षिक की पेंशन मंजूर की गई है । उनके नाबालिग बच्चों के लिये शैक्षणिक अनुदान के रूप में कुछ नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त उन्हें उपयुक्त आवास-स्थान दिया जायगा जिसके लिये लिया जाने वाला किराया पेंशन के 10% से अधिक नहीं होगा, और उनके तथा उनके परिवार को पेंशनरों के समान केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से चिकित्सा-सुविधाएं प्राप्त होंगी । उनकी पेंशन आदि को निर्धारित करते समय सभी सम्बन्धित तथ्यों पर विचार किया गया था ।

बड़ौदा में नाइलोन धागा कारखाना

***423. श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बड़ौदा में एक नाइलोन धागा कारखाना खोलने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ;

(ग) क्या यह कारखाना विदेशी सहयोग से खोला जा रहा है; और

(घ) इस पर कुल कितना खर्च आयगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : सरकारी या गैरसरकारी क्षेत्र में नाइलोन धागा तैयार करने के लिए कारखाना खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। 16 फरवरी, 1960 को एक प्राइवेट पार्टी को सूरत ज़िले के बुलसर नामक स्थान पर प्रतिवर्ष 1.80 मिलियन किलो ग्राम की क्षमता सहित नाइलोन धागा और प्रतिवर्ष 5.00 मिलियन किलो ग्राम की क्षमता युक्त के प्रोलक्टम (Caprolactum) को तैयार करने के लिए कारखाने को खोलने का एक औद्योगिक लाइसेंन्स दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) लगभग 6 करोड़ रुपये जिसमें 3.17 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का अंश है।

गांधी हत्या केस

*424. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी हत्या सम्बन्धी षड़यंत्र के बारे में सरकार को दी गई पूर्वसूचना के बारे में पाठक आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य जांच परिणाम क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस षड़यंत्र से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों को अब रिहा कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हत्या की जांच में दोषी सिद्ध हुये तथा कारावास का दण्ड दिये गये व्यक्ति कारावास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् रिहा कर दिये गये हैं।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

*425. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 349 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : मामला अभी विचाराधीन है। इसमें बहुत से ऐसे कठिन प्रश्न निहित हैं, जिन्हें पहले छांटना आवश्यक है।

दिल्ली प्रशासन के लेखे

***426. श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के लेखों की असन्तोषजनक हालत के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (1965-66) के 42 वें प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचारों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के महालेखा नियंत्रक तथा लेखा-परीक्षक से अनुरोध किया गया था कि वे लोक लेखा समिति की सिफ़ारिश के अनुसार दिल्ली प्रशासन के लेखे की दशा की जांच-पड़ताल करने के लिये किसी उपयुक्त अधिकारी का नाम सुझायें। आगे की कार्यवाही अभी हाल ही में प्राप्त हुए महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक के उत्तर के अनुसार की जा रही है।

Pay Scales of Teachers

***427. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any scheme for the upward revision of pay scales of teachers has been included in the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the categories of teachers who will be benefitted by the scheme; and

(c) the additional provision made in the Fourth Five Year Plan for the purpose ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Questions do not arise.

भारतीय नरतत्वीय (एंथ्रोपोलोजिकल) सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र

***428. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 435 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नरतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के पुस्तकालय से गुम हुए मानचित्रों के बारे में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच-पड़ताल क्या है; और

(ग) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक स्कूलों के लिए केन्द्रीय अनुदान आयोग

***429. श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों के लिए एक केन्द्रीय अनुदान आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि देश में माध्यमिक शिक्षा का एक समान ढांचा हो;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस विषय में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है ।

मंत्रियों के लिये आचार संहिता

***430. श्री रा० बरुआ :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी राज्य सरकारें मंत्रियों के लिए आचार संहिता के उपबन्धों को लागू करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) इसके लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल में अनधिवासियों (स्क्वैटर्स) की बस्तियां

*431. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में नियमित की जाने वाली अनधिवासियों की बस्तियों में पूर्व पाकिस्तान से आये हुए व्यक्तियों को सम्पत्ति का "अस्थायी रूप से निर्धारित" मूल्य देने के पश्चात् उनको उसका स्वामी बना देने का प्रस्ताव किया जा रहा है;

(ख) क्या यह कानूनी रूप से मान्य है;

(ग) क्या सरकार का इसे पूर्ण भुगतान के रूप में मान लेने का विचार है; और

(घ) क्या प्रव्रजकों ने अनुरोध किया है कि इस धनराशि का भुगतान बीस किस्तों में लिया जाय ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी, हां, ऐसा उन मामलों में किया जाता है जहां अनधिवासी जिस भूमि पर वे बैठे हों उसके हकप्राप्ति की इच्छा करें यदि उस भूमि के मूल्यांकन की अपील भूमि अर्जन कलेक्टर के अधीन हो।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं। भूमि तथा उसके निकास की अंतिम लागत के भुगतान की अदायगी पूर्ण होनी चहिये।

(घ) जी, हां।

कानपुर के व्यापारी की गिरफ्तारी

*432. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को नालीदार चादर भेजने के सम्बन्ध में कानपुर के व्यापारी के विरुद्ध अभियोग की जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू०शे० नास्कर) : (क) तथा (ख) : जांच अभी जारी है।

उचित मूल्य की दुकानें

*433. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बार-बार वृद्धि करने के स्थान पर उन्हें अत्यावश्यक वस्तुओं को सहायता प्राप्त दरों पर देने के बारे में उचित मूल्य की दुकानें खोलने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : उचित मूल्य की दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किन्तु दिल्ली के अलावा 10 लाख आबादी

वाली सात महानगरियों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुएं तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं सप्लाई करने के लिये उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोलने की एक योजना बनाई गई है। सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

केरल में पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच

*434. **श्री नारायण रेड्डी :** **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री वारियर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1966 को क्विलोन नगर तथा कोट्टायम में खाद्य प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियों की जांच करने के लिये केरल सरकार ने कोई जांच समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ग) समिति के क्या निष्कर्ष है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) जैसे ही समिति अपनी जांच पूरी कर लेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में दिन-दहाड़े लूट

*435. **श्री गुलशन :** **श्री मुहम्मद कोया :**

श्री कृष्णपाल सिंह : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में हाल में एक व्यक्ति को दिन-दहाड़े लूट कर उसकी हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या उपरोक्त घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वाणिज्यिक संगठनों को इस बात के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो, कानून बना कर बाध्य करने का है कि वे अपने खजान्चियों तथा अपने साथ काफी रकम ले जाने वाले कर्मचारियों के साथ सशस्त्र रक्षक भेजे; और

(ग) क्या दोषी व्यक्तियों को वैयक्तिक जोखिम पर पकड़ने वाले गैर-सरकारी लोगों को उपयुक्त पुरस्कार देने तथा उक्त कार्य के दौरान उनको हुई किसी हानि के लिए उन्हें सरकार का प्रतिकर देने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गैर सरकारी (असैनिक) व्यक्तियों को शौर्यपूर्ण कृत्यों के लिये पदक/पारितोषिक देने के लिये उपयुक्त योजनाएं पहले ही से विद्यमान हैं।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्री बीजू पटनायक की उपस्थिति

*436. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री मधु लिमये :
श्री शिंकरे :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 फरवरी, 1966 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उड़ीसा विधान सभा के सदस्य श्री बीजू पटनायक ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भाग लिया; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किस हैसियत से भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) उस दिन दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का कोई औपचारिक सम्मेलन नहीं हुआ था। कांग्रेस कार्यकारणी समिति की बैठक में आये मुख्य मंत्रियों की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक तथा सामान्य विचार-विनिमय हुआ था। श्री बीजू पटनायक ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति के रूप में ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लिया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Naga Attack on Khangkui Camp of Manipur Rifles

*437. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Bagri :
Shrimati Renuka Bakataki :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a batch of Naga Rebels attacked Khangkui Camp of Manipur Rifles with light machine guns and other arms on the 15th-16th February, 1966;

(b) the number of persons killed and injured as a result thereof; and

(c) the measures being adopted to check such activities of the hostile Nagas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) No person was killed or injured.

(c) The Manipur Rifles post at Khangkui has been re-inforced and other necessary steps have been taken.

त्रावणकोर-कोचीन कैमिकल्स, लिमिटेड

*438. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री दाजी :
डा० उ० मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन केमिकल्स लिमिटेड को 1 मार्च, 1966 से बन्द कर देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि त्रावनकोर-कोचीन केमिकल्स को बन्द कर दिया गया तो "फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड" जैसे बहुत से अन्य उद्योगों को अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) यह बताया गया है कि त्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड 5 मार्च, 1966 से अपना कारखाना बन्द कर देगा ।

(ख) मौनसून की असफलता के कारण बिजली की जबर्दस्त कमी ।

(ग) जी, हां ।

Indiscipline Among Students

*439. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Bagri :
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Vishram Prasad :
Shri Linga Reddy :
Shri Madhu Limaye :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to put an end to the increasing indiscipline among the University students;

(b) whether this is due to the increase in the number of students failing in the examinations;

(c) whether Government have appointed a Committee for this purpose; and

(d) if so, the recommendations thereof ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No.LT/5717/66.]**

(b) Examinations or examination results are one of the factors responsible for indiscipline among students.

(c) and (d). A Committee has been set up by the University Grants Commission for the purpose. Its report is awaited.

गैर-सरकारी शिक्षा संस्थायें

*440. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे देश में विद्यमान गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के कार्य का नियंत्रण करने और उसका विनियमन करने के लिए विधान बनायें;

(ख) क्या इस काम के लिए राज्य सरकारों को एक आदर्श विधेयक भेज दिया गया है;

(ग) क्या यह नया विधान गैर-मान्यता प्राप्त, ट्यूटोरियल, वाणिज्यिक और तकनीकी संस्थाओं पर भी लागू होगा; और

(घ) दिल्ली में खुली हुई शिक्षा की दुकानों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : गैर-सरकारी (अमान्यता प्राप्त) शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण तथा विनियमन लगाने के लिए राज्य-सरकारों को एक आदर्श विधेयक जरूरी कार्रवाई और उस पर टिप्पणियों के लिए (यदि कोई हो) भेज दिया गया है।

(घ) दिल्ली सहित संघीय क्षेत्रों पर—इसी प्रकार के विधान को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

काश्मीर में पाकिस्तानी हथियारों के जखीरे का पता लगाना

*441. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिंकरे :
श्री बड़े :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध-विराम के पश्चात् जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी आयुध कारखाने के चिह्न वाले हथियारों के अनेक जखीरों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ऐसे हथियारों के जखीरे पकड़े गये हैं और किस प्रकार की सामग्री मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा बताना लोकहित के विरुद्ध होगा।

सौंदा कोयला खान में दुर्घटना

*442. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 फरवरी, 1966 को अथवा उस के आस-पास रामगढ़ में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सौंदा कोयला खान संख्या 4 खुदाई स्थान में हुई एक दुघटना के फलस्वरूप 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों के कारण हुई ; और

(ग) यदि मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है, तो कितना ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, 17 फरवरी, 1966 को।

(ख) सिरका सीम में विस्फोट की सहायता से कोयला निकालते समय एक वायड (शून्य स्थान) से सम्पर्क स्थापित किया गया था, जिसमें ज़हरीली गैस थी। एक टिम्बर मज़दूर ने वायड में प्रवेश किया और वह गैस द्वारा बेहोश हो गया। उसे बचाने की कोशिश करते समय छः अन्य व्यक्ति उसी तरह बहोश हो गए। इन सात व्यक्तियों में से 5 की मृत्यु हो गई।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत दी गई राशि अभी तक मालूम नहीं है। परन्तु मैनेजमेंट ने प्रति परिवार 200 रु० की अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की है और अंत्येष्टि खर्च के लिए 50 रु० दिए हैं।

नागाओं द्वारा फिर से उपद्रवी कार्यवाही आरम्भ करना

*443. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में नागाओं द्वारा उपद्रवी कार्यवाही हाल ही में बढ़ गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि मिकिर तथा कछार क्षेत्रों में हाल के हमले इस फिर से आरम्भ की गई शत्रुतापूर्ण कार्यवाही के भाग थे ; और

(ग) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : नागालैण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिनमें मिकिर तथा असम का उत्तरी कछार जिला शामिल है, उपद्रवी नागाओं की कार्यवाही में काफ़ी समय से कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) इन गतिविधियों की रोकथाम के लिये असम और मणिपुर की राज्य सरकारों ने सारी सम्भव कार्यवाहियां की हैं। इन क्षेत्रों में गश्ती दस्ते बढ़ा दिये गये तथा अन्य सुरक्षा के प्रबन्ध भी अधिक कर दिये गये हैं।

औद्योगिक लाइसेंस

*444. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटन, अमरीका और कुछ दूसरे देशों में प्रचलित प्रणाली के सम्बन्ध में यह जानने के लिये कि वहां औद्योगिक लाइसेंस, कोटा तथा परमिट किस प्रकार दिये जाते हैं, अपना अध्ययन प्रतिवेदन तैयार कर लिया है;

(ख) क्या औद्योगिक लाइसेंस, कोटा और परमिट देने की प्रणाली को संहिता-बद्ध करने तथा इस कार्य के लिये एक अध-न्यायिक निकाय स्थापित करने का प्रश्न भी प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंप दिया गया है;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। परन्तु आयोग आर्थिक नियंत्रणों के ढांचे तथा कार्य-पद्धति का पुनरीक्षण करेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषकों की बेदखली

1764. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सलाहकार समिति ने परियोजन क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों में कृषकों की बेदखली की जांच करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की है ;

(ख) तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) क्या समिति ने उन स्थानों का दौरा किया था और यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–5716/66]**

(घ) जी हां। 20 दिसम्बर 1965 से 5 जनवरी, 1966 तक।

केरल के अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्याग्रह

1765. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 500 अराज पत्रित अधिकारियों ने 19 दिसम्बर, 1965 को क्विलोन कलेक्टोरेट के सामने सत्याग्रह किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कोट्टयम नगरपालिका स्टेडियम

1766. श्री अ० क० गोपालन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोट्टयम नगरपालिका स्टेडियम के लिये सरकार का कितनी धनराशि मंजूर करने का विचार है ;

(ख) नगरपालिका कितना व्यय वहन करेगी ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ हो जायगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) एक लाख रुपये ।

(ख) निर्माण की पूरी लागत, अर्थात् दो लाख रुपये नगरपालिका वहन करेगी, किन्तु इसमें से सरकार द्वारा दिया गया अनुदान कम हो जाएगा ।

(ग) भूमि अभिग्रहण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

तेल कम्पनियां

1767. श्री मधु लिमये : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा-शेल, कालटैक्स और एस्सो तेल शोधन कारखानों में जब उत्पादन आरम्भ हुआ, तो उनमें पृथक्-पृथक् कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी ;

(ख) इन कम्पनियों को आज तक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में वितरक कम्पनियों को 1954 से 1964 तक की अवधि में प्रति वर्ष कितना सकल तथा शुद्ध लाभ हुआ ; और

(ग) उक्त अवधि में इन कम्पनियों ने भारत से प्रति वर्ष कुल कितना धन बाहर भेजा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) उत्पादन शुरू होने के समय बर्मा शेल, कालटैक्स और एस्सो शोधन-शालाओं में कुल लगाई गई पूंजी कम्पनियों के ही अनुसार क्रमश: 2941, 1594 और 1412 रुपये थे ।

(ख) सम्बद्ध अवधियों के लिए कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना विवरण में दी हुई है, जिस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई है **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-5717/66]**

राँक फॉसफेट

1768. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत उर्वरकों के उत्पादन के लिए राँक फॉसफेट के मामल में संयुक्त अरब गणराज्य पर कब तक निर्भर बना रहेगा ;

(ख) भारत में इस स्त्रोतों की खोज करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन): (क) भारत में अब तक व्यापारिक समुपयोजन की दष्टि से राक फाँसफेट के भण्डार मालूम नहीं हुए हैं । अत: उर्वरक उद्योग के आवश्यकताओं के लिए देश को अरब गणराज्य और अन्य दशों से राक फासफट के आयात पर निर्भर होना पड़ता है । यदि और जब तक एसे भण्डारों का देश में पता नहीं लगता है तब तक आयातों पर निर्भरता रहेगी ।

(ख) और (ग) : भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मद्रास, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदश में राँक फॉसफेट की खोज के कार्य किये गये हैं । मद्रास के तिरूचिरपल्ली ज़िला में 0.127 मिलियन मीटरी टन के राक फासफेट के भण्डारों का अनुमान लगाया गया है । हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अब तक राक फासफेट के कोई कार्य योग्य भण्डारों का पता नहीं लगा है ।

आदिम क्षत्रों के स्कूलों के लिए अनुदान

1769. श्री मच्छराजू : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का इरादा आदिम क्षेत्रों के स्कूलों को राष्ट्रीय पैमाने पर अधिक वित्तीय सहायता तथा अनुदान देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जनजाति क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को विशेष अनुदान देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के पास कोई व्यवस्था नहीं है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से सेवा निवृत किया जाना

1770. श्री महेश्वर नायक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी से सेवा निवृत्त किया गया ; और

(ख) इन कर्मचारियों को किन किन अपराधों के कारण सेवा निवृत्त किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जहां तक उन मामलों का सम्बन्ध है जिनकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई, 38 सरकारी कर्मचारी (10 राजपत्रित और 28 अराजपत्रित) पिछले तीन वर्षों में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गए ।

(ख) दुर्विनियोग जिसके फलस्वरूप सरकार को हानि पहुंची ; झूठे दावों पर भुगतान प्राप्त करना ; निजी कार्य ; नियुक्ति अथवा व्यापार करना ; अवैध रिश्वत स्वीकार करना ; आय के साधनों की तुलना में अधिक सम्पत्ति होना ; धन उधार देना या लेना ; आदि ।

वैज्ञानिक अनुसंधान

1771. श्री उमानाथ :

श्री श्रीनारायण दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक मंत्रणा समिति ने वैज्ञानिक अनुसंधान विशेष कर प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान कार्य को अधिक तेजी से करने के लिये सरकार को कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय मे उपमंत्री डॉ० (श्रीमती) सोन्दरम : रामचंद्रन) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-5718/66]**

(ग) सिफारिशें उपयुक्त कारवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दी गई हैं ।

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान

1772. श्रीमती सावित्री निगम :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री हुकम चन्द कच्छवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को जो अनुदान दिये गये हैं वे सभी अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों की तुलना में बहुत ही कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : यद्यपि यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से बहुत कम अनुदान दिया जाता है (अन्य राज्यों में ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिनको उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के मुकाबले कम अनुदान मिला है) किन्तु यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित प्रायोजनाओं को कार्यन्वित करने में विश्वविद्यालयों द्वारा की गई प्रगति और राज्य सरकारों अथवा अन्य स्त्रोतों से तुलनात्मक योगदान की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Disposal of Cases in Courts

1773. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people have to go to courts for years together as their cases (civil or criminal) remain pending; and

(b) if so, whether Government propose to fix a specified period for the decision of these cases ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Criminal Cases remained pending from 2 days to 180 days in subordinate criminal courts and from 39 days to 232 days in Sessions Courts in 1960-62 in States for which information is available. Information about the pendency of a civil cases is not available.

(b) Administration of justice is primarily the responsibility of the State Governments. It is for them to fix limits on the pendency of cases where necessary.

सबरीगिरी परियोजना

1774. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने केरल राज्य स्थित सबरीगिरी की भारी बिजली परियोजना के कर्मचारियों पर 12 दिसम्बर, 1965 को लाठी चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति जखमी हुए तथा अस्पताल ले जाये गये ; और

(ग) निर्माण करने वाले मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) 17 कर्मचारी भारत सुरक्षा नियमों के नियम 8 के अधीन गिरफ्तार किये गये और 58 को केरल पुलिस अधिनियम के अधीन हटा दिया गया।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य

1775. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री काजरोलकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता में से चुने गये सदस्यों के गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किय गये प्रारम्भ विनियमों में उल्लिखित वेतन के मामले में, संघ लोक सेवा आयोग और गृह कार्य मंत्रालय में मतभेद है ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि इसके कारण सरकारी सेवा वाले और सरकारी सेवा से बाहर के सदस्यों में असमानता हो जायगी ;

(ग) क्या पेंशन के मामले में संघ लोक सेवा आयोग का प्रारूप विनियमों से मतभेद है ; और

(घ) क्या इन विनियमों को संसद् के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य मत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : प्रारम्भ नियम संघ लोक सेवा आयोग को अपना मत देने के लिय भेजे गये थे। सरकार इनकी जांच कर रही है।

(घ) जी नही।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों के लिये सहकारी स्टोर

1776. श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर तथा अन्य स्थानों पर सहकारी स्टोर खोलने के काम में और कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिये मद्रास में तो एक सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोल भी दिया गया है। आगे विचार करने के फलस्वरूप केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कर्मचारियों के लाभ के लिये 10 लाख से अधिक आबादी वाली महानगरियों में सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलने की एक योजना बनाई गई है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली में गुप्त ट्रांसमिटर

1777. श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में किसी गुप्त ट्रांसमिटर के लग होने के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका इस बीत पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका पता न लगा सकने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जांच से ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई ट्रांसमिटर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय अध्ययन संस्थान

1778. श्री श्रीनारायण दास : क्या **शिक्षा** मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने भारतीय अध्ययन संस्थान की इमारत को गिराने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण ऐसा किया जा रहा है ; और

(ग) इस कार्यवाही के विरुद्ध सरकार द्वारा किये गये विरोध का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) 1955 में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने निश्चय किया कि यदि भारत संबंधी अध्ययन को एक नए पौर्वात्य संस्थान में अन्य पौर्वात्य अध्यय के अन्तर्गत शामिल कर दिया जाए तो अधिक लाभदायक होगा। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के रूप में विश्वविद्यालय के लिए भारतीय संस्थान का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के चान्सरी प्रभाग का अनुमोदन 1956 में प्राप्त कर लिया गया था और विश्वविद्यालय ने इसके बदले 20,000 £ की राशि विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के प्रसार के लिए स्थायी-निधि के रूप में रख दी थी।

(ग) भारत सरकार के विरोध के बावजूद आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपनी योजनाओं को चालू रखने का निश्चय किया है।

बरौनी में पैट्रो-केमिकल उद्योग समूह

1779. श्री श्रीनारायण दास : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरौनी में पैट्रो-कैमिकल्स उद्योग-समूह (काम्प्लेक्स) स्थापित करने के लिए किसी विदेशी सहयोग कर्त्ता से बातचीत आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस के साथ; और

(ग) बातचीत इस समय किस अवस्था में है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

दण्डकारण्य में भूमि का आवंटन

1780. श्री सुबोध हंसदा : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री भागवत झा आजाद :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य में दी जाने वाली कुल भूमि को सात एकड़ से घटा कर पांच एकड़ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : अधिवासियों को आरंभ में 6.7 एकड़ कृषि भूमि तथा आवास के लिय 0.3 एकड़ प्लाट दिया जाता था। इस भूमि की मेढ़बन्दी कर दी गई थी किन्तु खेतों की मेढ़बन्दी अधिवासियों द्वारा की जानी थी। जब कार्य वर्ष 1964-65 का कार्यक्रम तैयार किया गया तो यह निर्णय किया गया कि वर्तमान जोत की भूमि के बारे में जहां अधिवासी अपने जोत में से एक एकड़ भूमि छोड़ दें तो प्रत्यक खंड में 2 से 3 एकड़ भूमि के समतल का कार्य दण्डकारण्य प्रशासन परियोजना द्वारा किया जायेगा और इस ऐच्छिक योजना के आधार पर यह निर्णय किया गया कि कृषि के लिये आवंटित कुल क्षेत्र जहां सिचाई सुविधायें नही हैं उसे 6.7 एकड़ से 5.7 एकड़ कर दिया जाये और वे क्षेत्र जहां सिचाई सुविधायें हैं उसे 4.7 एकड़ कर दिया जाय। समतल करने की इस योजना द्वारा अच्छी प्रगति हुई है और यह आशा की जाती है कि इस योजना के परिणामस्वरूप संशोधित भूमि में आरंभ में दी गई भूमि से अधिक उपज होगी।

कृषि भमि की सीमित प्राप्यता तथा विस्थापितों में बड़ी संख्या में कृषि परिवारों की प्रबलता को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक परिवार को जोत के लिये अधिक भूमि देना कठिन है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार में केवल एक या दो पुरुष ही कार्य करने वाले हैं। वे अधिक जोत की खेती को नही संभाल सकते।

नये गावों में, जो नमूना रखा गया है वह सामुहिक खेती का है, इसके अनुसार उन क्षेत्रों में जहां सिचाई सुविधायें नहीं हैं भूमि की दर 5.5 एकड और जिन क्षेत्रों में सिचाई सुविधायें हैं वहा 4.5 एकड़ रख दी गई है।

दण्डकारण्य में भूमि का सर्वेक्षण

1781. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेती के लिये भूमि की उपयुक्तता जानने के लिये दण्डकारण्य में भूमि का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या सरकार ने शरणार्थियों को दी गई समस्त भूमि को धान की खेती योग्य उत्तम भूमि बनाने की कोई गारंटी दी है; और

(घ) कितने प्रतिशत भूमि को अमन धान की खेती योग्य बनाया गया है तथा कितने प्रतिशत भूमि का अभी विकास किया जाना बाकी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) केवल फ्रासगांव क्षेत्र को छोड़कर जिसका कार्य 1959 में लिया गया था, भूमि सर्वेक्षण के बाद दण्डकारण्य क्षेत्र में कृषि के लिय भूमि का सुधार किया जा चुका है।

(ख) उमरकोट, परालकोट तथा मल्कानगिरि क्षेत्रों में 2,35,319 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया गया था, उसमें से 1,22,990 एकड़ भूमि उपयुक्त पाई गई थी।

(ग) समतल तथा सीढीदार खेतो बनाने की एक योजना लागू की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोत में से 2 से 3 एकड़ तक भूमि पर परियोजना प्रशासन द्वारा समतल तथा सीढीदार

खेत बनाये जाते हैं ताकि वह भूमि धान की खेती के लिये अधिक उपयुक्त बन जाये। अब तक 7,372 एकड़ भूमि पर सीढ़ीदार खेत बना कर मेढ़ लगा दी गई है और 326 एकड़ भूमि को समतल बनाया जा चूका है।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है, प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

अमृतसर में पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह

1782. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री भागवत झा आजाद : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में हाल में पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच-परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अमृतसर तथा अन्य स्थानों पर कुछ ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार किये गए जिन पर राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों में लगे होने का सन्देह था।

(ख) और (ग) : इस बारे में विस्तार से कुछ बताना लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

Education Extension Programme

1783. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**

Shri P. C. Barooah : **Shri S. C. Samanta :**

Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the benefit derived in the field of education as a result of the Education Extension Programme started by the Government of India; and

(b) the recurring and non-recurring expenditure on this programme during the last three years year-wise ?

The Education Minister (Shri M. C. Chagla) : (a) The programme of Extension Services for Secondary school teachers started in 1955 and that for Primary school teachers in 1962. The programme has helped to stimulate the interest of teachers in their professional development. Through short-term courses, workshops and seminars conducted, the teachers are being equipped with better teaching competences and made aware of the latest techniques and concepts in education. The programme is helping teachers in their class room problems, school improvement work, and organisation of science fairs. Further, through extension services educational information relating to curriculum, evaluation, guidance etc., is being disseminated to teachers.

(b) A statement is attached. [**Placed in Library. See No. L. T. 57/19/66**]

Technical and Industrial Training

1784. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken by Government to make arrangements to impart technical or industrial training to students at the school level keeping in view the fact the courses in the present system of education are such that the students are not able to earn their livelihood after passing their examinations;

(b) the scheme formulated by Government to implement this system on a large scale;

(c) the assistance or grants given by Government at the Centre or State level to encourage multi-purpose as well as other schools; and

(d) the total number of multi-purpose as well as other schools opened for the purpose in the country and the extent of their success ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Steps have been taken to impart vocational (including technical) education, at school level.

(b) Junior Technical Schools and Schools with diversified courses.

(c) On specific schemes the Centre has been giving 100% and/or 50% assistance, during the Third Plan.

(d) 3907 Multi-purpose Schools.
103 Junior Technical Schools.

The working of the Junior Technical Schools and Multi-purpose Schools is being constantly reviewed. Their usefulness is accepted by various bodies.

भयोत्पादक विनोद-पुस्तकें (कामिक्स)

1785. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, आन्दमान द्वीप-समूह तथा मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्रों में भयोत्पादक विनोद-पुस्तकें खुले आम बिक रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी प्राधिकारी ने इस उद्देश्य से कोई जांच की है कि क्या तरुणव्यक्ति (अपहानिपूर्ण प्रकाशन) अधिनियम, 1956 का भयोत्पादक विनोद पुस्तकों की बिक्री तथा परिचालन पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तीनों संघ राज्य क्षेत्रों में तरुण व्यक्ति (अपहानिपूर्ण प्रकाशन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार "अपहानिपूर्ण प्रकाशनों" (भयोत्पादक विनोद-पुस्तकों के नाम से प्रसिद्ध) की बिक्री का कोई मामला सामने नहीं आया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

यूनेस्को का हेग सम्मेलन, 1954

1786. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इमारतों, स्मारकों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों को मिली हुई छूट के सम्बन्ध में यूनेस्को के हेग सम्मेलन, 1954 की अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) वर्तमान आपातकाल के संदर्भ में उन अपेक्षाओं का पालन कब किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत सरकार ने 23 मई 1958 को सम्मेलन (उपसंधि) की पुष्टि कर दी थी। अनुच्छेद 33, पैराग्राफ 2 के उपबन्ध के अनुसार सम्मेलन (उपसंधि) और नया चार (प्रोटोकोल) 16 सितम्बर, 1958 से लागू हुए हैं। हेग सम्मेलन की आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना था। यह कर लिया गया है। चल और अचल दोनों प्रकार की सांस्कृतिक सम्पत्ति का चुनाव और वर्गीकरण अखिल भारतीय था और उसमें काफी समय लगना था। स्मारकों, आश्रयस्थलों आदि को यूनेस्को के पास रजिस्टर कराने के लिए कार्रवाइयां की जा चुकी हैं।

(ख) हेग सम्मेलन की आवश्यकताओं की यथाशीघ्र पूर्ती के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Correspondence Courses for M. A. in Delhi

1787. Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the present position of the scheme of correspondence courses for M.A. which Delhi University proposed to introduce this year; and

(b) when this scheme is likely to be introduced ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Managing Committee of the Directorate of Correspondence Courses, at its meeting held on 10th February, 1966, unanimously decided that due to various reasons it was not desirable to start the Correspondence Courses for Degrees other than the B.A. (Pass) in the University.

(b) Does not arise.

Middle School Examinations in Delhi

1788. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain public schools in Delhi had been previously granted exemption from the Middle School Examination conducted by the Directorate of Education and they arranged the said examination at their own level and are being given exemption this year also;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the names of such schools ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes.

(b) Because their existing standards are considered to be at least as high as the standard of the common middle school examination.

(c) 1. Modern School, New Delhi.

2. Central I.A.F. Station School, Race Course, New Delhi.

Registration of Cars in Delhi

1789. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1674 on the 1st December, 1965 and state :

(a) whether the inquiry about the gang engaged in fake registration of cars in Delhi has since been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) 8 cases have been detected in which five persons have been arrested. The investigation has been completed and the cases will be put in the court shortly.

Detention of Pakistan is Living in India

1790. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Maharashtra, organised a special police squad in December, 1965 to detect illegal Pakistanis living in India;

(b) the number of persons arrested so far; and

(c) the action taken against those persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c) : A Special Police Squad was formed in Bombay City in November, 1963, and not in December, 1965. During the years 1964 and 1965 about 1000 Pakistanis living illegeally in Bombay City were detected by this squad of whom 403 have been deported to Pakistan. Cases of most of the remaining persons are pending in courts.

अलवाय में उर्वरक परियोजना

1791. श्री कोल्ला वेंकेय्या :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्वाय स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ने उर्वरक परियोजना के लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया है; और

(ख) इस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट परीक्षाधीन है ।

एस० जे० टी० बी० अस्पताल में मृत्यु

1792. श्री विश्वना पाण्डेय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एस० जे० टी० बी० अस्पताल, दिल्ली में एक रोगी की मत्य के बारे में 1 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले की पूरी जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर "नहीं" है, तो कब तक जांच पूरी होने की सम्भावना है ?

गह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) पुलिस द्वारा हरचन्द कोशिश किये जाने के बावजूद अपराधी या अपराधियों का पता नहीं चल सका अत: इस मामले को 10-2-66 को दाखिल दफ्तर कर दिया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सैनिक सहकारी मकान निर्माण संस्था

1793. श्री विश्वनाथ पाण्डे : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिक सहकारी मकान निर्माण संस्था की इस प्रार्थना पर विचार कर लिया है कि उसे दिल्ली में भूमि दी जाये;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : सैनिक सहकारी मकान-निर्माण संस्था की दिल्ली में भूमि-नियतन की मांग अभी तक विचाराधीन है । लड़ाई में मारे गए प्रतिरक्षा कर्मचारियों की विधवाओं को विशेष आधार पर पहले से निर्धारित भाव पर प्लाट दिये जाने के बारे में प्रस्तावित कुछ अन्य रियायतों के साथ इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में गन फैक्टरी

1794. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री उत्तर प्रदेश में गन फैक्टरी सम्बन्ध में 1 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक गन फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक सरकारी क्षेत्र में गन-फैक्टरी स्थापित करने की कोई योजना नहीं बनाई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छात्रों द्वारा हड़तालें

1795. श्री द० द० पुरी : **श्री राज देव सिंह :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्रीमती राजदुलारी सिन्हा :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965 में छात्रों द्वारा की गई हड़तालों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा सम्बन्धी कार्य

1796. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के बारे में 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि तथा चिकित्सा शिक्षा समेत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों को एक ही तंत्र के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विषय अभी विचाराधीन है ।

Detention under D.I.R.

1797. Shri Bibhuti Mishra :

Shri Dhuleshwar Meena :

Shri Ramachandra Ulaka :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons detained under the D.I.R. in the country upto the 13th February, 1966;

(b) the monthly expenditure being incurred on them; and

(c) the time by which Government propose to bring the charges against them before an open Court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) A detention under clause (b) of sub-rule (1) of rule 30 of the Defence of India Rules is made for the purpose specified in that sub-rule and as such the question of bringing charges against a detenu before an open court does not arise.

सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को हथियारों का दिया जाना

1798. श्री दलजीत सिंह :

श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के कितने लोगों को हथियारों के लिये लाइसेंस दिये गये है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

1799. श्री दलजीत सिंह : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में 1965 तथा 1966 में अब तक पृथक पृथक रूप से पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों की कुल कितनी खपत हुई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : 1965 में पंजाब में लगभग 4,25,000 मीटरी टन पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत अनुमानित है । जनवरी और फरवरी, 1966 में लगभग 80,000 मीटरी टन पैट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत अनुमानित है ।

पंजाब में पालीटेक्निक संस्थायें

1800. श्री दलजीत सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब के पहाड़ी तथा सीमावर्ती जिलों में कितनी पालीटेक्निक संस्थाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पंजाब में कुछ ओर पालीटेकनिक संस्थाएं खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) छः ।

(ख) और (ग) : चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में, जिनमें पंजाब भी शामिल है, कितने नए पोलिटेक्निक खोले जाएगें, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

मेसर्स नैशनल कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता

1801. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने दिसम्बर, 1965 में कलकत्ता की नेशनल कम्पनी लिमिटड के कार्यालय के प्रांगण की तलाशी ली थी;

(ख) क्या कम्पनी के प्रबन्धकों पर धन का **गबन** करने के आरोप थे;

(ग) क्या साथ ही साथ कम्पनी की चावल मिलों और उसके कुछ सर्वोच्च पदाधिकारियों के मकानों की तलाशी ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तलाशी का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) धन के ग़बन का आरोप कम्पनी के करीमपुर के क्रय केन्द्र के अधिकारियों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ है ।

(ग) नेशनल कम्पनी लिमिटेड के प्रांगण के अतिरिक्त कम्पनी की जूट मिल और कम्पनी के कुछ अधिकारियों के निवास स्थानों की भी साथ ही साथ तलाशी ली गई ।

(घ) इन तलाशियों के फलस्वरूप प्राप्त दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है और खोज अभी तक जारी है ।

Stabbing of a Sarpanch in Delhi

1802. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the culprits responsible for the stabbing of a village Sarpanch on the 20th December, 1965 in Delhi have been apprehended by the police; and

(b) if so, the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla) : (a) and (b). The victim was a village Pradhan. All the three accused persons have been arrested and will be sent for trial.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच कार्य से सम्बन्धित नियम पुस्तिका

1803. श्री यशपाल सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच अधिकारियों की सुविधा के लिये तथा निर्देश-कार्य के लिये केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रस्तावित नियम-पुस्तिका का संकलन-कार्य पूरा किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो यह नियम-पुस्तिका कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता नियम-पुस्तिका का प्रारूप तैयार करने से सम्बन्धित कार्य शुरू कर दिया गया है और आशा है कि लगभग 6 मास में पूरा हो जायेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का डिग्री कोर्स

1804. श्री यशपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा स्तरों को ऊंचा उठाने के लिये चार वर्ष का डिग्री कोर्स आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बनाई गई समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची ("टेलेंट बैंक")

1805. श्री बड़े :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के रोजगार सूचना तथा सहायता विभाग द्वारा आरम्भ की गई प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची "टेलंट बैंक" के समान अन्य स्थानों पर ऐसी ही पंजी आरम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हालही में शुरू की गई टेलेंट बैंक की प्रयोजना प्रयोगात्मक स्तर पर है । इस योजना को अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आसाम के कुछ गांवों पर घुसपैठियों का कब्जा

1806. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में अनियमित सेना की सहायता से पाकिस्तानी घुसपैठियों ने ग्वालपाड़ा जिले (आसाम) में कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी क्षेत्रों से अब पाकिस्तानी घुसपैठिये निकाल दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां । गोलपाड़ा जिले और सत्रसाल की सीमा चौकी की तरफ़ पाकिस्तान से बेरोकटोक गोलीबारी के फलस्वरूप फ़स्करकुटी और भोगडांगा गांवों के निवासी जिनके परिवारों की संख्या 35 थी, दिसम्बर, 1965 के दूसरे सप्ताह में सुरक्षित स्थानों पर ले जाये गए । इसका लाभ उठाये हुए 80 पाक राष्ट्रिकों ने जिनमें से अधिकांश भारत से निकाले गए घुसपैठिये थे इन दो गांवों के खाली मकानों पर कब्ज़ा कर लिया ।

(ख) अन्ततः इन दो गांवों को इन पाक राष्ट्रिकों से खाली करा लिया गया और इन्हें 30/31 दिसम्बर, 1965 को वापिस पाकिस्तान भेज दिया गया ।

हिमाचल प्रदेश के लिए विश्वविद्यालय

1807. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में हिमाचल प्रदेश में एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र से कोई सहायता मांगी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । ऐसा एक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश प्रशासन से प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रस्ताव का उद्देश्य सम्बद्धन-एवं-शिक्षण प्रकार का एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय स्थापित करना है जिसमें पशु पालन समेत विभिन्न आकार प्रकार की बागवानी और कृषि उस शैक्षणिक कार्यकलापों का एक प्रमुख अंग होगी । प्रस्ताव के अन्तर्गत मानवविद्याओं, विज्ञानों और टेक्नोलाजी में शिक्षण-विभाग स्थापित करना शामिल है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ऐसी किसी सहायता की मांग नहीं की है । प्रशासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव के सम्बन्ध में केवल सहमति की मांग की है ।

बिहार में गिरफ्तारियां

1808. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) बिहार राज्य में पिछले वर्ष खाद्य आन्दोलन में कितने व्यक्तियों को गिरफ़तार किया गया;

(ख) गिरफ़तार किये गये व्यक्तयों में से कितने व्यक्तियों को भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया है;

(ग) गिरफतार किये गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों पर फौजदारी मुकदमे चलाये गये;

(घ) भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किय गय व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति रिहा किये गये; और

(ङ) गिरफ़तार किय गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति रिहा किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (ी हाथी) : (क) से (ङ) तक : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Arson at Baramula

1809. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Latan Chaudhry :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Pakistani elements were found to be involved in the serious case of arson that took place at Baramula in the second week of January, 1966;

(b) if so, whether any such elements have been apprehended ; and

(c) the estimated loss cuased by this arson ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir;

(b) Does not arise;

(c) Information is awaited from the State Government regarding the estimate of the loss.

उड़ीसा में युवक होस्टल

1810. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में युवक होस्टलों का निर्माण करने के लिए 1965–66 में उस राज्य के लिए कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) उक्त अवधि में किन स्थानों में इन होस्टलों का निर्माण किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए उस राज्य को 1966–67 में कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहले से ही अनुमोदित प्रायोजना को पूरा करने के लिए 20,000 रुपये।

उत्कल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय अनुदान

1811. **श्री धुलेश्वर मि० ना०** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक समारोह मनाने के लिये उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा) को 1965–66 में कोई केन्द्रीय अनुदान दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टैरीलीन के रेशे का उत्पादन

1812. **श्री रायचन्द्र उलाका** :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय टैरीलीन के रेशे का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) इसकी वर्तमान आवश्यकता कितनी है; और

(ग) किस प्रकार तथा कितनी आवश्यकता पूरी हो रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री (अलगेसन) : (क) प्रतिवर्ष 2 मिलियन किलो-ग्राम।

(ख) देश में इस रेशे की आवश्यकता घटती बढ़ती है और मूल्य एवं उपलब्धि पर निर्भर है। ऐसा इसलिये है कि आवश्यकता को वैकल्पिक रूप में प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा तैयार किये गये रेशों द्वारा पूरा किया जा सकता है।

(ग) प्रतिवर्ष 2 मिलियन किलो ग्राम की क्षमता-युक्त एक कारखाना उत्पादन कर रहा है। 4·50 मिलियन किलोग्राम की कुल क्षमता के लिए दो और आशय पत्र जारी किये गये हैं। दो और कारखानों को; जिन में से प्रत्यक की क्षमता प्रतिवर्ष 4.5 मिलियन किलोग्राम होगी; लाइसेंस देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

कोयला खान भविष्य निधि

1813. **श्री धुलेश्वर मीना**

श्री रामचन्द्र उलाका

क्या **श्रम रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में कोयला खान भविष्य निधि के खाते में कितनी राशि जमा की गई थी;

(ख) निधि में कितने कर्मचारी अपना अंशदाने जमा करत थे; और

(ग) इस निधि की राशि का किस प्रकार विनियोजन किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 7,86,89,598.82 रु० ।

(ख) 4,33,565 ।

(ग) निम्नलिखित निर्धारित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सरकार के ऋणपत्रों में :—
राष्ट्रीय रक्षा पत्र और रक्षा डिपाज़िट्स (राष्ट्रीय योजना बचत-पत्र और ट्रेज़री सेविंग्स डिपाज़िट सर्टिफिकेट मिलाकर) .....20 प्रतिशत
भारत सरकार के अन्य ऋण-पत्र (राष्ट्रीय रक्षा बांड मिलाकर) .... 80 प्रतिशत

पोलिस्टर रेशे का निर्माण

1814. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पोलिस्टर रेशे के निर्माण के बारे में कितने आवदन पत्रों पर सरकार इस समय विचार कर रही है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 19 ।

(ख) उनकी विस्तृत रूप में जांच की जा रही है ।

राजस्थान में युवक होस्टल

1815. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को राज्य में युवक होस्टल बनाने के लिये वर्ष 1965–66 में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं । राज्य सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में संस्कृत का विकास

1816. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को राज्य में संस्कृत का विकास करने के लिये 1965–66 में कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये संख्या एल० टी० 5720/66 ।]

सांस्कृतिक समारोह

1817. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने के लिये वर्ष 1965–66 में अब तक राजस्थान विश्वविद्यालय को कोई केन्द्रीय अनुदान दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अलोह धातु विज्ञान में अनुसंधान

1818. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलोह धातु-विज्ञान में अनुसंधान को सुदृढ़ करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिये बुलाया गये ब्रिटेन के दो विशेषज्ञों ने अपना काम पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उनकी सिफारिशें कहां तक स्वीकार कर ली गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खानों द्वारा उपस्थिति तथा बोनस संबंधी पंजियों का रखा जाना

1819. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं, जिन पर उपस्थिति पंजियों तथा बोनस पंजियों को ठीक ढंग से न रखने के कारण मुकदमें चलाये जा रहे हैं; और

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या है जिन पर त्रैमासिक बोनस, समयोपरि मजूरी तथा वार्षिक अवकाश मजूरी और रेल का किराया न देने के कारण मुकदमें चलाये जा रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : जिन कोयला खानों ने खिलाँफ (i) बोनस रजिस्टर न बनाने या उन्हें ठीक ढंग से न रखने तथा तिमाही बोनस की अदायगी न करने (ii) हाज़िरी रजिस्टरों को ठीक

ढंग से न बनाने, और (iii) रेलवे के किराए की अदायगी न करने के कारण मुकदमें चलाए गए हैं, उनके नाम संलग्न परिशिष्ट 'क', 'ख' और 'ग' में दिए गए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5721/66।**]

उपलब्ध सूचना के अनुसार समयोपरि भत्ता और वार्षिक छुट्टी की मजूरी न देने के कारण खान अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुकदमें नहीं चलाए गए। परन्तु इस प्रकार की बकाया राशि की वसूली के लिए श्रमिकों के लिए मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत उपाय उपलब्ध है।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में तेल की खोज

1821. **श्री गोपाल दत्त मेंगी :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल का पत्ता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश, होशियारपुर, कांगड़ा और जम्मू तथा काश्मीर के किन क्षेत्रों में प्रारम्भिक खोज की गई है;

(ख) किन स्थानों में तेल मिलने की आशा है; और

(ग) किन स्थानों में खुदाई का कार्य (ड्रिलिंग) आरम्भ कर दिया गया है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) पंजाब के मैदानों और पंजाब हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर की गिरिपीठों (foot hills) में भूगर्भीय और भूभौतिकी खोज कार्य किये गये है। गिरिपीठ क्षेत्र के कुछ भागों में खोज-कार्य प्रगति पर है।

(ख) इस समय यह नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी खोज कार्य जारी है।

(ग) ज्वालामुखी, जनोरी, वहल, वथूला और आदमपुर में खुदाई का काम हाथ में लिया गया है।

पुस्तकालय विधान

1822. **श्री गोपाल दत्त मेंगी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने पुस्तकालय विधान बनाये हैं अथवा बनाने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ख) राज्य विधान-मंडलों में इस प्रकार का विधान प्रस्तुत न करने वाले राज्यों ने क्या कारण बताये हैं?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : जहां तक इस मंत्रालय की जानकारी है, मद्रास, आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों ने क्रमश: 1948, 1960 और 1965 में पुस्तकालय विधान लागू कर दिए थे। मध्य प्रदेश, बिहार और केरल की सरकार पुस्तकालय-विधान बनाने पर विचार कर रही है। अन्य राज्यों द्वारा इस प्रकार का विधान लागू न करने का मुख्य कारण इस प्रयोजन के लिए धन की कमी बताया जाता है।

पाकिस्तानियों का निकाला जाना

1823. **श्री बसुमतारी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 दिसम्बर, 1965 को आसाम से निकाले गये पूर्वी पाकिस्तान के 77 राष्ट्रजनों को पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान में प्रविष्ट नहीं होने दिया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 16 दिसम्बर 1965 को उन 77 पाकिस्तानी राष्ट्रिक को जो दो तीन दिन पहले पूर्वी पाकिस्तान को निकाले गए थे पाकिस्तानी फौजों ने वापिस धकेल दिया। किन्तु इन सभी व्यक्तियों को अगले दिन पूर्वी पाकिस्तान को वापिस भेज दिया गया।

पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह

1824. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री जसवन्त मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल परियोजनाओं तेल शोधक कारखानों के निकट पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि गोहाटी तेल शोधक कारखाने के आसपास पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह स्थापित करने के लिए अब तक कोई योजना नहीं बनाई गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गोहाटी तेल शोधक कारखाने के चालू होने के पश्चात अब तक कितनी पेट्रोलियम गैस जलायी चुकी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) बम्बई में तटीय शोधनशालाओं के पास गैर-सरकारी क्षेत्र में एक पेट्रो-रासायनिक समूह स्थापित किया जा रहा है। बड़ोदा के पास कोयाली शोधनशाला के पास दूसरे पेट्रो-रासायनिक समूह की स्थापना के लिए बातचीत हो रही है। वरोनी शोधनशाला के पास कुछ पेट्रो-रसानिक उद्योगों की स्थापना के लिए सम्भाव्य अध्ययन किये गये हैं और उनकी जांच की जा रही है। चौथी योजना के पहले सालों के दौरान में मद्रास और हल्दिया शोधनशालाओं के पास पेट्रो-रासायनिक समूह की स्थापना की योजना है।

(ख) जी हां। क्योंकि गोहाटी शोधनशाला से उपलब्ध शोधनशाला कतर्ना (cuts) और निकली गैस की मात्रा इतनी काफी नहीं होगी जो आर्थिक दृष्टि से एक यूनिट के लिए युक्ति-संगत हो, इसलिए गोहाटी शोधनशाला के पास पेट्रो-रासायनिक समूह की कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ग) प्रतिवर्ष प्रदीपन में जलाई गई गैस की मात्रा निम्न प्रकार है :—

1962	4315 मीटरी टन
1963	8116 मीटरी टन
1964	15628 मीटरी टन
1965	15454 मीटरी टन
1966	1400 मीटरी टन

(केवल जनवरी तक)

सरकारी नौकरी में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

1825. श्री गुलशन :

श्री लहरी सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964, 1965 और 1966 में अब तक प्रत्येक मंत्रालय में कितने राज-पत्रित तथा कितने अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती किये गये हैं, और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शैं० नास्कर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा में न्यायिक आयुक्त

1826. श्री दशरथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस मांग के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है कि मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिये त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र में एक पूर्णकालिक न्यायिक आयुक्त की व्यवस्था की जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ । मनीपुर और त्रिपुरा के न्यायायुक्त ने खुद ऐसा सुझाव दिया था कि त्रिपुरा के लिये एक पूर्ण-कालिक न्यायायुक्त नियुक्त किया जाय । सरकार ने इस सुझाव को मंजूर नहीं किया क्योंकि कार्य के परिमाण से पृथक पद के निर्माण का औचित्य सिद्ध नहीं होता था ।

त्रिपुरा में पाकिस्तान द्वारा गोली चलाया जाना

1827. श्री दशरथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा सीमा पर गोली चलाने के कारण 1965–66 में त्रिपुरा में कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) क्या सरकार द्वारा मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई सहायक अनुदान दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितनी रकम दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सीमा पर पाकिस्तान द्वारा गोली चलाने के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति नहीं मरा । परन्तु 14 सितम्बर, 1965 को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा किये गये हवाई हमले में ड्यूटी पर नियुक्त हवाई अड्डे का एक आपरेटर मारा गया ।

(ख) तथा (ग) : मृत व्यक्ति की पत्नी को त्रिपुरा के मुख्यायुक्त की निधि से 200 रुपये की राशि दी गई थी । मृत व्यक्ति की पत्नी को घरेलू उद्देश्य के लिये अधिशुल्क रहित एक उपयुक्त भूमि का प्लाट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मिट्टी का तेल

1828. **श्री हेमराज :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य के गुरदासपुर और कांगड़ा जिलों में उपभोक्ताओं को जो मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है उस में पानी मिला होता है और वह तेल अच्छी तरह नहीं जलता तथा ठीक प्रकाश भी नहीं देता ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Duty on Imported Crude Oil

1829. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have imposed 20 per cent duty on imported crude oil;

(b) if so, since which date and the reasons therefor; and

(c) the additional revenue that would accrue to Government as a result thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Yes.

(b) Since 1-2-66, as a measure of protection to indigenous crude.

(c) On the basis of the estimated import of crude oil for the calendar year 1966 and on the basis of current prices, the revenue is estimated to be about Rs. 7.5 crores a year.

Barauni-Kanpur Oil Pipe-Line

1830. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Barauni-Kanpur oil pipe-line will be commissioned by March, 1966;

(b) if so, the cost thereof; and

(c) the names of the cities through which this pipe-line will pass ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Yes.

(b) The cost is estimated to be between Rs. 13 and 14 crores. The exact cost will be known after accounts are finalised.

(c) The pipeline will pass through Patna, Moghalsarai, Allahabad and Kanpur.

स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी

1831. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पश्चिमी बंगाल में बहुत सी कंपनियों के प्रबन्धकों ने अपने अपने सार्थों में श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन दिन, 11 जनवरी 1966 को छुट्टी करने से इन्कार कर दिया ;

(ख) क्या यह सच है कि उस दिन काम पर न आने वाले श्रमिकों को अमरीकी स्वामित्व वाली लूडलो जूट मिल में 'चार्जशीट' किया है तथा चेतावनी दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट मंगवाई गई है, जिसकी अभी प्रतीक्षा है। अपेक्षित सूचना सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

नांगल में उर्वरक कारखाने के लिये भूमि का अर्जन

1832. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में नांगल उर्वरक कारखाने द्वारा अर्जित की गई भूमि कई वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी है ;

(ख) क्या "अधिक अन्न उपजाओं" आन्दोलन के अन्तर्गत इस भूमि को किसानों को देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) कारखाने के आगामी विस्तार के लिए रखी गई भूमि कुछ समय तक अप्रयुक्त पड़ी रही।

(ख) और (ग) : भूमि प्रयोग एक्ट के अन्तर्गत आवंटन के लिए अप्रयुक्त भूमि का कुछ हिस्सा पंजाब सरकार के निपटान पर छोड़ा गया है और कुछ हिस्से में फर्टीलाइज़र कारपोरेशन खेती कर रही है। शेष उक्त भूमि को खरीफ के दौरान में कृषि के लिए उपयोग करने के यत्न किये जा रहे हैं।

पिछडे वर्गों के लिये मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां

1833. **श्री आर० रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) वर्ष 1965-66 में कितनी छात्रवृत्तियां दी गई और कितनी राशि की ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) : संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5722/66]**

उड़ीसा में राजनैतिक पीड़ितों को अनुदान

1834. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में राजनैतिक पीड़ितो से अनुदान के लिये कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) उक्त अवधि में उन्हें दी गई वित्तीय सहाय्यता की धनराशि क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : अप्रैल, 1 1965 से आज तक की अवधि में 21 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए । छः व्यक्तियों को 2,450 रु० की राशि एतदर्थ वित्तीय सहायता के रूप में मंजूर की गई । 14 प्रार्थनापत्र राज्य सरकारों को भेजे गए और एक नामंजूर कर दिया गया ।

पंजाब मे तेल का सम्भरण

1835. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा परिवहन संघों ने पंजाब में पर्याप्त मात्रा में तेल न मिलने के बारे में अपनी आवाज उठाई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) पंजाब से मिट्टी के तेल के कमियों को कुछ शिकायतें मिली थी ।

(ख) 21-2-1966 को लोक सभा में दिये गये मेरे विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । उसके अन्तर्गत पंजाब राज्य के लिये अलग अलग कम्पनियों का कोटा निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार से कहा गया है कि वे (।) तेल कम्पनियों से परामर्श करके अलग अलग जिले का कोटा निर्धारित करें (।।) बड़े नगरों में साम्य सप्लाई के लिये नियमित वितरण करें तथा (।।।) मिट्टी के तेल के एजेन्टों और व्यापारियों इत्यादि के व्यापारिक कार्यों को लाइसेन्स करके उनके उचित नियन्त्रण रखें ।

प्रति व्यक्ति कैपीटेशन फीस

1836. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी कालजों में प्रवेश संबंधी शुल्क के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली समिति के प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालयों तथा संबंधित राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालयों की निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं हैं :

(i) **कर्नाटक विश्वविद्यालय** : तथ्य-निर्धारण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय सहमत हो गया है ।

(ii) **बंगलोर विश्वविद्यालय** : बंगलोर विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 71 के अधीन मैसूर विश्वविद्यालय से पहले से ही सम्बद्ध कालेज एक वर्ष के लिए स्वत : ही बंगलोर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त रहते हैं। उसके बाद, एक निरीक्षण समिति द्वारा कालेजों के दौरे करने तथा अपनी रिपोर्ट दे देने के बाद कालेजों को विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। इसे देखते हुए, विश्वविद्यालय ने तथ्य निर्धारण समिति की सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

(iii) **मैसुर विश्वविद्यालय** : विश्वविद्यालय कालेजों को प्रत्येक वर्ष सम्बद्ध करने के लिए सहमत है और इस बात से भी सहमत है कि सम्बद्धन के लिए निरीक्षण समितियों का गठन करते समय वह तथ्य-निर्धारण समिति द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखेगा। फिर भी विश्वविद्यालय ने लिखा है कि अपने सम्बद्धन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, जिसने उसके कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले कालेजों का निरीक्षण किया था, विश्वविद्यालय इस बात से संतुष्ट है कि तथ्य निर्धारण समिति द्वारा बताई गई कमियों को पूरा कर लिया गया है। इसलिए उच्च कक्षाएं चलाने के लिए संबंधित कालेजों को विश्वविद्यालय ने वर्तमान शिक्षा वर्ष के लिए सम्बद्धन प्रदान कर दिया है।

तथ्य निर्धारण समिति की अन्य सिफारिशों पर मैसूर सरकार के परामर्श से आगे कार्रवाई की जा रही है।

अण्डमान में प्रादेशिक परिषद्

1837. श्री मधु लिमये :

श्री कोल्ला वकैया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान-निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों ने उस क्षेत्र के लिये एक प्रादेशिक परिषद् बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें द्वीप समूह में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की मांग की गई थी।

(ख) सरकार ने इस मांग पर सावधानी से विचार किया किन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया।

इन्द्रावती बेसिन में प्रवासियों को बसाना

1838. डा० चन्द्रभान सिंह : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से आये हुए प्रवासियों को इन्द्रावती बेसिन में औद्योगिक योजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों विशषत: इन्द्रावती नदी पर बांधों के निर्माण संबंधी काम पर लगाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव क्या था;

(ग) क्या इस बेसिन का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा होने तक पुनर्वास कार्यक्रम रूका हुआ है; और

(घ) क्या सरकार का विचार किसी एक परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने तथा नये प्रवासियों को ऐसे निर्माण कार्य पर लगाने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 263 दिनांक 18 अगस्त, 1965 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 617 दिनांक 25 अगस्त, 1965 के उत्तर में बताया गया था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 नये विस्थापितों को बसाने की पेशकश के अनुसरण कृषि योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार ने कुछ औद्योगिक खंड स्थापित करने की योजनायें भी भेजी थी । इन योजनाओं में से, बुनाई की मिल तथा पल्प और पेपर प्लान्ट स्थापित करने का प्रस्तावित स्थान दण्डकारण्य में इन्द्रावती बेसिन था । राज्य सरकार ने, बांध निर्माण के कार्य में नये विस्थापतितों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से चित्रकूट जल-विद्युत परियोजना के लिये, तृतीय योजना के अतिरिक्त त्वरित सहायता के लिये कहा था ।

(ग) और (घ) : निर्णय के अनुसार इन्द्रावती-सावरी बैसिन के तीव्र विकास के लिये स्वतन्त्र रूप से सरकार ने विशेषज्ञों की दो टीमें, एक सिंचाई तथा विद्युत संभाव्य के मूल्यांकन के लिये तथा दूसरी तकनीकी तथा आर्थिक सर्वेक्षण के लिये नियुक्त की थी । टीमों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये, मध्य प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि चित्रकूट परियोजना के बारे में टीम द्वारा उल्लिखित कुछ विशेष विषयों के सम्बन्ध में ब्योरेवार छान बीन की व्यवस्था की जाये । दण्डकारण्य में औद्योगिक खण्ड स्थापित करने के व्यापक कार्य-क्रम के बारे में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 304 दिनांक 2 मार्च, 1966 के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया था ।

25,000 स्पिन्डलज् सहित बुनाई की मिल स्थापित करने का कार्य जिसमें 1,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है, पुनर्वास उद्योग निगम को सौंप दिया गया है । औद्योगिक लाईसेन्स प्राप्त किया जा चुका है और स्थान के समतल तथा विकास का कार्य हाथ में ले लिया गया है । मशीनरी के लिये टैंडरों पर भी विचार किया गया है और मशीनरी की उन मदों के लिये जो आयात के लिये प्रस्तावित की गई हैं, देशी दृष्टि कोण से निष्कासन प्राप्त किया जा रहा है ।

जहां तक पैपर तथा पल्प प्लांट स्थापित करने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है । यह आशा की जाती है कि परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये ब्यौरेवार छान-बीन का कार्य शीघ्र ही प्रस्तावित भारत कागज निगम द्वारा हाथ में ले लिया जायेगा ।

विटामिन "सी" का निर्माण

1839. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महा निदेशक ने एक विदेशी फर्म को भारत में विटामिन 'सी' बनाने के लिये लाइसेंस देने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) एक विदेशी फर्म की पूर्णतया स्वामित्व अनुषंगी ने जो यहां पर एक भारतीय कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रर्ड है और भारतियों द्वारा साम्य साझेदारी के लिए कदम उठा रही है; संयन्त्र और उपकरण की

खरीद के लिए मुख्य कम्पनी (Principals) से प्राप्त विदेशी मुद्रा की सहायता से विटामिन 'सी' को तैयार करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। वज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विचारा है कि उनके पास देशीय जानकारी की उपलब्धि और इस तथ्य के कारण कि यहां पर पहले से ही कुछ देशीय उत्पादन है, इस मामले में कोई विदेशी सहयोग स्वीकार नहीं करना चाहिए।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1840. श्री नारायण रेड्डी :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रश्न शिक्षा आयोग को भेज दिया है ;

(ख) क्या आयोग ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : शिक्षा आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार नहीं की हैं।

भारत में साक्षरता

1841. श्री लखमू भवानी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले कितने प्रतिशत साक्षरता थी तथा इस समय कितने प्रतिशत साक्षरता है ;

(ख) क्या यह सच है कि 18 वर्ष के पश्चात भी हम इस संबंध में अपेक्षित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत में साक्षरता की प्रतिशतता 1951 में 16.6 तथा 1961 में 23.7 थी।

(ख) यह आवश्यक है कि निरक्षरता को तेजी से दूर किया जाए।

(ग) व्यस्क साक्षरता कार्यक्रमों की धीमी प्रगति और नव-साक्षरों का फिर से निरक्षर हो जाना।

गैर-सरकारी समवायों द्वारा बोनस का भूगतान

1842. श्रीमती अकम्मा देवी : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी समवायों ने बोनस भुगतान अधिनियम 1965 को क्रियान्वित किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत समझौते के रूप में किये गये सामुहिक करारों की शर्तों के अनुसार कम्पनियों द्वारा वर्ष 1965 के बोनस का भुगतान करने से इंकार किये जाने के कारण देश में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने समवायों के साथ वर्ष 1963, 1964 तथा 1965 के बोनस की मांग के संबंध में दीर्घकालीन समझौते किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) बोनस भुगतान अधिनियम का अनुपालन न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ उच्च न्यायालयों और सर्वोच्य में अधिनियम तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों की वैधता की चुनौती सम्बन्धी याचिका भी दायर की गई हैं।

(ख) इस प्रकार की भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उचित सरकारों द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मद्रास के निकट संस्कृत विश्वविद्यालय

1843. श्री काजरोलकर :

श्री पाराशर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के लिये मार्च, 1967 में मद्रास के निकट एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की सम्भावना है,

(ख) यदि हां, तो क्या प्रायोजकों ने धन की मांग की है;

(ग) इस प्रयास के संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यह विश्वविद्यालय कांची कामकोटी पीठ के वर्तमान जगद्गुरु शंकराचार्य के पीठासीन होने की 66सवीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) : इस मंत्रालय को किसी ऐसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

दृश्य-श्रव्य (ओडी विजुअल) संस्थाए

1844 श्री. प्र० चं० बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में दृश्य–श्रव्य संस्थाओं खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की संख्या क्या होगी और वे कहां कहां पर खोली जायेंगी; और

(ग) उन पर अनुमानतः कितना खर्च होगा और उन संस्थाओं का ठीक प्रतिरूप (पैटर्न) क्या होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

केरल मे बर्मा से आये हुए व्यक्ति

1845. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बर्मा से आये हुए लोगों को फिर से बसाने के लिए 1965–66 में कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) कितनी धनराशि अब तक खर्च की गई है और इस योजना से स्वदेश लौटे हुए कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) बर्मा से कुल कितने लोग स्वदेश लौटकर उक्त राज्य में आये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 2,28,050 रुपये।

(ख) 1,90,870 रुपये व्यय किये गये हैं और 632 परिवारों को लाभ पहुंचा है।

(ग) बर्मा से केरल में लगभग 3050 व्यक्ति आये हैं।

एर्नाकुलम में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए भूमि

1846. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के श्रमजीवी पत्रकारों ने एर्नाकुलम के विश्राम गृह के निकट कार्यालय बनाने के लिये एक छोटा भू-भाग (प्लाट) मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्रालय में प्रतिरक्ष संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

केरल में पिछडे वर्गों के लिए नौकरियों का आरक्षण

1847. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये आरक्षण करने के प्रश्न पर विचार करने के निमित्त एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम क्या थे :

(ग) क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी। हां, शिक्षण संस्थानों में स्थानों के आरक्षण के प्रश्न की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था।

(ख) सर्वश्री पी० एस० जार्ज थिरुवल्ला, एन० एम० पाईली, तथा वी० के० कृष्ण कट्टी इसके गैर-सरकारी सदस्य थे।

(ग) जी हां।

(घ) आयोग ने यह सिफारिश की है, कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में :

(i) शैक्षणिक तथा सामाजिक पिछड़े वर्गों अर्थात्, 4200 रुपये से कम वार्षिक आय वाले कुटुम्बों के लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें।

(ii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें।

(iii) 20 प्रतिशत स्थान मलाबार तथा त्रिवंकोर–कोचीन के बीच 5:8 के अनुपात से आवंटित किये जाये, तथा शेष स्थान खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जायें।

(iv) स्नातकोत्तर कक्षाओं के अतिरिक्त कला तथा विज्ञान कालिजों में कोई आरक्षण न दिये जाये।

(v) उपरोक्त आरक्षण दस वर्ष तक जारी रखे जायें।

(vi) तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिये पात्रता के न्यूनतम अंक आरक्षित ग्रुपों तथा अनारक्षित ग्रुपों के लिये समान होंगे।

राज्य सरकार इस प्रतिवेदन की जांच कर रही है।

उर्वरक कारखाना, कोचीन

1848. **श्री मोहम्मद कोया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) इस कारखाने में कब से उत्पादन आरम्भ होगा; और

(ग) क्या यह कारखाना स्वायत्त होगा अथवा फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के अधीन होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) 1968–69 में किसी समय।

(ग) यह फर्टीलाइजर और केमिकल्स ट्रावकोर लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जायेगी।

मलाबार में मुसलमान छात्रों को छात्रवृत्तियां

1849. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मलाबर क्षेत्र में मुसलमान छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती थीं ;

(ख) क्या किसी समिति की सिफारिशों पर अब उन्हें छात्रवृत्तियां देना बन्द कर दिया गया है ;

(ग) क्या समिति का प्रतिवेदन सर्वसम्मत था; और

(घ) क्या मुसलमान समुदाय के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (घ) : अपेक्षित सुचना केरल सरकार से मांगी गई है।

मंगलौर उर्वरक कारखाना

1850. श्री लिंग रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर उर्वरक कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) इस समय मैसूर में उर्वरकों की कमी को अब कैसे पूरा करने का विचार है ;

(ग) इस समय मैसूर राज्य की उर्वरकों की कितनी मांग है ;

(घ) उर्वरक कारखाने के राज्य एकक में उर्वरकों का कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) इस वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना उर्वरक दिया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(ख) राज्य सरकार को उर्वरकों के विभिन्न किस्मों का त्रैमासिक आवंटन किया जाता है। निम्नलिखित कारणों से अन्य राज्यों की तरह मैसूर राज्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सका :–

(1) आन्तरिक उत्पादन में कमी,

(2) उर्वरकों को आयात करने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्रतिबन्धित उपलब्धि; और

(3) विश्व बाजार में उर्वरकों की कमी।

(ग) उर्वरक की किस्म	1965-66 की मांग
अमोनिया सल्फेट	129,752 मीटरी टन
यूरिया	46,131 ,,
अमोनिया सल्फेट निट्रेट . . .	17,365 ,,
केलसियम अमोनिया निट्रेट . . .	38,550 ,,
अमोनिया कलोराइड	1,000 ,,
अमोनिया फासफेट	6,000 ,,

(घ) वर्ष 1965 में कारखाने ने निम्नलिखित पदार्थों का उत्पादन किया :–

(1) अमोनिया सल्फेट . . .	229	मी० टन
(2) सुपर फासफेट . . .	17,888	,,

(ङ) 1965–66 में आबांटन एवं वास्तविक प्रदाय निम्नप्रकार है :–

	आबांटन 1965–66	31-1-1966 तक सप्लाई
अमोनिया सल्फेट	78,495	72,352
यूरिया	23,996	16,060
अमोनिया सल्फेट निट्रेट . . .	3,112	2,485
केलसियम अमोनिया निट्रेट	22,790	16,073
अमोनिया क्लोराइड	1,000	603

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE:QUESTION OF PRIVILEGE

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : कल मैं ने तथा 8 या 9 अन्य सदस्यों ने जो विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी, उस के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व मुझे आपका संदेश मिला है कि मैं उस प्रस्ताव के लिये आग्रह न करूं। मैं आप की इच्छाओं का आदर करता हूं परन्तु नियमों के अनुसार ऐसे मामलों को सभा की सूचना के लिये लाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा की सूचना के लिये माननीय सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करें।

श्री कपूर सिंह : मैं ने विशेषाधिकार प्रस्ताव 7 मार्च के 'टाइम्स आफ इण्डिया' और 8 मार्च के 'प्रताप' तथा अन्य समाचार पत्रों में दिल्ली में हुए एक सम्मेलन के बारे में समाचार तथा चित्र प्रकाशित होने के कारण दिया है। इस सम्मेलन का सर्व हिन्द महा मूर्ख मण्डल से संबंध है और इस महा मूर्ख मण्डल की कार्यवाही सभा की एक माननीय सदस्या की अध्यक्षता में तथा उनके मार्ग प्रदशन से हुई थी। इन समाचार-पत्रों के मुख-पृष्ठ पर इनके चित्र प्रकाशित हुये, हैं जिसमें वह मसावरे की नकीली टोपी पहने तथा तमगों से सजी बैठी हैं जिस से यह स्पष्ट है कि उन्हें गरिमा तथा शिष्टता और बुद्धिशील आचरण का कोई ख्याल नहीं है।

मैं हिन्दी भाषा का विशेषज्ञ नहीं हूं परन्तु 'मूर्ख' उसे कहते हैं जिस में सामान्य बुद्धिशीलता कुछ अधिक न हो। 'महा-मूर्ख' वह है, जो बिलकुल बुद्धिहीन हो अथवा क्षीण-बुद्धि हो। चूंकि माननीय सदस्या ने इस 'महा मूर्ख मण्डल' की कार्यवाही का संचालन किया था और अपने आपको भी 'महा मूर्ख' कहा था, व्यवहारिक रूप से इस सभा के अन्य सदस्य भी उसी श्रेणी में आ गये। माननीय सदस्या ने अपने आचरण से इस बात का अनुसमर्थन किया है कि सभा के अधिकतर सदस्य वैसे ही हैं जैसा कि उन्होंने अपने आप को सारे आम बताया था।

यदि किसी संस्था के किसी सदस्य का आचरण अपेक्षित स्तर तक नहीं आता जो उस संस्था को अधिकार है कि उस सदस्य की निन्दा को। वर्तमान स्थिति में भी सभा का यही कार्य होना चाहिये। अतः मेरा विचार है कि सभा के विशेषाधिकारों को भंग किया गया है और इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : माननीय सदस्य 'होली' के त्योहार का महत्व नहीं जानते। 'होली' के त्योहार के दौरान ऐसी रीति है कि स्वस्थचित्त लोग भी कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो पागलों जैसा दिखाई देता है। हमारे देश में ही ऐसा नहीं है। अन्य देशों में भी ऐसे त्योहार मनाये जाते हैं। सभा के विचार करने योग्य कोई मसाला नहीं है। जैसे ही यह पता चल गया था कि माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे थे, उन्हें रोक दिया जाना चाहिये था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि इस मामले पर कोई चर्चा हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्य ने बोलने के लिये हठ की है।

श्री कपूर सिंह : दस सदस्य मेरा समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। मैंने उसके लिये अनुमति नहीं दी थी। सदस्यों को सभा में किसी मामले को लाने से पहले उस पर विवेकपूर्ण विचार कर लेना चाहिये। मैंने इस मामल को थोड़ा इस कारण चलने दिया ताकि मैं

सभा को दिखा सकूं कि सभा में कैसे मसले लाये जाते हैं और कि मेरे लिये यह क्यों आवश्यक है कि मैं यह निर्णय करु कि कैसे मसल यहां लाये या न लाये जाने चाहिये इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया है कि मैं भविष्य में ऐसी बातों के न लाये जाने के लिये सख्ती से काम लूं।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री भागवत झा आजाद (भागतपुर) : इसे सभा की कार्यवाही में रहने दिया जाये ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि माननीय सदस्य कितने बुद्धिमान हैं और उन्होंने सभा का समय किस प्रकार खराब किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय लेखापरीक्षा विभाग में भूख हड़ताल

अध्यक्ष महोदय : श्री शचीन्द्र चौधरी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब श्री कछवाय ने यह ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी तो मैंने आप से आग्रह किया था कि माननीय गृह मंत्री भी वक्तव्य के समय सभा में उपस्थित रहें क्योंकि यह मामला उन से भी उतना ही संबंध रखता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मंत्री भी वित्तमंत्री के वक्तव्य के संबंध में कुछ और बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री अपना वक्तव्य दें।

वित्त मंत्री (श्री सचिन्द्र चौधरी) : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के कुछ कर्मचारियों ने पिछले 3 और 4 मार्च को सांकेतिक उपवास किया था। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को प्राप्त हुई रिपोर्ट से पता चलता है कि दोनों दिन उनके कार्यालयों में सामान्य रूप से काम हुआ। संस्था द्वारा जारी किये गये प्रचार-पत्रों में यह भी कहा गया था कि कर्मचारी काले बिल्ले लगायें, लेकिन वास्तव में कुछ ही कर्मचारियों ने ऐसे बिल्ले लगाये। इन दोनों दिनों में से एक या दोनों दिन कार्यालय के स्थान के बाहर और कार्यालय के काम के समय के बाद सभाएं की गयीं। इन सभाओं में अधिक व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और जिन लोगों ने उनमें भाग लिया उनमें से कुछ भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के नहीं थे।

2. अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखा-परीक्षा और लेखा संस्था तथा विभाग के कर्मचारियों की कई अन्य स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त प्रतिवेदनों (रिप्रेजेण्टेशनस) से पता चलता है कि इस उपवास का मुख्य उद्देश्य 1959 में वापस ली गयी संस्थाओं की मान्यता को फिर से बहाल करने की उन की मांग पर जोर देना था। वास्तविकता यह है कि भारत सरकार ने दिसम्बर 1956 में इस संस्था को मान्यता दी थी। इसके थोड़े समय बाद पता चला कि यह संस्था ऐसी कार्रवाइयों में भाग ले रही थी जो सरकार द्वारा स्वीकृत संविधान के विपरीत थीं। इनका लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में प्रशासन तथा सम्बद्ध संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्धों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। इसलिए 3 अप्रैल, 1959 को इस संस्था को एक 'कारण बताओ नोटिस' (शो काज नोटिस) दिया गया और सफाई देने के लिए उसे 30 अप्रैल 1959 तक का समय दिया गया। चूंकि नियत तारीख तक कोई

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ इसलिए सरकार ने मई 1959 में ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की सलाह से संस्था की दी गई मान्यता वापस लेने का फैसला किया। मान्यता वापस लेने का आदेश जारी होने के बाद संस्था ने 'कारण बताओ नोटिस' का विस्तृत उत्तर भेजा। इस उत्तर पर गौर से विचार किया गया। लेकिन, चूंकि उसे संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए मान्यता वापस लेने का आदेश कायम रखा गया।

3. जुलाई, 1960 में इस संस्था और उसके पदधारियों (आफिस बियरर्स) ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कुछ वर्गों की अवैध हड़ताल में प्रमुख भाग लिया था। बाद में, हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन संस्थाओं की मान्यता वापस ली गयी थी सरकार ने उनकी मान्यता बहाल करने के लिए हिदायतें जारी कर दीं। ये हिदायतें इस मामले पर लागू नहीं होती थी क्योंकि इस संस्था की मान्यता जुलाई 1960 की हड़ताल से बहुत पहले वापस ली गयी थी और इस हड़ताल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। तब से यह संस्था अपनी मान्यता बहाल करने के लिए मांग करती रही है। लेकिन अपने ही स्वीकृत संविधान करने पर उसने कभी भी खेद प्रकट नहीं किया है।

4. इस बीच सरकार के कर्मचारियों की संस्थाओं को मान्यता देने के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है। अक्टूबर, 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियमावली 1955 का नियम 4 (ख) अवैध घोषित कर दिया था क्योंकि वह नियम संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ग) के उपबन्धों के विरुद्ध था। चूंकि केन्द्रीय असैनिक सेवा (सेवा संस्थाओं को मान्यता) नियमावली, 1959, आचरण नियमावली के नियम (ख) के संदर्भ में बनाई गई थी जिसे रद्द कर दिया गया था, इसलिए वह नियमावली अपने आप ही अप्रवर्तनीय हो गई। इस प्रकार सेवा संस्थाओं को मान्यता देने के लिए अब सरकार के पास कोई अधिकार नहीं रह गया है।

5. लेकिन मई, 1965 में सरकार ने फैसला किया कि नये नियम बनने तक, ऐसी संस्थाओं को अपनी शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों के पास भेजने और उनके साथ बातचीत करने मौका दिया जाय जो वर्तमान नियमों के अनुरूप हों, चाहे उन्हें औपचारिक रूप से मान्यता दी गयी थी या नहीं। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की तीन अन्य उन संस्थाओं के मामले में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है जिनकी मान्यता हड़ताल में भाग लेने के कारण वापस ले ली गयी थी और सम्बद्ध नियमावली के प्रभावहीन होने से पहले जिनकी मान्यता फिर से बहाल नहीं की जा सकी थी।

6. जहां तक अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखापरीक्षा और लेखा संस्था का सम्बन्ध है, ऐसी ही तथ्येन मान्यता (डि फैक्टो रिकगनिशन) के लिए उसकी प्रार्थना पर भी विचार किया जा रहा है। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक ने पिछले जनवरी में इस संस्था से कहा था कि वह पिछले चुनाव की तारीख, वर्तमान पदधारियों के नाम तथा उससे सम्बद्ध संस्थाओं और कार्यकारिणी समिति में उनके प्रतिनिधि सदस्यों के बारे में सूचना दे। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को संस्था का उत्तर 2 मार्च, 1966 को ही मिला था और अब वह उस पर विचार कर रहे हैं।

7. सरकार ने संस्था के जिस संविधान को पहले मान्यता दी थी उसमें कार्यकारिणी समिति और उसके पदधारियों के वार्षिक चुनाव की व्यवस्था थी। संघ द्वारा दिये गये उत्तर से पता चलता है कि उसकी कार्यकारिणी समिति का चुनाव 1960 के वार्षिक सम्मेलन में अर्थात लगभग छः वर्ष पहले हुआ था। कार्यकारिणी समिति ने वर्तमान पदधारियों को 1963

में चुना था और ऐसा मालूम होता है कि वे बिना किसी नए चुनाव के अपने पदों पर बने हुए हैं। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले नियन्त्रक महालेखापरीक्षक इन तथा अन्य सम्बद्ध बातों पर उचित ध्यान दे रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : It has been said that a few people were on hunger-strike, but the fact is that out of 40,000 employees, 30,000 to 33,000 persons were on hunger-strike. Has the information contained in the statement been obtained by Government at their own level or it is based on what the Auditor-General has said ? What is the specific difficulty in conceding to the demands of their Union ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : महा-लेखा परीक्षक ने पद-धारियों के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे और उनका उत्तर भी आ गया था। महा लेखा-परीक्षक उन पर विचार कर रहे है और शीघ्र ही अपना निर्णय देंग। अत: यह ठीक होगा कि माननीय सदस्य तब तक प्रतीक्षा करें और बाद में अपने सुझाव दे सकते है।

यह जानकारी महा-लेखा-परीक्षक से प्राप्त हुई है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस संस्था की मान्यता को 1959 में वापस ले लिया गया था क्या उस को पुन: मान्यता देने का निर्णय केवल महा-लेखा परीक्षक के हाथों में है अथवा गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों मिल कर हमेशा के लिये इस प्रश्न को निश्चय करेंगे ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि सभा को ज्ञात है, संविधान के अन्तर्गत महा-लेखा परीक्षक की विशेष स्थिति है। अत: मामला केवल उन्हीं पर निर्भर नहीं करता। यदि वह कोई भी युक्तियुक्त निर्णय लेते है तो अवश्य ही उसका समर्थन किया जायेगा। यदि वह ऐसा निर्णय नहीं होगा तो उनको ऐसा निर्णय न लेने के लिये कहना पड़ेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मान्यता सम्बन्धी सारे निर्णय केवल गृह मंत्रालय द्वारा ही लिये जाते है। सब कार्मिक संघों को, चाहे वे संघ हों या संस्थायों गृह-मंत्रालय द्वारा ही मान्यता दी जाती है। फिर इस विशष मामले को केवल महा-लेखा-परीक्षक ही क्यों निपटायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : उच्चतर न्यायालय के निर्णय के फलस्वरुप आजकल कोई नियम नहीं है। गृह-मंत्रालय व्यापक नियम बनाने के लिये कार्यवाही कर रही है। नियम बनाने के बाद यह प्रश्न उठेगा कि क्या मान्यता दी जाय अथवा नहीं और महा-लेखा परीक्षक को इस इस बात पर विचार करना होगा कि वे नियम लागू होते है या नहीं। नियमों के अतिरिक्त आजकल महा-लेखा-परीक्षक कुछ संघों को किन्हीं शर्तों पर मान्यता दे रहे है। उनमें से एक शर्त यह है कि क्या संस्था के कोई ठीक तरह से चुने हुये कार्यकारी समिति तथा पद-धारी है। अत: महा-लेखा-परीक्षक ने अब केवल यही पूछा है कि क्या ठीक ढंग से चुने हुये पद-धारी और कार्यकारी समिति है या नहीं। उत्तर आने पर वह कोई निर्णय लेगें। वैसे तो वह अभी भी उस पर विचार कर रहे है। उन्हें कुछ समय देना आवश्यक है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There are certain difficulties in the way of this association being given recognition, *viz.*, no elections have taken place for six years and that the elections should be conducted according to the Constitution. The provision for annual elections is good and democratic but whether enquiries about elections are made regarding other associations also or are they being conducted only against this Union ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार, सब संस्थाओने जिन को मान्यता दी गई है, अपने चुनाव ठीक ढंग से करवा लिये थे । म यह पता कर के बता सकूंगा कि इन संस्थाओं में पिछले वर्ष या दो वर्षो में एक बार चुनाव हुये है या नहीं ।

Sbri Madbu Limaye : Will the Union of the Auditor-General's office be given recognition after they have conducted their elections ?

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : यह हम सब को पता है कि 1959 से इस संघ को मान्यता नहीं प्राप्त है । क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जांच की है कि क्या अधिकारियो ने कर्मचारियो द्वारा संस्था की बैठकों अथवा चुनावों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध लगाये थे ? यदि नहीं, तो वह इस संस्था को सुचारू रूप से कार्य करने और पद-धारियों के लिये चुनाव किये जाने के लिये उचित वातावरण की व्यवस्था करवायें।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक मुझे पता है कि कार्यकारी समिति और पद-धारियों के चुनावों पर कोई रोक नही लगाई गई है । किन्तु मैंने इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं कराई है ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : क्या यह तथ्य नहीं है कि संस्था को मान्यता न दिया जाना स्वयं उसके सुचारू रूप से कार्य करने पर प्रतिबंध था । यदि सरकार उस रोक को हटा दे तो संविधान के दूसरे उपबन्धों का पालन किया जायेगा और नये पदधारियों का चुनाव भी हो जायेगा ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह प्रश्न नहीं है । यह तो तर्क है जिसे मैं स्वीकार नहीं करता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : क्या गृह मंत्री द्वारा बनाये गये नियम इस संस्था पर यदि उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है तो पूर्ण रूप से लागू होंगे अथवा महा-लेखा-परीक्षक अपने ही नियम लागू करेंगे ? दूसरे क्या यह संस्था गृह-मंत्रालय के तत्वावधान में बनी परामर्श समिति से सम्बद्ध हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह प्रश्न गृह-मंत्रालय से संबंधित है । केवल गृह मंत्रालय ही बता सकता है कि क्या परामर्श समितियां उन्हें मान्यता दे रही हैं अथवा उन से सलाह कर रही हैं ? प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में, निवेदन है कि यह नियम, सामान्य नियम हैं और महा-लेखा-परीक्षक को इन नियमों के क्षेत्र में ही कुछ अधिकार हैं । जब तक कोई ठोस कारण मान्यता न देने का हो, सामान्यता उन्हें मान्यता देनी ही चाहिये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : गृह मंत्री यहा उपस्थित हैं और मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री हाथी यहां हैं । ऐसा आश्वासन दिया गया है कि उन्हें संयुक्त परामर्श समिति के लिये मान्यता दी जायगी ।

गृह-मंत्री (श्री नन्दा) : मान्यता के लिये, संयुक्त परामर्श समिति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

1,000-2,250 रुपये के बीच के वेतन वर्गों के निर्वाह व्यय में वृद्धि की पूर्ति

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : श्रीमान, मैं 1,000–2,250 रुपय के बीच के वेतन वर्गो के निर्वाह-व्यय में वृद्धि की पूर्ति के बारे में वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1966 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1(12)ई० II(बी)/66 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5710/66।]**

श्री स० मो० बनर्जी : वित्त मंत्री ने आज वित्त मंत्रालय के 9 मार्च, 1966 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1(12)ई०II(बी)/66 को सभा पटल पर रखा है । उन्होंने 17 फरवरी को एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मामला विचाराधीन था । 4 मार्च को समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था कि सरकार ने बृहस्पतिवार को इस सम्बन्ध में यह निर्णय ले था लिया कि 1,000–2,250 रुपये के बीच के वेतन वर्गों के कर्मचारीयो के महगांई भत्ते में समान दरसे 100 रुपये की वद्धि की जायेगी । क्या संसद के अधिवेशन के दिनों में यह समाचार वित्त मंत्रालय से जारी किया गया था ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : वह वित्त मंत्रालय से जारी नहीं किया गया था ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार ने पिछले पांच या छ वर्षों में पांच या छ बार महंगाई भत्ते में वृद्धि की है और बढ़ते हुये जीवन-यापन सूचकांक का महांगई भत्ता कोई हल नहीं है । यह उन्होंने श्रेणी 3 या 4 के बारे में कहा था । परन्तु अब अधिक वेतन लेने वाले वर्ग के लिये वृद्धि कर के यह भेद-भाव क्यों किया गया है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक दूसरे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी शर्तें इन कर्मचारियों से भिन्न हैं । उन को उनकी मांगों के सम्बन्ध में प्रतिशतता के आधार पर भत्ता दिया जाता है । उनके श्रेणियों के हिसाब से मंहगाई दी जाती है । परन्तु यहां हम 100 रुपये प्रति मास की समान दर से दे रहे हैं ।

श्री दाजी (इन्दौर) : वित्त मंत्री ने अधिक वेतन लेने वाले वर्ग के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है परन्तु निम्न श्रणी के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है और मंत्री महोदय ने सम्बन्ध व्यक्तियों का सम्मेलन बुलाये जान के लिये कहा था । क्या उस सम्मेलन के बुलाये जाने के लिये कुछ कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री चौधरी : सम्मेलन शीघ्र ही बुलाया जायगा । हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ।

रोडेशिया के बारे में वक्तव्य

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्रीमान्, मैं रोडशिया के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० 5711/66 ।]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जो वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया है उस में लागोस में हुये राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों के प्रधानों के सम्मेलन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु अफ्रीका की एकता के लिये संगठन (आर्गनाइसेशन आफ अफ्रीकन यूनिटी) के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है । उस में कहा गया है कि प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर

[श्री हरि विष्णु कामत]

शास्त्री ताशकन्द सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण भाग नहीं ले सके थे । सम्मेलन में श्री सेन ने कहा था कि यदि प्रतिबंधों का अपेक्षित प्रभाव नहीं होगा तो बल प्रयोग किया जा सकता है । क्या सरकार का अफ्रीका की एकता के लिये संगठन में शामिल देशों से तथा राष्ट्रमण्डल के देशों से सम्पर्क है ? और क्या वे देश सरकार के इस दृष्टिकोण से कि केवल वल-प्रयोग ही उस समस्या का हल हैं, सहमत हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना सही नहीं है कि अफ्रीका की एकता के लिये संगठन का इस में उल्लेख नहीं है । मैंने इस संगठन की कार्यवाहियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है । हम उक्त संगठन के सदस्य देशों तथा राष्ट्रमण्डल के देशों से सम्पर्क बनाये हुय हैं । म यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संगठन की हाल की बैठक में पहले वाले सख्त क़दम जो उठाये थे दुर्भाग्य से फ़िर हटा लेने पड़े हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वे बल प्रयोग के लिये सहमत हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : बल प्रयोग के प्रश्न पर संगठन के सदस्यों में भावना तो है परन्तु एकमत्य नहीं है । वे आर्थक प्रतिवंधों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । सुरक्षा परिषद भी इस मामले से अवगत है ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : ब्रिटन ने जो कायवाही की है क्या सरकार ने उस से आगे भी और कोई कदम उठाये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : शायद माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि सब से पहले हम ने रोडेशिया में अपने कार्यालयोको बन्द किया था । दूसरे रोडेशिया द्वारा स्वाधीनता की एकपक्षीय घोषणा के तुरन्त बाद हम ने रोडेशिया से आर्थिक संबंध और व्यापार पर पूर्ण रोक लगा दी थी । यह ब्रिटेन द्वारा की गई कार्यवाही से कहीं अधिक था ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : चूंकि ब्रिटेन ने बल प्रयोग के प्रश्न को त्याग दिया है, तो श्री सेन द्वारा बल प्रयोग किये जाने का क्या मतलब है ? क्या उनका मतलब भारत द्वारा, अथवा अफ्रीकी देशों द्वारा अथवा ब्रिटन द्वारा बल प्रयोग किया जाने से है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अफ्रीकी एकता के लिये संगठन का भी यही दृष्टिकोण है कि रोडेशिया में अवैध शासन को समाप्त करने की जिम्मेदारी ब्रिटन की ही है । संगठन के अन्य देशों ने भी सुझाव दिया है कि ब्रिटेन को चाहिये कि रोडेशिया में अवैध शासन को यदि आर्थिक प्रतिबन्धों से समाप्त न किया जा सके तो वल प्रयोग द्वारा किया जाये ।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : चूंकि आर्थिक प्रतिबंध बिलकुल असफल रहे हैं, क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र अथवा दूसरे देशों से रोडेशिया को सही रास्ते पर लाने की दिशा में उपाय करने को कहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बड़ा अनिश्चित प्रश्न है । हमें इस समस्या पर काफ़ी चिन्ता है । इसी कारण से हम ने राष्ट्रमंडल के देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था । संयुक्त राष्ट्र में भी हम ने अपने विचार स्पष्ट कर दिये थे । हम इस अवैध शासन को समाप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे ।

श्री प्र० के० देव (कालाहंडी) : आर्थिक प्रतिबन्धों के बावजूद रोडेशिया को मुज़ाम्बीक से पेट्रोल मिल रहा है । क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोडेशिया, मुज़ाम्बीक, अंगोला तथा दक्षिणी अफ्रीकी के मामले में हस्तक्षेप किये जाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस विषय पर सारे विश्व का एक ही मत है । दुःख है कि फिर भी रोडेशिया में अवैध शासन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है । यह मामला सुरक्षा परिषद के समक्ष भी है और उसने सब सदस्य देशों से आर्थिक प्रतिवंधों को कारगर बनाने के लिये कहा है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद दक्षिणी अफ्रीका और अन्य देश रोडेशिया को तेल भज रहे है। अतः क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र से यह कहने का विचार रखती है कि यदि रोडेशिया पर लगाये गय प्रतिबन्धों को पूरी तरह से कारगर करना है तो दक्षिणी अफ्रीका तथा उन अन्य देशों पर जो रोडेशिया को सामान भजते हैं, भी प्रतिबंध लगाये जायें ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र में हमारा यही दृष्टिकोण है ।

Sbri Madbu Limaye (Monghyr) : Are Government aware that the British Prime Minister is befooling the African people by declaring that he would bring the illegal regime to the knees through economic sanctions ? The economic sanctions are strengthening the regime instead of weakening it. Besides if a white party comes in power after the ensuing general elections in Britain, it will have talks with Rhodesia. Therefore, do Government propose to take initiative in regard to taking military action under leadership of the United Nations against the white government of Rhodesia ?

Sbri Swaran Singb : I have already answered to this. The matter was also discussed in the Security Council but unanimity could not be reached there. O.A.U. also recognise this to be a difficult matter. We have to take action along with the Security Council and the O.A.U. as action by us alone will neither be proper nor fruitful.

श्री पें० वेंकटासुबय्या (अडोनी) : वदेशिक कार्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में यह कहा गया है कि भूत-पूर्व प्रधान मंत्री रोडशिया के प्रति ब्रिटेन के उत्तरदायित्व तथा रोडेशिया में अवैध श्वत अल्पसंख्याक सरकार को हटाने के लिये शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से बराबर पत्र-व्यवहार कर रहे थे । वह राष्ट्रमण्डल देशों से भी समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थ । सुरक्षा परिषद द्वारा की गई कायवाही के अतिरिक्त क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रमण्डल दशों ने रोडेशिया की उस अवध सरकार को हटाने में बल का प्रयोग करने की दिशामें और कोई प्रयत्न किये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह मामला लागोस सम्मेलन के सामने भी आया था । अधिक तर राष्ट्र मण्डल के देशों का रवैया यह था कि ब्रिटन को कुछ और समय दिया जाये और देखा जाय कि आर्थिक प्रतिबन्ध का क्या प्रभाव पड़ता है ताकि रोडेशिया की अवध सरकार को समाप्त किया जाने । हमारा विचार तो यह है कि यह तो बहुत नरम कार्रवाई है । परन्तु हमें इन पाबंदीयों के बीच कार्य करना है ।

छोटे समाचार पत्रों संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : महोदय सभा पटल पर छोटे समाचार पत्रों संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रति रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-5712/66 ।]**

व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन योजना, 1966, जो दिनांक 9 फरवरी, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 477 में प्रकाशित हुई थी ।

(2) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 9 फरवरी, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 478 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5713/66 ।]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

नवासीवाँ और नब्बेवाँ प्रतिवेदन

श्री अरुण चन्द्र गुह (बारसाट) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :--

(1) प्राक्कलन समिति के तीसवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय सम्बन्धी नवासींवा प्रतिवेदन।

(2) भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय--चाय बोर्ड, कलकत्ता के बारे में प्राक्कलन समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में वाणिज्य मंत्रालय सम्बन्धी नब्बेवाँ प्रतिवेदन ।

श्री उमानाथ के पैरोल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: PAROLE OF SHRI UMANATH

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अध्यक्ष महोदय, पैरोल पर रिहा किया व्यक्ति हर कानूनी कार्य कर सकता है यदि वह उन शर्तों का उल्लंघन न करे जिन पर उसे छोड़ा गया है।

श्री उमानाथ को इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अपनी बीमार पत्नी की सेवा करे। यह शर्त उन्होंने लिखित रूप में मान भी ली हैं। श्री उमानाथ को कोई नया आदेश नहीं दिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गृह-कार्य मंत्री ने एक वोरियार के तिरुचिरापल्ली जिले के पोलिस सब इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर लीपा पोती करने का प्रयास किया है। क्या यह सच नहीं है कि सदस्य महोदय को दिल्ली आने से रोक दिया है और इस से सदस्यों के अधिकारों का सम्बन्ध है। उसे और कहीं जाने से नहीं रोका है सिवाय दिल्ली के। क्या दिल्ली में आना इतना खतरनाक कार्य है ?

इसके अतिरिक्त जबकि सभा इस मामले पर चर्चा कर रहा था तो और गृह-कार्य मंत्री यहां वक्तव्य देने वाले थे तो मद्रास की सरकार ने दूसरा आदेश जारी कर दिया। यह सब उसने जानबूझ कर किया और 22 फरवरी वाले आदेश को बदल दिया। मुझे प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्री यहां ने तक कह दिया है कि सदस्य संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिये यहां आ सकते हैं। यदि वह उस आदेश का उल्लंघन न करें जिसके अधीन उन्हें छोड़ दे। परन्तु इस मामले को उसने सदस्य के ऊपर छोड़ दिया है, साफ तौर पर नहीं कहा है कि वह यहां संसद में आ सकता है।

कल मैं ने इस विषय पर विशेषाधिकार का नोटिस भी दिया है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों मामलों को पृथक पृथक रखा जायेगा।

पहला प्रश्न यह है कि जो सदस्य पैरोल पर रिहा किया गया है वह सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है अथवा नहीं। दूसरी बात यह है कि जब सभा एक विषय पर विचार कर रही हो तो मद्रास सरकार का दूसरा आदेश जारी किया हुआ सभा का अवमान है। मैं निवेदन करता हूं कि इसके लिये जो भी जिम्मेदार है उसको दंड देना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : अध्यक्ष महोदय यह एक बहुत ही संज़ीदा मामला है। उस आदेश में साफ तौर पर लिखा था कि "तुम दिल्ली नहीं जा सकते।" यह सब मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार की हिदायतें पर किया। इसका कारण यह था कि यहां दिल्ली में उसके मामले पर चर्चा हो रही थी। मेरे विचार में यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जावे।

मेरे विचार में महोदय आप के द्वारा श्री उमानाथ को छुड़वाया जावे। कुछ ऐसे मामले हुए हैं जहां आपने स्वयं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहकर पंजाब मे एक व्यक्ति को छुड़वाया और वह भाषा संबंधी समिति के सामने आया और बयान दिया। इसी प्रकार श्री सुन्दरय्या का भी पैरोल पर रिहाई का समय बढ़वाया।

मेरे विचार में गह-कार्य मंत्री इस पर संजीदगी से विचार करेंगे। यदि हम में से किसी एक के अधिकार को भी छीना तो उसका असर सारे सदन पर पड़ेगा।

श्री नन्दा : यहां पर गृह-कार्यलय मंत्रालय पर आरोप लगाया है कि केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को कुछ हिदायत दीं। मैं इस बात का खंडन करता हूं। दुसरी बात यह है कि इस विषय पर चर्चा 2 तारीख को हो रही थी और दूसरा आदेश भी दो तारीख को दी दिया गया। मद्रास के मुख्य मंत्री ने मुझे बताया है कि कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। वह तो केवल एक स्पष्टीकरण था। कि वह पहले आदेश के अनुसार दिल्ली नहीं जा सकता। उसे दिल्ली आने से कोई नहीं रोक सकता। समय से कुछ अन्तर नहीं पड़ता। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि उसे यहां आने से इस लिये रोका कि यहां संसद में चर्चा हो रही थी। मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि वह पैरोल पर छोड़ने के आदेश में कोई बदली करनी नहीं चाहते।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** Sir, under Article 105 of the Costitution I raise a point regarding privilege of the House wherein it has been stated that the privileges of this House shall be the same as those of the members of the House of Commons in U.K. there the Speaker once said that "the House is entitled to have a first claim (upon the sevices of members) and that any person who, by any action of arrest or hindrance prevents a Member from attending in his place to do his duty is guilty of contempt of the whole House". So here it creates hindrance. I therefore strongly support the motion of privilege of Shri Kamath.

Mr. Speaker : I do not agree with Shri Madhu Limaye. The House can have a first claim but if the member is arrested for a crime by a lawful authority or a court then there is no contempt of Parliament.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : महोदय नियम संख्या 225(2) के अन्तर्गत आपको विशेषाधिकार के प्रश्न पर मत लेना चाहिये था। उसका आपने उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। पहले मेरी मंजूरी लेनी आवश्यक है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : महोदय मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने अभी श्री उमानाथ के मामले में यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का हक उन लोगों को नहीं मिलता जिन्हें भारत रक्षा नियम में पकड़ा गया है।

रेलवे आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—(जारी)

RAILWAY BUDGET 1966-67—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Shri Sheo Narain (Bausi) **:** Mr. Speaker, I am saying for the last four years that the Railway line which goes upto Shiliguri and which is a narrow gauge line at present, should be made a double line. We are living on the border of Nepal. I therefore request that our means of communications should be improved there.

My second request is that Sahujanma, Mandhewal and Bausi should be connected by a railway line. Here we will get protection from Nepal border. During last Indo-Pakistan war, Railways did a good service and I congratulate this department on its performance.

[Shri Sheo Narain]

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

There is a great complaint these days about corruption in the Railway department. The reason for this is that you do not give adequate salary to the railway staff. The higher officials in the railway department are enjoying but you should look to the interest of class III and class IV employees.

I make a special mention of Lucknow. Even I could not get a seat there. After great deal of botheration I was provided a seat in second class compartment and only later on I learnt that a seat in a first class compartment was vacant. This is all corruption.

The tranins are not working punctually, they are mostly late. The staff who work on night trains should be given night duty allowance.

There are no waiting rooms for first class in Basti District wherever you go. That should be provided for.

You should spend money for giving more amenities to the passenger of IIIrd class which is giving you maximum income. You do not get much income from the First Class.

The bearers in the dining cars are very haughty. Previously it was not so when the trains were run by the private companies.

The freight which you have raised hits the consumer directly. I offer raising of freight on salt.

At Delhi a train stops regularly on a bridge for 15 minutes daily. It is mismanagement.

Railway workers should be given more amenities. There should be arrangements for the education of their children. They should be provided cheaf grain shops.

With these words I support the Demands for grants for Railways.

Sbri P. L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Deputy Speaker, I congratulate he Railway administration and its officials for the work that they did at the time of last war with Pakistan.

I must tell the Railway Minister that we find no change in the attitude of Pakistan and so there should be no complacency in our defence efforts.

I suggest to connect Shrikolala and Phadodi to Jaisalmer by Railway in the same way as you are connecting Pokaran and Jaisalmer.

There is a very bad system that employees are not made permanent for a long time. You take work from them for six months and then turn them out of employment. This system works for a number of years. I want those people to be given preference in employment.

The Railways are very bad in payment of bills. The result is that in courts the railways lose most of their cases.

About officers I can say only this that they are mostly on tours. They do not work.

Much land is lying waste on the sides of Railway track. If that is utilised for cultivation it will ease the food problem considerably.

It is good that you have got constructed hospital for workers in Bikaner. But the money spent on it has mostly gone in the pocket of contractors who are very corrupt. It should be enquired into and the licences of contractors should be cancelled.

There are no parcel rooms in our side and it results in theft of things. So at Mandi and other places in Bikaner Division parcel rooms should be provided. Similarly there are no sheds even in important stations in our side *e.g.*, Karanpur, Raisinagar, Ratangarh etc. Passengers are much inconvenience due to it. The sheds should be provided there.

There should be Express Train between Jaisalmer and Jaipur.

The catering arrangements are not good. Some members of Parliament from my State including I myself suggested that catering should be given to Cooperative Society but no action has been taken on it. It appears me clerk is cancelling all these recommendations of members of Parliament.

It is very bad that the ticket collectors when they go to check tickets are beaten by people. They should be given protection against such elements.

Security squad should accompany each ticket collector for the purpose of his security.

In regard to the recruitment of females in Railways, I have to say that they are not given opportunities and so their number in services is comparatively lesser than that of males. They are not given any kind of encouragement. I would like that they should be given preference in Railway Department similar to that which is given to persons of Scheduled Castes.

Shrimati Sahodra Bai (Damoh) : Railway has definately marched towards progress. The Railway Minister has done his work very systematically. But I have a complaint and that is much attention has been given to the cities and the rural areas are totally ignored. People of the backward areas are facing great handicap due to it. I have requested the Railway Minister that Railway lines may be extended in the Sagar areas, but nothing has been done in this direction. In that area there is only one Railway line. This is an area where frequent dacoities take place. If the railways are extended, this menace will also lessen. Railway will also be benefitted.

I have already requested for overbridge at Sagar, but this request has not yet been heeded to. Perhaps the people who does not talk loudly they are not heard by the Minister. Those who politely request they are not heeded to. I request the honourable Minister that he should pay attention to this demand of overbridge.

There is also scarcity of water everywhere on the railway station. Arrangements should be made in this direction. Platform should be raised and the backward areas should be properly attended to waiting rooms for ladies should also be there at Sagar Railway station. There should be dispensaries on the railway stations with special arrangement for ladies.

[Shri Sahodra Bai]

I admit during the Patil regime, much improvement has been made the working of the railways, but it will be very good of line, he should pay attention to my area also. I want that the arrangement of lady Police should also be there for the protection of ladies compartment. Loco workshop should also set up at Sagar so that people should have some convenience. Some train should be there between Damoh and Sagar.

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : Railways are a great national asset. Great national service is being done through the medium of railways. New railway zone by the name of South Central Zone has been created. Zones may be made but the areas should be contiguous. We should not have to pass through one zone in order to have supervision of the other. I am of the opinion that the South Central Zone is not convenient. It has not got the contiguous area. Sholapur, Hubli and Secunderabad divisions are totally cut apart. *It* will be convenient if the size of their zone be curtailed. It will be better and convenient if the three divisions is made a one compact unit.

Regarding the retirement of officers, I am of the opinion that the year 1957 have been very arbitrarily selected. I think those who retired before that date should also be covered. It will not be matter of much expenditure. There should be a committee to formulate a policy in regard to the conversion of metre-gauge and narrow gauge lines into broad gauge. There should be only broad gauge lines throughout the country.

It is very regrettable that the progress with regard to the construction of Mangalore-Hanam line is very slow. It is really very surprising that after 1947 no lines have been laid in Mysore State. The Karwar-Hubli line is very necessary for the transport of iron ore. Raichur and Koppal should also have a railway line to connect them. I also want to stress that when new lines are to be laid the first preference should be given to passenger trains. This is the method adopted all over the world. It is really very strange that on the Guntakal-Hospet line only goods trains are being run. I stress that a passenger train should also be there on this line.

This has also been discovered that a large quantity of coal is being pilfered from the railway stations all over the country. The railway employees make use of that coal in their kitchens. I may suggest that an officer may be appointed in the Watch and Ward Department to check this pilferage. This will result in a large saving for the railways. I may also draw the attention of the Minister to this fact that there is some difficulty of sitting accommodation in R.M.S. compartment in the Mysore Division which should be looked into.

Shri Besra (Dumka) : I want to put forward some suggestions on behalf of the area I represent. There is a proposal to lay new lines in the Santhal Pargana area of Bihar. The plan which have been submitted by the Deputy Commissioner of Dumka should be approved with the slight modification so that the running distance may be reduced. There is no night train from Jamtada for the passengers bound for Asansol, Calcutta or Patna. At least one train should be provided in the night for those passengers.

Also for the convenience of travelling public a stoppage should be provided at Kashitad halt because the passengers have to go all the way to Jamtada or Karmatad to catch the train. This causes them great hardship. I may also urge that an overbridge should be provided at Roopnarainpur station. The population of their place is increasing day by day due to the Hindusthan Cabel factory. The officers of the railway have also written to the Ministry to this effect. Some immediate action should be taken in this direction.

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : सदन ने रेलवे बजट का जो स्वागत किया है उसके लिए मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। जो आलोचना हुई है, उसका आधार भी प्रशंसा ही रही है। इस में कोई सन्देह नहीं कि रेलवे सरकारी क्षेत्र का सब से बड़ा उपक्रम है। इसकी आलोचना सब को करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कहां पर भूल हो रही है। सारी बातों का तो मैं उत्तर नहीं दे सकता परन्तु फिर भी बहुत सी बातों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत सी बातों का उत्तर तो डा० राम सुभग सिंह जी ने दे दिया है। हम यह भी प्रयास करेंगे कि प्रत्येक माननीय सदस्य के प्रश्न का मौखिक अथवा लिखित उत्तर दिया जायगा।

सब से अधिक सराहना इस बात के लिए सभी दिशाओं से हुई है वह यह कि पाकिस्तान से हुए संघर्ष के 22 दिनों में रेलवे ने अपना कर्तव्य बड़ी शानदार ढंग से निभाया है। इस बारे में जो मुबारकबाद दिये गये हैं मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। रेलवे प्रशासन को इसके लिए अपने सभी वर्गों पर गर्व है। हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि हमेशा अपना कर्तव्य आशातीत ढंग से पूरा करें। इसके पश्चात मैं नीति सम्बन्धी मामलों को लेता हूँ। वैसे रेलवे के कार्यों का संक्षेप में सदन के समक्ष पेश करूंगा। मैं यह नहीं कहता कि कोई कमी नहीं रही है, परन्तु हमने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है। और आगे भी जो कुछ हमारें बस में होगा हम इस दिशा में करते रहेंगे।

गत 18 वर्षों में रेलवे ने निरन्तर प्रगति की है। समय समय पर पूरा लाभ भी दिया है। तीसरी योजना के अन्तर्गत तो रेलवे ने अपने काम में बहुत ही सुधार किया। दूसरी पंच वर्षीय योजना में 4 प्रतिशत लाभांश हमने दिया था अब हम 6 प्रतिशत देंगे।

सभा को इस बात की जानकारी है कि अभिसमय समिति, 1965 की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद पिछले दिसम्बर में अभिसमय स्वीकार किया गया था। इसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(एक) 31 मार्च, 1964 के बाद उपलब्ध कराई कुल पूंजी पर लाभांश का दर 6 प्रतिशत है और उस तिथि तक की पूंजी पर लाभांश का दर 5.5 प्रतिशत है।

(दो) सामान्य वित्त से भारतीय रेलवें में लगाई गई पूंजी पर 5.5 प्रतिशत लाभांश में से केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 प्रतिशत राज्यों को दिया जायेगा।

(तीन) यदि सम्भव हो सका तो अवक्ष्यण के लिये राशि बढ़ा कर 6.50 करोड रुपये कर दी जायगी।

(चार) प्रति वर्ष विकास निधि में से चार करोड़ रुपये की राशि यात्रि तथा अन्य उपभोक्ता सुविधाओं के लिए रखी जायेगी।

तृतीय योजना के दौरान लाभांश में वृद्धि के अतिरिक्त रेलवे में अन्य प्रकरणों में भी द्वितीय योजना की तुलना में सुधार हुआ है। दूसरी योजना में लाभांश निश्चित करके तथा भुगतान की दर चार प्रतिशत थी परन्तु हम अब इसकी अदायगी छः प्रतिशत की दर से करेंगे। सभा उस प्रथा से अवगत है जो हम ने पिछले वर्ष अपनाई थी। नयी प्रथा रेलवे की दक्षता में वृद्धि तथा इसके कर्तव्यों में वृद्धि का संकेत करती है।

दूसरी योजना के दौरान रेलवे के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि वह खर्च पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व से ऋण ले। यह ऋण विकास निधि से लिया गया था। अब हम अच्छी स्थिति में है। रेलवे अवक्ष्यण तथा विकास निधि को पूरा करने के योग्य हो गई है। यह निधियां बहुत कम हो गई थीं। आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि किस प्रकार एक वर्ष के पश्चात् दूसरे वर्ष और एक योजना के पश्चात दूसरी योजना में रेलवे के वित्त में वृद्धि होती रही है। विकास निधि चौथी योजना के आरम्भ में 654 करोड़ रुपये थी परन्तु अब वह बढ़ कर 37 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिए, ऋण की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्व रक्षित निधि 1956 में 46.89 करोड़ रुपये थी परन्तु अब वह बढ़ कर 63.90 करोड़ रुपये है। कुल राशि दूसरी योजना के बाद में 63 करोड़ रुपये से बढ़ कर इस समय 195 करोड़ रुपये हो गई है।

[श्री स० का० पाटिल]

रेलवे की परिवहन क्षमता में अब कोई गतिरोध नहीं है। तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में उन मार्गों पर भी माल ले जाने की क्षमता बढ़ी है जिनकी क्षमता पहले बहुत कम थी।

यद्यपि इंजन डिब्बे आदि प्राप्त करने के कार्यक्रम में कटौती कर दी गई है, तथापि जो इंजन तथा डिब्बे आदि उपलब्ध हैं, वे मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। माल के सामान्य यातायात के लिए कोई माल जमा नहीं है। यद्यपि माल डिब्बों के निर्माण में पूर्ण कटौती लागू नहीं की गई है, तथापि हमने देखा है कि इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी नहीं हुई है। यदि इंजन डिब्बे आदि के लिए निधियां कम हो जायेंगी तो स्वाभाविक ही कुछ कटौती करनी पड़ेगी।

नई लाइनों के निर्माण के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। सामरिक महत्व की लाइनों को सब से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु सामरिक महत्व की लाइनों को छोड़कर एक के बाद एक योजना में नई लाइनों सम्बन्धी प्राथमिकता लौटे और इस्पात तथा कोयले के उत्पादन, निर्यात के लिए खनिज अयस्कों के खनन, नये पत्तनों के अन्तर्देश की योजनायें, वर्तमान पत्तनों के विस्तार और उद्योग तथा कृषि के समेकित विकास की अन्य परियोजनाओं के क्षेत्र में दी जाती है।

यह कहा गया है कि विद्युतीकरण तथा गाड़ियों को ड़ीजल से चलाने के बारे में प्रगति बहुत कम हुई है। चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 1966–67 में इलाहाबाद-कानपुर क्षेत्र, कलकत्ता क्षेत्र और बरामदा क्षेत्र में 700 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आशा है। इस में 1966–67 के अन्त तक कुल विद्युतीकृत लाइन 3,100 किलोमीटर हो जायेगी। किसी भी दूसरे देश में अब तक इतनी तेज़ी से प्रगति नहीं हुई है।

यद्यपि यह ठीक है कि यात्री सुविधाओं पर व्यय में कुछ कमी हुई है परन्तु ऐसा वास्तविक कठिनाइयों के कारण हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 1965–66 में या अगले वर्ष 1966–67 में यात्री सुविधाओं पर व्यय के लिए नियत 4 करोड़ रुपये में कमी होने का अनुमान है।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

भारतीय रेलों पर लगभग 6,850 स्टेशन हैं। इन में से 5,000 स्टेशनों से भी अधिक पर सभी प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं। सभी स्टेशनों पर आने वाले दो वर्षों में सुविधायें उपलब्ध कराने का कार्यक्रम पूरा किये जाने की आशा है। रेलवे को पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

जब प्रशुल्क दर में तीन प्रतिशत वृद्धि का सुझाव प्रस्तुत किया गया था तो कई लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ कहा था परन्तु आलोचना करने वाले यह बात भूल जाते हैं कि दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर दर कम किये गय है।

माननीय सदस्यों ने नमक के मामले में बहुत रुचि दिखाई है। निस्सन्देह, नमक बहुत महत्वपूर्ण है। नमक की दरें बहुत कम थीं और इन में अब जो वृद्धि की गई है, वह थोडी है। फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है कि क्या इस प्रस्ताव में कुछ रुपभेद किया जा सकता है और क्या नमक पर रेल भाड़े को कम किया जा सकता है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए एक मजूरी बोर्ड का प्रश्न उठाया गया है। इस बारे में यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें औद्योगिक श्रमिकों की बजाय सरकारी कर्मचारियों की शर्तों के अधिक अनुसार है। अधिकांश औद्योगिक श्रमिकों की तुलना में रेलवे कर्मचारियों की स्थिति कुल मिला कर अधिक अच्छी है। इस बात पर विचार किये बिना, कि इससे केन्द्रीय सरकार के दूसरे कर्मचारियों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन

करना सम्भव नहीं है। यदि इस मामले पर कभी विचार करना ही पड़ेगा तो रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधि प्रशासन के सामने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस विषय पर लगातार विचार किया जा रहा है।

जहां तक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा की सुविधायें देने का सम्बन्ध है, उन को आउटडोर चिकित्सा की सुविधा देने के लिए दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की भान्ति एक योजना बनाई गई है। यह सुविधा लगभग 50 अस्पतालों में मिलेगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसका पति अथवा पत्नी इस योजना में शामिल होने का पात्र होगा।

अनाज की दुकानों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस बारे में पिछले युद्धकाल में रेलवे का जो अनुभव हुआ था, वह बहुत अच्छा नहीं है। इस बारे में और सदाचार के बारे में विभिन्न समितियों ने बहुत बुरी टिप्पणी दी थी। फिर भी रेलवे कर्मचारियों को सहायता देने के विचार से राज्य सरकारों के सहयोग से रेलवे प्रशासन ने रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा, अधिकृत व्यापारियों द्वारा खोली जाने वाली सस्ते अनाज की दुकानों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। परन्तु यदि दो या तीन महीनों के बाद सम्भरण की स्थिति में सुधार हो तो हम स्थिति पर पुनः विचार कर सकते हैं।

यदि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाये कि हमें लोक सेवा आयोग बनाने चाहिये क्योंकि कुछ राज्य ऐसा चाहते ह तो एसे आयोग सभी राज्यों में स्थापित करने पड़ग। प्रशासन सदस्यों की इस चिन्ता को समझता है कि रेलव सेवा आयोग द्वारा लिखित तथा मौखिक परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को असुविधा न हो। रेलव आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए बिहार क्षत्र में 12 केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता तथा अलाहाबाद के रेलवे सेवा आयोगों को हिदायतें दी जायेंगी कि बहुत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए एक कार्यालय बनाया जाये। यह कार्यालय शायद कानपुर में बनाया जायेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए मौखिक तथा लिखित परीक्षाये लेने के लिए वहां प्रति वर्ष दौरा किया जाये। इसलिए जब उन्हें अपने राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें वे सभी लाभ प्राप्त होंगे, जो कि वे चाहते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेलवे उपक्रम को बोनस योजना के अन्तर्गत इस लिये नहीं लाया गया क्योंकि यह एक लोक-कार्य उपक्रम है और इसके फालतू धन को मुनाफा नहीं समझा जा सकता। इस लिये जब भारत सरकार द्वारा बोनस आयोग बनाया गया था, तब 6 दिसम्बर, 1961 को श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्प में उल्लिखित निर्देश-पद में रेलवे उपक्रम को शामिल नहीं किया गया था। इसी लिये बोनस की अदायगी अधिनियम, 1965 की धारा 32 (चार) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन की नियुक्ती केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय अधिकार द्वारा चलाये जा रहे किसी उद्योग के प्रशासकों द्वारा की गई हो।

जहां तक आत्म-निर्भर होने का सम्बन्ध है, माल डिब्बे, यात्री डिब्बे तथा भाप से चलने वाले इंजिन लगभग सभी हमारे देश में ही बनाये जा रहे हैं। केवल कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ही आयात करना पड़ता है। हम आयात की जानेवाली चीज़ों के स्थान पर देश में बनी अन्य चीज़ों का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। वर्ष 1964–65 में कुछ 320 करोड़ रूपये की वस्तुएं खरीदी गई थी जिन में 285 करोड़ रूपये की वस्तुएँ स्वदेशी थीं। आगामी कुछ वर्षों में देश में उद्योग का विकास हो जाने से केवल कुछ ही विशषित वस्तुओं का आयात करना पड़ा करेगा। इस प्रयोजन के लिये 1,000 से 2,000 आयात की गई वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं जिस से हमारे उद्योगपति इन वस्तुओं का निरीक्षण कर सकें और इनका निर्माण कर सकें। हम सदा प्रयत्नशील रहेंगे कि रेलवे पूरी तरह से आत्म-निर्भर होता जाये।

[श्री स० का० पाटील]

रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वर्ष 1965–66 (31 अक्तूबर, 1965) में 175 नयी गाड़ियां चालू की गई अथवा इनका विस्तार किया गया। इस के अतिरिक्त महत्वपूण मुख्य लाइनों पर लम्ब फासले पर चलने वाली मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों को भाप की बजाये डीज़ल और विद्युत से चलाय जाने के भी स्थिति में सुधार हुआ है।

यह सही है कि जापान में टोकियों तथा ओसाका के बीच रेलवे लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलाई जाती हैं और वहां पर इस से अधिक तेज़ रफ्तार से गाड़ियां चलाये जाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि उक्त लाइन तल से 14 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है और इस लिये वहां पर तेज़ रफ्तार से गड़ियां चलाई जा सकती हैं। यहां पर उक्त रफ्तार से गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती क्योंकि हमारी पटड़ियां तल से ऊंची नहीं बनी हुई है और दूसरे यह बहुत पुरानी बनी हुई हैं। इनकी क्षमता इतनी नहीं है कि उन पर गाड़ियां 200 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चलाई जा सकें। इस के बावजूद हम रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। अब 'ताज एक्सप्रेस' 75 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाया करेगी। भाप की बजाये विद्युत अथवा डीज़ल से अधिकाधिक गाड़ियां चलाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। हावड़ा और मद्रास तथा हावड़ा से दिल्ली और दिल्ली से कालका के बीच चलने वाली मेलगाड़ियों तथा सियालदाह-पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ियों को अब विद्युत से चलाया जाने लगा है। सुपर एक्सप्रेस गाड़ियों में भी वृद्धि की जा रही ह।

कलकता में वृत्ताकार रेलवे बनाने तथा वहां की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिय योजना आयोग द्वारा नियुक्त किये गये एक अध्ययन दल ने पिछले वर्ष वहां का दौरा किया और उसन इस कार्य में सहायता देने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अध्ययन ग्रुप से बातचीत की थी। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वे इस मामले के बारे में शीघ्र कोई निणय कर जिससे वहां पर कार्य आरम्भ किया जा सके।

सिलचर और मनीपुर में अन्य स्थानों से रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह इतना दुगम क्षत्र है कि वहां पर रेलव लाइन बिछाना बहुत कठिन है। इस लाइन के बिछाने पर बहुत अधिक खर्च आयगा। अतः वहां पर रेलव लाइन बनाने की बजाय सड़क यातायात में सुधार करना अधिक अच्छा होगा। योजना आयोग का एक अध्ययन दल आसाम तथा समुचे पूर्वी क्षेत्र का सवक्षण कर रहा है। इस दल की सिफारिशों की ओर पूरा ध्यान दिया जायगा और जो कार्य सम्भव होगा वह अवश्य किया जायगा।

श्री प्रिय गुप्त ने एक बहुत उपयोगी सुझाव दिया है कि कोयला आदि उतारने तथा चढ़ाने के ठेके सहकारी समितियों को दिये जाने चाहिये। रेलव सहकारी समितियों को यथासम्भव प्रोत्साहन दे रही है। मज़दूर सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये कई रियायतें दी गई हैं। 31 दिसम्बर, 1965 को भारतीय रेलवे में कोयला आदि लादने तथा उतारने के लिये 34 सहकारी मज़दूर ठका समितियां थी। इन में से 18 समितियों ने 28 ठेके ले रखे हैं। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि इन समितियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी।

पाकिस्तान के साथ हाल ही के संघर्ष में 20 रेलवे कर्मचारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को पूर्ण सामान्य प्रतिकर के अतिरिक्त 500 रुपये अनुग्रहीत राशि के रूप में और एक एक हज़ार रुपया रेलवे मंत्री की कल्याण तथा सहायता निधि से सहायता के रूप में दिया गया है। विधवाओं तथा उन पर आश्रित व्यक्तियों को रेलवे में उपयुक्त नौकरीयां भी दी जा रही हैं और उनके बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। यदि परिवार का कोई सदस्य रेलवे में कार्य कर सकता है तो उसे तुरन्त काम पर लगा लिया जाता है। इस के अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया है कि वीर गति को प्राप्त हुए इन 20 रेलवे कर्मचारियों की स्मृति में उन स्थानों अथवा स्टेशनों पर, जहां उनका निधन हुआ था, उचित स्मारक बनाये जाये।

मेरे माननीय मित्र, श्री उ० मू० त्रिवदी के इस सुझाव के बारे में कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेष बदल कर निरीक्षण करना चाहिये, मुझे यह कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेष बदल कर निरीक्षण करना कठिन है क्योंकि उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। परन्तु जब आवश्यक हो, अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण किया जाता है।

होस्पेट से मरमागोआ तक वर्तमान छोटी लाइन को परिवर्तित करने के प्रस्ताव के साथ गोआ में बड़ी लाइन की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है। मिरज-कोल्हापुर सेक्शन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के बारे में निर्णय सर्वेक्षण प्रतिवेदन की विस्तृत जांच करने के पश्चात किया जायगा। जहां तक गोआ से गुन्टकल तथा गुन्टकल से बंगलौर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का सम्बन्ध है, यातायात सम्बन्धी सम्भावनाओं का पता लगाने तथा उस परिवतन के औचित्य का निर्धारण करने के लिय सर्वेक्षण करने का विचार है । यातायात के ढंग तथा इस के बार में आवश्यकताओं का विवेचन करने से पता चला है कि बंगलौर-जलरपेट की विद्यमान बड़ी लाइन और बंगलौर तथा सलेम के बीच बनाई जा रही मीटर लाइन इस क्षेत्र की आगामी दस अथवा बारह वर्षों में यातायात की प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगी। अतः इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर लगभग तीन करोड़ रुपये और खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है।

संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कर लगाने का पूरा अधिकार है अतः केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को यह नहीं कह सकती है कि वह थोड़ी आय वाले रेलवे कर्मचारियों से सम्पत्ति कर न ले। फिर भी जिन क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये राज्य सरकारों से कहा जाता है जिस से वे वहां पर कर न लगा सकें।

भारतीय रेलवे का पुनर्वर्गीकरण निरंतर होता रहता है और यह मामला निरंतर रूप से सरकार के विचाराधीन रहता है। इन का पहला मुख्य पुनर्वर्गीकरण 1951-52 में किया गया था। तत्पश्चात 1954 में इनका पुनर्गठन किया गया था। फिर जब 1964 में यह स्पष्ट हो गया कि केन्द्रीय तथा दक्षिणी रेलवे का कार्य बहुत बढ़ गया है तो एक नया ज़ोन बनाने की घोषणा की गई है और आगामी कुछ महीनों में एक नया ज़ोन बन जायेगा। हाल ही में किये गये पुनर्विलोकन से मालूम हुआ है कि उत्तर तथा पश्चिमी रेलवे के कार्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। अतः वतमान उत्तर तथा पश्चिमी रेलवे के कुछ भागों को मिला कर एक नया ज़ोन बनाने की कोई संचालन सम्बन्धी अथवा प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसा करना आवश्यक होगा तो इन दोनों रेलों का पुनर्गठन करने के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी ।

जहाँ तक डीज़ल इंजिनों के निर्माण-कार्य में प्रगति का सम्बन्ध है, यदि इस में थोड़ा विलम्ब हुआ है कि इसका कारण यह नहीं है कि हम यह कार्य करना नहीं चाहते हैं परन्तु इसका कारण यह है कि विदेशी मुद्रा उस समय उपलब्ध नहीं थी। अब यह उपलब्ध हो गई है और अब इस कार्य में भी प्रगति हो रही है।

हावड़ा और सियालदाह डिवीजन में इस समय 450 स्थानीय गाड़ियां चलती हैं जिन में से 308 गाड़ियां बिजली से तथा शेष 142 गाड़ियाँ भाप से चलती हैं। विश्लेषण से पता लगा है कि कुछ अत्यधिक व्यस्त घंटो के अतिरिक्त स्थानीय तथा दूसरी सेवाओं का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जाता है। इस लिये उस क्षेत्र मे शीघ्र ही अतिरिक्त गाड़ियां चालू करने का कोई औचित्य नही हैं। बिजली से गाड़ियां चलाने से इन की क्षमता 20 से 60 प्रतिशत बढ़ जायेगी।

जहां तक धन वापसी के दावों का प्रश्न है मेरी सूचना यह है कि हम इन को यथासम्भव शीघ्र निपटाने का लगातार यत्न कर रहें हैं।

रेलवे प्रशासन भोजन तथा इसकी सेवाओं के सुधार के लिये जो कुछ कर सकता है कर रहा, है।

[श्री स०का० पाटिल]

श्री राम सेवक यादव ने जंक्शनों पर ब्रांच लाइन की गाड़ियों और बड़ी लाईन की गाडियों का मेल कराने के लिये कहा है। ऐसी व्यवस्था तो पहले ही है। परन्तु जब गाड़ियां देर से आती है तो इन का आपस में मेल नहीं हो पाता है। इस बारे में हाल ही में किये गय विश्लेषण से पता लगता है कि अगस्त 1965 से जनवरी 1966 की अवधि में विभिन्न जंक्शनों पर अनुसूचित गाड़ियों के आने जाने की स्थिति आम तौर पर संतोषजनक थी क्योंकि 90 प्रतिशत मामलों में गाड़ियो का आपस में मेल होता रहा है।

उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे के लूमडिंग, बादरपुर और लुमडिंग सिलीगुडी क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ि यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सना अधिकारियों की है। इस कार्य हतु सेना ने पहले ही बहुत से उपाय कर रख हैं जैसा कि यात्री गाड़ियों के आगें, बीच और पीछे सशस्त्र सनिकों की व्यवस्था होती है। इसी कार सभी माल गाड़ियों रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र रक्षक होते है।

इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये हाल ही में रेलव सुरक्षा दल की एक विशेष आपात कालीन दल की दूसरी बटालियन की सेवाये सेना अधिकारियों के अधीन कर दी गई है।

श्री बासप्पा ने तिपतूर पर रेलव उपरि पुल की व्यवस्था न होने के बारे में शिकायत की है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में हमे राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। रेलवे प्रशासन किसी भी व्यस्त समाचार पर उपरि पुल अथवा नीचे का पुल बनाने को तैयार है यदि राज्य सरकार इस बारे में प्रस्ताव करे और वह अपना भाग के व्यय का भार वहन करने को तैयार हो। यदि राज्य सरकार आगमन मार्ग का व्यय वहन करने को तैयार हो तो रेलवे प्रशासन पुल बनाने को तयार रहता है। यह सूत्र दोनों राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस लिये हमें आशा करनी चाहिय कि राज्य सरकार एसा प्रस्ताव करेगी और उनकी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य ने कुछ आंकड़े दिये है जिन से दुर्घटनाओं के कुछ वर्गों में वृद्धि का पता चलता है। परन्तु उन्होंने जो आंकड़े दिये है वे गाड़ियों को हुई दुर्घटनाओं के नहीं है। य आंकड़े उन दुर्घटनाओं के है जो आम तौर पर गाड़ियों को शंटिंग के दौरान हो जाती है। इन दुर्घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मामले में भी दुर्घटनाओं मे पर्याप्त कमी हुई है।

मेरे मित्र श्री राने ने कहा है कि भुसावल क्षेत्र में केलों के परिवहन के लिये जो माल डिब्बे दिये जाते है वे उचित नहीं है क्योंक वे इस्पात के बने हुए होते हैं। इसलिये के केलोके परिवहन के लिय नये प्रकार के माल डिब्बे बनाये जाने चाहिये। हम लगातार इस पर विचार कर रहे हैं। आजकल हम केलों का निर्यात भर कर रहे हैं हम इसकी भरसक सहायता करेंगे। हाल हीं में केलों के परिवहन में सुधार का प्रश्न का समिति के सम्मुख उठाया गया था। इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप केलों के परिवहन के लिये 'सी०ए०' टाईप के डिब्बे सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया है। इन डिब्बों का फर्श लकड़ी का होता है। केलों के परिवहन के लिये पश्चिमी रेलवे में 'वी टाईप' डिब्बों का प्रयोग भी किया जाता है। ये डिब्बे लकड़ी के बने हुए होते हैं।

पुलों के बनाने के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि हमने एक नीति बनाई है कि पूल बनाने के बारे में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद हम पुल बनाने के लिये तैयार होंगे। यह पहले ही हो चुका है कि पुलो के निर्माण पर कौन कितना खर्च करेगा।

मैंने अधिकतर बातों का उत्तर दे दिया है परन्तु जिन बातों का उत्तर नहीं दिया गया है उनका उत्तर एक विशेष विवरणिका में दिया जायेगा। इस विवरणिका को पुस्तकालय में रखा जायेगा जिस से सदस्य इसको देख सकें।

दूसरे देशों में जितना कुछ है उसको प्राप्त करने में भारत को अभी पचास वर्ष लगेंगे। हमे छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना हैं। अधिक रेल लाइने बिछानी है। और भी बहुत सी दूसरी चीजे करनी हैं। परन्तु कभी वित्त के उपलब्ध न होने के कारण यह सभी बाते नहीं हो सकती। अब सब के लिये

योजना आयोग प्राथमिकतायें निर्धारित करता है। इसके बावजूद हमारी लगातार यह कोशिश होगी कि हम अधिक से अधिक जितना भी रेलवे का विस्तार कर सकते हैं करें।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि जब सभा के सामने मांगे रखी जायेंगी तो उनको पारित कर दिया जायेगा।

श्री रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे का उल्लेख किया है। परन्तु मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मेरे 25 फरवरी 1966 के प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसके लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। आधे घंटे की चर्चा में माननीय मंत्री ने बताया था कि उन्होंने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों सरकारों ने अध्ययन दल नियुक्त किय हैं यदि हां तो किस दल के निर्णय को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

श्री स० का० पाटिल : इस विषय पर मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से कई बार बातचीत की है और मैंने उनको सुझाव दिया है कि कलकत्ता की समस्त परिवहन समस्यापर विचार करना चाहिये। इसलिय एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था जो परिवहन के सभी तरीकों पर विचार करेगा और इससे विदेशी विशेषज्ञों की सहायता मीली जायेगी। अन्त में योजना आयोग ही फैसला करेगा कि कलकत्ता परिवहन की तस्वीर क्या हो ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में परिवहन के समन्वय के बारे में सरकार की नीति सम्बन्धी कोई संकेत नही दिया है ?

श्री स० का० पाटिल : जैसा कि सभा को मालूम है, राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने के लिये 8 वर्ष पूर्व एक समिति नियुक्त की गई थी। इसका प्रतिवेदन मिल चुका है। इस पर न केवल रेलवे विभाग को अपितु अन्य विभागों को भी विचार करना है। आशा ही कि शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : दक्षिण क्षेत्र की घोषणा करते समय मंत्री महोदय ने दसवां क्षेत्र बनाने के बारे में भी कहा था। कुंजरु समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे में दसवां क्षेत्र बनाने की घोषणा कब तक हो जायेगी।

श्री स० का० पाटिल : दो वर्ष पूर्व वे क्षेत्र की घोषणा करते समय भी मैंने ऐसा कहा था। परन्तु कोई भी क्षेत्र बढाने से पूर्व बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु हम इस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" इस विधेयक का अभिप्राय भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है, जिससे संरक्षण शुल्क की कुछ मदो के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को कार्यान्वित किया जा सके। यह विधेयक उन दो, अध्यादेशों के स्थान पर लाया गया है जिन में से एक अध्यादेश के अन्तर्गत पहली जनवरी, 1966 से बाल बेयरिंग उद्योग पर से संरक्षण हटाया गया था तथा भारतीय सीमा शुल्क की मद संख्या 72 (35), 72 (36) और 72 (37) पर संरक्षण शुल्क को राजस्व शल्क में परिवर्तित किया गया था। दूसरे अध्यादेश के अनुसार भारतीय सीमा शुल्क सूची की एक नई मद संख्या 27(10) के अन्तर्गत पहली फरवरी 1966 से प्रशोधित पेट्रोलियम पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत की दर से संरक्षण शल्क लगाया गया था।

[श्री० अलगेशन]

बाल बेयरिंग उद्योग सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रतियां और इस प्रतिवेदन पर जारी किये गये सरकारी संकल्प की प्रतियां सभा पटल पर पहले ही रख दी गई हैं। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के सार को भी सदस्यों में बांट दिया गया है।

बाल बेयरिंग उद्योग को 31 दिसम्बर, 1965 तक संरक्षण दिया गया था। प्रशुल्क आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1 अक्तूबर, 1965 को दिया था। इसमें सिफारिश की गई थी कि इस उद्योग को अन्य तीन वर्ष के लिये अर्थात् 31 दिसम्बर 1968 तक संरक्षण दिया जाये और दूसरे रोलिंग बेयरिंग को भी संरक्षण देने की सिफारिश की थी।

[श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए
SHRI P. K. DEO *in the Chair*]

देश में जिस प्रकार के बाल बेयरिंग बनाये जाते हैं उस प्रकार के बालबेयरिंग का आयात रोक दिया गया है इस लिये 31 दिसम्बर, 1965 के बाद इन उद्योग को संरक्षण न देने की आवश्यकता है।

विदेशी मुद्रा के व्यय को कम करने तथा आयात पर व्यय को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार लाने के उद्देश्य से सरकार आयात किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य कम करने के लिये लगातार प्रयत्न कर रही है। 1965 में मूल्यों को कम करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। इसका भारत में प्राप्त होने वाले तेल पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत में तेल अब अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा है।

इससे पूर्व स्वदेश में मिलने वाले अशोधित तेल के मूल्यों को समय समय पर मिडल इस्ट के देशों से प्राप्त होने वाले अशोधित तेल के मूल्यों के अनुसार नियत करने की नीति थी। स्वदेशी अशोधित तेल के लिये ऐसा मूल्य प्राप्त कराने की निश्चितरूप में आवश्यकता है जो देश में अशोधित तेल के उत्पादकों की तेल निकालने और तैयार करने की नीति के अनुसार हो।

इस स्थिति में ऐसी योजना बनाना आवश्यक हो गया है जिस से स्वदेशी अशोधित तेल के मूल्यों में वद्धि हो और यह भी सुनिश्चित रहे कि आयात किए गये अशोधित तेल पर आयात शुल्क लगाया जाये ताकि भारत में उसकी लागत स्वदेशी अशोधित तेल के नये मूल्यों के लगभग समान हो।

मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्रीमूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारण करने के लिये जो सूत्र इस से पहले लागू था उसकी अवधि 31 जनवरी, 1966 को समाप्त हो जाती है। पुराने आधारों को चालू रखना वांछनीय नहीं है। ताल्लुकदार कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1965 को दे दिया था। इस प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के आधार पर एक फरवरी 1966 को पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादों के मूल्य के बारे में अपने निर्णय की घोषणा कर दी थी। नई मूल्य योजना के अभिन्न अंग के रूप में यह भी आवश्यक है कि आयातित अशोधित तेल पर संरक्षण शुल्क लगाया जाये। क्योंकि संसद् का सत्र नहीं हो रहा था और कि तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था इस लिये प्रशुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1966, एक फरवरी 1966 को जारी किया गया था। उद्योग के हित में भारतीय सीमा शुल्क अनुसूची में एक नई मद संख्या 27(10) शामिल करके अशोधित तेल पर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार संरक्षण शुल्क लगाया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दी० चं० शर्मा : इसके लिये कितना समय निर्धारित किया गया है।

सभापति महोदय : 90 मिनट।

श्री रंगा (चित्तूर) : इस विधेयक की एक अच्छी बात यह है कि वर्षों पहले 'बॉल बेयरिंग' पर जो संरक्षण शुल्क लगाया गया था, वह अब हटाया जा रहा है, क्योंकि जिस उद्देश्य हेतु यह शुल्क उस समय लगाया गया था वह पूरा हो गया है। यह शुल्क उस समय देश में 'बॉल बेयरिंग' निर्माताओं की सहायता के लिये लगाया गया था ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस के साथ साथ में यह महसूस करता हूं कि यह जो राजस्व कर लगाया जा रहा है यह बॉल बेयरिंग निर्माण उद्योग पर और देश की दूसरी औद्योगिक व्यवस्था पर, जिस में बॉल बेयरिंग प्रयुक्त होते हैं, एक बोझ है। संसार भर के अर्थशास्त्री इस प्रकार मुख्य औद्योगिक उत्पादों पर कर लगाने के विरुद्ध हैं क्योंकि इस से उपभोक्ताओं को बहुत ऊंचे दाम देने पड़ते हैं।

अशोधित तेल के आयात पर सरकार 20 प्रतिशत आयात प्रशुल्क लगा रही है। इस सम्बन्ध में मैं महसूस करता हूं कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अशोधित तेल के उत्पादन के लिये जो प्रयत्न किये गये हैं उन की तुलना में हम बहुत पहले और कम लागत पर यहां अशोधित तेल का उत्पादन कर सकते थे और अधिक उत्पादन लागत के कारण ही सरकार यह आयात शुल्क लगाने को बाध्य हो गई है। अब से पहले हम ने यह शुल्क कभी नहीं लगाया था। हम चाहते हैं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या कारण हैं कि हमारे द्वारा तेल की खोज का काम आरम्भ करने के बाद और अपना उद्योग स्थापित करने के बाद भी देश में अशोधित तेल के मूल्य बढ़ गये हैं। पहले हम यह शिकायत किया करते थे कि गैरसरकारी एकाधिकारी जिनके मुख्यालय विदेशों में हैं, वे इस देश के उपभोक्ताओं का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु क्या अब देश में यह उद्योग स्थापित करने के बाद हम भी उपभोक्ताओं का शोषण करने में विदेशी एकाधिकारियों के साझीदार हो गये हैं। यह बताया जाना चाहिये कि क्या राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था तथा स्वदेशी तेल के विकास के हित में अधिक मूल्य निर्धारित करना नितान्त आवश्यक है। मैं देश में अपने उद्योगों का विकास करने के बारे में सरकार की चिन्ता में उस के साथ हूँ। परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखे। वहां बहुत अपव्यय हो रहा है, भंडारों पर उचित नियंत्रण नहीं हैं, भंडारों के प्रबन्ध में बहुत गोलमाल होता है, करोड़ रुपये की मशीनें आयात की गई थी तथा उन में से बहुत सी तो रूस से आयात करने के पश्चात खोली भी नहीं गई हैं। सरकार को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने इन सब तथ्यों पर प्रकाश डाला है तथा इन पर अपनी सिफारिशें की हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सभा को जानकारी दें और सभा को विश्वास दिलाये कि इण्डियन आयल कम्पनी का प्रबन्ध पहले की तुलना में अधिक अच्छा है।

सरकार को यह भी बताना चाहिये कि डिगबोई में अशोधित तेल का मूल्य क्या है, इस में कितने प्रतिशत बिक्री कर है और आसाम सरकार को बिक्री कर की इतनी अधिक वृद्धि की अनुमति क्यों दी गई है ?

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : Mr. Chairman, the present Tariff Amendment bill under consideration proposes to impose tax on petroleum and crude oil etc. The implication of the imposition of this duty on crude oil will be that its prices will go up and this will have an adverse effect on farmers, because they require crude oil for the engines which are used for increasing agricultural production. It is surprising that on one hand farmers are being encouraged to increase their farm production and on the other hand such difficulties are being created that it would be impossible for the farmers to increase their production. We have seen that engines were supplied in Maharashtra to farmers free of cost by Maharashtra Government to increase their farm production.

[Shri Tulsidas Jadhav]

But the prices of crude oil had doubled and the crude oil was not available in the market for days together. The result was that these engines remained out of use for many days in the harvesting season. The standing crops were destroyed, as the farmers could not make any use of the engines in the absence of crude oil.

So I request the Government that if they want to increase the duty on crude oil they are at liberty to do so. But they should keep in mind the interests of the farmers. The farmers are working very hard to increase their production. There are wells in the villages for irrigating their land. But until the villages are electrified, they wholly depend on crude oil for irrigating their land etc. The Government should ensure that no tax is levied on the crude oil which is being supplied to the farmers for increasing the production of foodgrains. It is absolutely necessary that their crops should not be allowed to suffer due to scarcity or high prices of crude oil.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : श्री रंगा ने आपत्ति की थी कि बॉल बेयरिंग पर संरक्षण शुल्क को राजस्व शुल्क में परिवर्तित करने से उन उद्योगों का व्यय बढ़ेगा जो इन का प्रयोग करते हैं। प्रशुल्क आयोग ने, जिस ने इस प्रश्न की जांच की थी, यथामल्य शुल्क को 100 प्रतिशत से बढ़ा कर 125 प्रतिशत कर देने की सिफारिश की है। परन्तु सरकार ने संरक्षण शुल्क को राजस्व शुल्क में परिवर्तित किया है ताकि भविष्य में आसानी के साथ उस में परिवर्तन किया जा सके। यह दर 100 प्रतिशत के दर पर रखा गया है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि बॉल बेयरिंग पर संरक्षण शुल्क को राजस्व शुल्क में परिवर्तित करने से उन उद्योगों का व्यय बढ़ेगा जो इन का प्रयोग करते हैं। जो उद्योग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, उन पर कोई अधिक कठिनाई होने का प्रश्न नहीं है। स्थानीय मूल्य आयातित मूल्यों से अधिक हैं और 100 प्रतिशत प्रशुल्क लगाने पर भी कुछ आयातित वस्तुओं की लागत स्वदेशी वस्तुओं से कम होगी। हमने बॉल बयरिंग के लिये और अधिक कारखानों को लाइसेंस दे दिय हैं तथा हम आशा करते हैं कि उन में अधिक उत्पादन होने के बाद इस की औद्योगिक लागत में कमी आयेगी तथा उन की लागत का स्तर आयातित मूल्य के बराबर हो जायगा।

यह कहना ठीक नहीं है कि किसी समय तेल के उत्पादन की लागत कम होती थी और अब वह महंगा है। वास्तविकता यह है कि हम अशोधित तेल का आयात विशेषतया मध्यपूर्व से करते हैं, जहां उत्पादन व्यय बहुत कम है। वास्तव में हमें उन की उत्पादन लागत का पता नहीं है। वे कुछ मूल्य बताते थे और हम वही मूल्य दिया करते थे। अभी हाल ही तक हम उन के द्वारा बताये गये मल्य देते रहे हैं। वर्ष 1960 से ही हमें कुछ कटौती मिली है और इस कटौती के कारण हमें लगभग 3.5 करोड रुपये की बचत हुई है। हम उन तेल कम्पनियों से और अधिक कटौती लेने का अब भी प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि आयात किये गये अशोधित तल पर अधिक कटौती मिलने की गुंजाइश है। हम ने कुछ मात्रा में अशोधित तेल का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। असम में स्वदेशी अशोधित तेल का उत्पादन किया जा रहा है। इस से दिगबोई, गोहाटी तथा बरौनी शोधनशालाओं को अशोधित तेल दिया जाता है। यह उत्पादन कुल मिला कर लगभग 22.5 लाख टन है। अंकलेश्वर में भी तेल का उत्पादन किया जा रहा है तथा इसे कोयली और बंबई शोधन शालाओं को भेजा जा रहा है। स्वदेशी अशोधित तेल के मूल्य का संबंध विदेशी अशोधित तेल के मल्यों पर से कटौती काट कर मूल्यों से है। इस लिए जैसे ही हमें कटौती मिलती जाती है और विदेशी अशोधित तेल के मूल्य कम होते जाते हैं, स्वदेशी अशोधित तेल के मूल्य भी कम हो जाते है। हम स्वदेशी तेल को इस प्रकार दबाव वाली नीति से बचाना चाहते हैं। यह विचार गलत है कि अपने देश में मिलने वाले तेल की लागत बहुत

अधिक है, यह कम होनी चाहिये। हम अपनी लागत स्थिर कर रहे हैं। हमें बहुत अधिक खोज और छिद्रण कार्य करना पड़ता है, हमें ऐसे कई क्षेत्रों में तेल की खोज करनी पड़ती है, जिन में अभी खोज नहीं की गई है। हमारे प्रत्येक कुएं में औसतन 50–60 टन तेल मिलता है, जब कि मध्यपूर्व देशों के एक कुएं से 80–100 टन तेल मिलता है। हमारे देश में जो उत्पादन लागत आती है उस की तुलना में मध्य पूर्व देशों में यह बहुत कम है। अपने देश में अशोधित तेल की खोज तथा संरक्षण करने के लिये हम यह कर लगाने के लिये बाध्य हो गये हैं।

श्री रंगा ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया है, हम इस बारे में हम जागरूक है तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक आसाम सरकार को दिये जा रहे बिक्री-कर तथा स्वामिस्व का संबंध है, इस में कोई सन्देह नहीं कि यह अधिक है और इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये। इस प्रश्न पर तालुकदार समिति ने विचार किया है और उन्हें कहा है कि यह बिक्री-कर तथा स्वामिस्व अधिक हैं और इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये। हम प्रयत्न कर रहे हैं तथा आसाम सरकार से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वे इस सम्बन्ध में कुछ करें परन्तु मुझे खेद है कि हमें इस बारे में अभी कोई सफलता नहीं मिली है। हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे।

माननीय सदस्य श्री तुलसीदास जाधव ने अशोधित तेल का कृषि कार्यों के संबंध में उल्लेख किया है। जहां तक कृषि कार्यों के लिये तेल का संबंध है कृषि के लिये हल्के डीज़ल तेल की आवश्यकता होती है तथा अशोधित तेल की नहीं। इस किस्म के तेल का मूल्य उन की सलाह से निश्चित किया गया है। तथा हम किसी एक प्रयोजन के लिये इसे कम नहीं कर सकते। ऐसा करना कठिन है क्योंकि यह न केवल कृषि संबंधी कार्यों में ही प्रयोग किया जाता है परन्तु उस का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है। यदि हम किसी कार्य विशेष के लिये इस के मूल्य में कमी करते हैं तो इस से सभी प्रकार के कदाचारों में वृद्धि होगी। मैं अपने नाम में दिये गये संशोधनों को पेश नहीं करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रशुल्क अधिनियम, 1934, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2–3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

खंड विधेयक 2–3 में जोडे गये/*Clauses 2-3 were added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया/*Clause 1, Enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक
DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह विधेयक धारा 3 और 13 के निर्वचन पर पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के फलस्वरूप लाया गया है।

वर्तमान अधिनियम की धारा 3 के अनुसार उपायुक्त पदावली के अन्तर्गत समाहर्ता, राजस्व सहायक अथवा मुख्यायुक्त द्वारा अधिकृत कोई प्रथम श्रेणी का सहायक समाहर्ता सम्मिलित है। 1954 में भूमि सुधार अधिनियम के पास होने के पश्चात विभिन्न काश्तकारों को भूमिधारी अधिकार दिये गये थ। उपायुक्त ने एक सामान्य घोषणा जारी कर के ऐसा किया था। इस के पश्चात राजस्व सहायक ने इस से सम्बन्धित प्रत्येक मामले में विशिष्ट घोषणा की थी। पंजाब उच्च न्यायालय के निर्वचन के अनुसार यह अर्थ होना चाहिए कि राजस्व सहायक को भी अधिकार दिया जाना चाहिये। न्यायालय के निर्वचन के अनुसार परिभाषा में "विशेषतया अधिकृत" शब्द उस पर भी लागू है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप 75,000 व्यक्तियों के बारे में, जिन को भूमिधारी अधिकार दिये गये थे, जो घोषणायें की गई थीं वे सब रद्द हो गई। पहला संशोधन इसी उद्देश्य से सभा के समक्ष लाया गया है।

दूसरा संशोधन भी न्यायालय के निर्वचन से संबन्धित है। न्यायालय का निर्णय है कि धारा 13 के उप खण्ड (च) में जो यह शब्द "गैर-मौरूसी काश्तकार जिन में शाहदरा सर्किल में 12 वर्षों या इस से अधिक समय से रहने वाले काश्तकार शामिल है" का अर्थ है कि केवल वही काश्तकार जो शाहदरा सर्किल में रहते हैं और अन्य किसी स्थान पर नहीं परन्तु सच यह है कि यह काश्तकार दिल्ली के दूसरे ग्रामों के रहने वाले भी है और वर्तमान खण्ड के निर्वचन के आधार पर उनको भूमिधारी के अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिये 75,000 लोग जिन को भूमिधारी के अधिकार दिये गये थे अब जमींन्दारों की दया पर आश्रित हैं। इसलिये जिन लोगों को भूमिधारी के अधिकार प्राप्त थे, उन के संरक्षण के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया था। यह विधेयक उस के स्थान पर लाया गया है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि परिभाषा का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाये और इस में सन्देह की कोई गुंजाइश न रहे इस विधेयक के अन्तर्गत उपायुक्त पदावली के अन्तर्गत (i) समाहर्ता, (ii) अतिरिक्त समाहर्ता (iii) मुख्यायुक्त द्वारा अधिकृत राजस्व सहायक और फिर (iv) प्रथम श्रणी का सहायक समाहर्ता शामिल हैं। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1934 के अन्य खण्डों में भी शेष संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, जिन के

अनुसार उन व्यक्तियों के हितों का संरक्षण किया जा सके, जिन के भूमिधारी अधिकार रद्द कर दिये गय हैं। यह विधेयक 5 फरवरी 1966 के जारी किये गये अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या श्री नवल प्रभाकर अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित नहीं है ?

श्री वासुदेवन नायर : दिल्ली राज्य का कोई सदस्य उपस्थित नहीं है।

Shrimati Savitri Nigam (Banda) : Mr. Chairman, I welcome this bill. The main object of this bill is to protect the Bhumidari rights of those thousands of tenants, who were left at the mercy of landlords as a result of the interpretation of the Punjab High Court. Those unfortunate tenants, who got the Bhumidari rights after a great and prolonged struggle, were deprived of their rights, due to a technical mistake in the Delhi Land Reforms Act, by the judgement of the Punjab High Court. The tenants were distressed over the judgement of the court, because their means of livelihood were in danger. They were in great difficulty. I am happy to note that a bill has now been introduced to protect their rights. I would like to congratulate the Home Minister for moving this bill.

With these words, I support the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

खंड 2 से 5, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक म जोडने का प्रस्ताव किया गया तथा स्वीकृत हुआ/*The motion to add clauses 2 to 5, Clause 1, the Enacting Formula and the Title to the Bill was put and adopted.*

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) AMENDMENT BILL

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्री जगन्नाथ राव]

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, 31 मार्च, 1966 तक लागू है तथा उस तिथि को भारत सरकार की आयात तथा निर्यात का विनियमन करने की सब वैधानिक शक्तियां समाप्त हो जायेंगी। विदेशी व्यापार पर नियंत्रण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को इन शक्तियों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी 1947 में थी। देश एक महत्वाकांक्षी चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने जा रहा है। प्रतिरक्षा आवश्यकतायें भी भूतकाल की तुलना में आज बहुत अधिक बढ़ गई हैं। अत: विदेशी मुद्रा को बचा कर रखना अनिवार्य है। देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, स्वदेशी उद्योगों का संरक्षण करने, प्रतिरक्षा, आवश्यकताओं को पूरा करने तथा निर्यात प्रधान उद्योगों की स्थापना करने के लिये यह परमावश्यक है कि उपलब्ध विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर कड़ी नजर रखी जाये और इस का विनियमन देश के हितों को दृष्टी में रख कर किया जाय। निर्यात के बारे में भी देश के हितों का संरक्षण परमावश्यक है और यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि हमारे विदेशी व्यापार में अच्छी प्रथायें बने।

इस लिये इस उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया गया है कि आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत आयात तथा निर्यात का विनियमन करने तथा इन पर नियंत्रण करने के लिये केन्द्रीय सरकार में जो इस समय शक्तियां निहित हैं उन्हें और पांच वर्ष के लिये अर्थात 31 मार्च, 1971 तक जारी रखा जाय।

हम इस विधयक से उक्त अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करना चाहते है जिस से भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम दंड का उपबन्ध किया जा सके। उक्त अधिनियम में कुछ अन्य परिवर्तन करने के लिये भी इस अवसर का लाभ उठाया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। यह आवश्यक है कि सरकार के पास देश के हित में आयात तथा निर्यात का विनियमन करने की शक्तियां हों। परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि कई मामलों में जिस नीति का अनुसरण किया गया है, वह ठीक नहीं है। कुछ वस्तुओं का आयात तैयार माल के रूप में किया गया है, यदि उन का आयात कच्चे माल के रूप में किया जाता और माल यहां तैयार किया जाता तो बहुत सी विदेशी मुद्रा बच जाती। परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है। बहुत सी वस्तुएं जिन का हम आयात कर रहे है, यदि केवल उन के कच्चे माल का आयात किया जाय तो हम उन्हें यहां तैयार कर सकते हैं। उदाहरणार्थ हम शोधित 'एन्थरासाइट कोयले' का आयात कर रहे हैं, जिस का मूल्य हमें 400 रुपये प्रति मिटरी के हिसाब से पड़ता है। यदि हम अशोधित एन्थरासाइट का आयात करें तो इस की लागत हमें 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन से कम पड़ेगी। इस अशोधित कोयले का शोधन हमारे देश के उद्योगों के लिये बहुत सरल है। अत: यदि हम शोधित एन्थरासाइट कोयले के स्थान पर अशोधित एन्थरासाइट का आयात करें तो एक ओर तो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी और दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिलेगा। अत: विदेशी मुद्रा की बचत के लिये यह आवश्यक है कि हम तैयार वस्तुओं के स्थान पर कच्चे माल का आयात करें। ऐसी बहुत ही अन्य वस्तुएं ह, जिन्हें तैयार माल के रूप में न मंगा कर, कच्चे माल के रूप में मंगाया जा सकता है। सरकार को अपनी नीति बनाते समय उन वस्तुओं पर ध्यान रखना चाहिये।

श्री वारियर (त्रिचूर) : यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य केवल आयात तथा निर्यात अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार को जो वर्ष 1947 में शक्तियां प्रदान की गई थी, उन्हें जारी रखना है, तथापि हमें आशा थी कि यह विधेयक प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय समूची आयात तथा नि ति नीति पर प्रकाश डालेंगे। परन्तु खेद है ऐसा नहीं किया गया। इस से न केवल विरोधी पक्ष को आश्चर्य हुआ है, अत: सत्ताधारी दल को भी आश्चर्य हुआ है। अत: भारत सरकार की समूची आयात तथा निर्यात नीति पर प्रकाश डाला जाना चाहिये। सभी की कार्यवाही का यह उचित तरीका नहीं है।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सामान्यत: विधेयक प्रस्तुत करते समय लम्बे भाषण नहीं दिये जाते। यदि माननीय सदस्य यह चाहते है, तो मैं आयात तथा निर्यात नीति पर प्रकाश डालने को तैयार हूं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister is speaking. But there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। घंटी बज रही है। अब सभा में गणपूर्ति है। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मनुभाई शाह : मुझे सभा के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत करने में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में विदेशी व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विकासोन्मुख देशों के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा का इस प्रकार उपयोग किया जाय, जिस से उन्हें अधिकतम लाभ हो, क्योंकि विकास के पहले दिनों में विकास करने के लिये उन्हें विदेशी माल, मशीनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि हमारी निर्यात में वृद्धि हो तथा हमारे भुगतान संतुलन में सुधार हो यह विधेयक कई वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। तथापि इस में उस समय यह उपबन्ध किया गया था कि प्रत्येक पांच वर्ष बाद इस अधिनियम को लागू रखने की वांछनीयता का पुनरीक्षण किया जायेगा तथा इस बात पर विचार किया जायेगा कि इस अधिनियम की कालावधि को बढ़ाने की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

सभा को विदित है कि वर्ष 1956 से हमारी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस का कारण यह है कि स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में हम ने आर्थिक प्रगति के लिये कोई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नहीं बनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक प्रगति तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया। हमारे देश में औद्योगिक क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना से आरम्भ हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले दस वर्षों में विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी रही है। इस का कारण यह है कि युद्ध के समय ब्रिटन में हमारी बहुत सी पूंजी जमा हो गई थी। हमारी आयात नीति भी इन वर्षों में उदार रही है तथा इस का परिणाम यह हुआ कि हमारी विदेशी मुद्रा की संचित पूंजी में कमी आ गई। इस कमी के कारण हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों में तथा तीसरी और चौथी योजना के दौरान हमें इतनी अधिक विदेशी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु अब हमें अनुभव हो गया है कि तथा हम यह महसूस करने लगे हैं कि हमारे लिये विदेशी मुद्रा में बचत करना परमावश्यक है। वर्ष 1956 के आरम्भ से हम इस बात के प्रति बहुत सतर्क हैं कि विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर कड़ी नजर रखी जाय।

गत दस वर्षों में हमारी आयात नीति व्यवहारिक रही है तथा इस से देश के औद्योगिक विकास तथा आर्थिक प्रगति को सहायता मिली है। मित्र देशों से हमें जो सहायता प्राप्त हुई थी उसे नियत तिथि पर वापस करने में भी हमें इससे सहायता मिली है। मुझे यह कहते हुये गर्व होता है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा मित्र राष्ट्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि शायद भारत ही एक ऐसा देश है जिस ने रुपया लौटाने में कभी विलम्ब नहीं किया। हम ने विदेशी सहायता का उपयोग देश के आर्थिक विकास और लोगों के अत्याधिक लाभ के लिये किया है।

जहां तक व्यापार को सरल बनाने और विदेशी सहायता का संबंध है हमें विदेशों से पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई है। इस लिये यह विधेयक अब भी समाज के हाथों में एक ऐसा साधन होगा जिस से वे आयात से बचने, आयात प्रतिबन्ध और आयात के विनियमित करने सम्बन्धी नियमों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अधिकतम लाभ के लिये प्रयोग कर सके।

इस विधेयक में निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी है और विनियम भी। मुझे यह कहते प्रसन्नता होती कि हम 10,000 से अधिक उत्पादों का निर्यात करते ह, और हम ने बहुत सीमित वनस्पति बीजों, खनिज पदार्थों जिन में आण्विकतत्व सनिहित हों, तथा वन्य पशुओं जिनका हम संरक्षण करना चाहते है, को

[श्री मनुभाई शाह]

छोड़ कर लगभग सभी वस्तुओं को निर्यात की खुली लाइसेंस सूचि में रख दिये हैं। फिर भी विनियमन उपायों का होना बड़ा आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। विधयक के भाग दो का उद्देश्य यह है कि किन्हीं वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके अथवा विदेशों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये निर्यात का विनियमन किया जा सके।

इस विधेयक की तीसरी बात यह है कि सावधानी के विचार से हम ने इसके अन्तगत जेल की सजा शामिल करने का प्रयत्न किया है ताकि आयात तथा निर्यात का कोई दुरुपयोग न हो सके। अब तक यह व्यवस्था थी यदि कोई आयातकर्ता आयात की हुई वस्तुओं का दुरुपयोग करता तो अदालतें इतना ही कर सकती थी कि दोषियों को जुर्माना अदा करने को सजा दे सकती, परन्तु उन्हे कैद की सजा नहीं दे सकती थी। इस व्यवस्था के कारण कुछ लोग एसे है जो विदेशी मुद्रा का प्रयोग करके रुपया कमा लेते है और बाद में जुर्माना अदा कर देते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग न कर सकें इस विधेयक में 6 मास से लेकर 2 वर्ष तक की कैद की सजा देने की व्यवस्था की गई है।

यद्यपि हमारे सामने विदेशी मुद्रा का भारी संकट है तथापि हमें पूर्ण आशा है कि हम जो आर्थिक प्रगति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम उस में सफल होंगे। हमें अपनी आयात को कम करना है तथा निर्यात को बढ़ाना है। ऐसा करने स हमारा भुगतान का संतुलन अधिक अच्छा हो जायगा। सभा को विदित है कि पीछले सात अथवा आठ वर्षों में हमारी आयात 700 करोड़ से 1400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की लागत को हो गई है, क्योंकि हमें उन संयंत्रों, तथा मशीनों आदि का आयात करना पड़ा जिन्हें देश में नहीं बनाया जा सकता था। हमारे निर्यात भी बढ़ी है और वह 500 करोड़ रुपये से लगभग 850 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक पहुँच गई है। परन्तु आयात को देखते हुये यह प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं है। हमे निर्यात को बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न करना है।

इस विधेयक की इस दृष्टि से बहुत अपेक्षा थी कि हम राष्ट्र के हित में तथा देश के आर्थिक विकास के अनुरुप आयात के प्रवाह को विनियमित कर सकें और निर्यात को प्रोत्साहन दे सकें।

सभापति महोदय : श्री वारियर।

श्री वारियर (त्रिचूर) : सभापति महोदय......

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : उन्हें कम से कम एक वाक्य तो पूरा करने दीजिये।

श्री वारियर : इस विधेयक के संबंध में बहुत सी बातें कहनी हैं। अब भी सरकार कुछ प्रतिबन्ध लगा रही है तथा कुछ आदेश जारी कर रही है। में कुछ बातें कहना चाहता हूं... (भाषण असमाप्त)

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छियालीसवा प्रतिवेदन

Fourty-Sixth Report

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : में कार्य मंत्रणा समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अस्सीवा प्रतिवेदन

Eightieh Report

श्री हेम राज (कांगड़ा) : में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिती का अस्सीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 10 मार्च, 1966/19 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, March 10,1966/ *Phalguna* 19, 1887 (*Saka*).

भा० स० मु० ना०—से०६—32 लोक सभा।66—19-6-67—600.